SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या – 05
(वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या–05

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन	v	
विहंगावलोकन	vii	
अध्याय– I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
परिचय	1.1	1
जवाबदेही ढांचा	1.2	3
छत्तीसगढ़ सरकार की हिस्सेदारी	1.3	3
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	4
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिफल	1.5	5
लेखों को अंतिमीकृत करने में बकाया	1.6	5
बकाया लेखों का प्रभाव	1.7	6
अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के आधार पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	1.8	6
सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम	1.9	11
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार	1.10	12
कॉर्पोरेट प्रशासन	1.11	12
निदेशक मंडल की संरचना	1.12	13
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली	1.13	16
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद को भरना	1.14	17
निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक	1.15	18
लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियां	1.16	19
व्हिसल ब्लोअर तंत्र	1.17	21
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	1.18	22
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.19	22
निष्कर्ष	1.20	29
अनुशंसाएँ	1.21	30
अध्याय–II		
छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिचय	2.1	31
योजना और शासन	2.2	33
वित्तपोषण व्यवस्था	2.3	36

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
परियोजना कार्यान्वयन	2.4	39
निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन	2.5	56
निगरानी	2.6	65
निष्कर्ष	2.7	67
अनुशंसाएँ	2.8	68
अध्याय–III		
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका		
छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
ऑटो स्विप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की अपरिहार्य हानि	3.1	69
परिशिष्ट		

परिशिष्ट क्र.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
1	छत्तीसगढ़ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची	1.1	71
2	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 की स्थिति में विलंब थे को दर्शाने वाला विवरण	1.6	72
3	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के धनात्मक आरओसीई को दर्शाने वाला विवरण	1.8.3	73
4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें टिप्पणियाँ जारी की गई	1.9.1	74
5	सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रूप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.9.2	75
6	2016–17 से 2022–23 के दौरान तीन एसपीवी की संस्वीकृत एवं वर्तमान कार्मिक संख्या	2.2.2	78
7	एबीडी क्षेत्र में एसपीवी द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब	2.4.2.4	79
8	पैन सिटी में एसपीवी द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब	2.4.3.1	88
9	आरएससीएल द्वारा कम शास्ति वसूले जाने का विवरण	2.5.2	94
10	जमाराशियों पर ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न	3.1	96

विषय		संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
	उठाने के कारण शुद्ध ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण		

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 समय–समय पर संशोधित, की धारा 19(ए) के अंतर्गत, मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप और अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2022–23 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, तथा वे भी जो पहले के वर्षो में ध्यान में आये, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनो में शामिल नहीं किए जा सके। वर्ष 2022–23 के बाद की अवधि से संबंधित मामले को भी, आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तीन अध्याय शामिल हैं जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राज्य के पीएसईज) के कामकाज का एक संक्षिप्त विवरण, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्रॉफ शामिल है। इस रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

अध्याय–I

इस अध्याय में राज्य के 20 पीएसईज का उनके अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण शामिल है। रिपोर्ट में राज्य के पीएसईज द्वारा विभिन्न मानदंडों के अनुपालन, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने तथा सरकारी कंपनियों के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में सीएजी की निगरानी भूमिका का भी उल्लेख है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राज्य के पीएसईज) में राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों शामिल हैं। राज्य के पीएसईज की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ चलाने, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए की गई थी।

- 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में राज्य के 28 पीएसईज थे, जिनमें 27 सरकारी कंपनियाँ और एक सांविधिक निगम थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। इनमें से, राज्य के 26 पीएसईज कार्यरत थे और दो निष्क्रिय थे। राज्य के कार्यरत 26 पीएसईज में से, राज्य के चार पीएसईज विद्युत क्षेत्र से संबंधित थे।
- 30 सितंबर 2023 के अंत तक राज्य के 25 पीएसईज के 47 लेखें का बैकलॉग था, जिनकी लंबित अवधि छह वर्ष तक थी।
- राज्य के 28 पीएसईज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों में कुल निवेश ₹ 20,961.61 करोड़ में से छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) ने ₹ 7,579.09 करोड़ का निवेश किया था। बकाया दीर्घकालिक ऋण ₹ 846.06 करोड़ था। दीर्घकालिक ऋणों और इक्विटी का अनुपात 1.96 था।

राज्य के 20 पीएसईज के विश्लेषण ने दर्शाया :

- दर्ज वार्षिक टर्नओवर ₹ 42,172.73 करोड़ था, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का 9.22 प्रतिशत था।
- राज्य के दस पीएसईज ने लाभ (₹ 879.22 करोड़) अर्जित किया, जिनमें से शीर्ष पाँच लाभ कमाने वाले राज्य पीएसई, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम थे। राज्य के सात पीएसईज को हानि (₹ 1,143.10 करोड़) हुई। राज्य के पाँच पीएसईज अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कटघोरा

डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड को ₹ 10,252.86 करोड़ की संचित हानि हुई।

- वर्ष के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गईं, जिनमें वित्तीय विवरणों में अशुद्धियों को उजागर किया गया, जिससे लाभप्रदता ₹ 1,194.79 करोड़ और परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 1,231.80 करोड़ का प्रभाव पड़ा।
- राज्य के 16 पीएसईज ने निदेशक मंडल की चार बैठकों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। राज्य के 12 पीएसईज में से केवल एक में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध थी। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों ने अलग बैठक आयोजित नहीं की है। राज्य की आठ पीएसई में से दो में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।
- पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति राज्य के आठ पीएसईज में से केवल चार में की गई, और राज्य के 12 पीएसईज में से दो में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया।
- राज्य के 12 पीएसईज में से केवल एक ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। राज्य के छह पीएसईज में से किसी ने भी वास्तविक चिंताओं और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित नहीं किया है।

अनुशंसाएं :

राज्य सरकार

1. सभी हानि में चल रहे/राज्य के निष्क्रिय पीएसईज के कार्य की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार/समापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
2. लेखों को अंतिमिकृत करने और बकाया के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
3. लाभ कमाने वाले राज्य के पीएसईज के लिए लाभांश नीति तैयार कर सकती है।
4. राज्य के पीएसईज द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय–II

इस अध्याय में छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ में 'स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

यह लेखापरीक्षा क्यों

भारत सरकार (जीओआई) ने जून 2015 में ''स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)'' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की, जिसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और सतत पर्यावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन को छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में तीन विशेष प्रयोजन वाहनों

(एसपीवी)[1] के माध्यम से लागू किया गया था। मिशन की अवधि प्रारंभ में पाँच वर्षों (2015–20) के लिए थी, जिसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

चूँकि मिशन की अवधि मार्च 2025 में समाप्त होनी थी, इसलिए राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति को देखते हुए, हमने स्मार्ट शहरों के विकास में नियोजन की पर्याप्तता, निर्धारित मानदंडों के अनुसार और निर्धारित समय के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन में विवेकशीलता और अनुश्रवण, मूल्यांकन और मध्यावधि सुधार के लिए कार्यात्मक तंत्र की उपलब्धता का आकलन करने के उद्देश्य से यह लेखापरीक्षा किया।

हमने क्या पाया

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, छत्तीसगढ़ शासन ने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सड़कों का निर्माण, ओवरहेड बिजली के केबलों को भूमिगत केबलों में परिवर्तित करना, स्मार्ट पुस्तकालय आदि और सार्वजनिक स्थानों में सुधार/सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हुए एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना करके महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए। तीनों शहरों में आईसीसीसी के संचालन से बेहतर निगरानी, यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण आदि सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक स्थलों के दृश्य सुधार के लिए उद्यानों के पुनर्विकास, वृक्षारोपण और तालाबों, पोखरों और नदी तटों के सौंदर्यीकरण की कई परियोजनाएं भी प्रारम्भ की गईं।

छत्तीसगढ़ के तीन शहरों के लिए स्वीकृत स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के अनुसार, परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹ 9627.70 करोड़ थी, जिसे भारत सरकार के अनुदान और छत्तीसगढ़ शासन के समतुल्य अनुदान अर्थात् एससीएम निधि के माध्यम से, अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। ₹ 2,534.30 करोड़ के एससीएम निधि के अतिरिक्त, अभिसरण और पीपीपी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से क्रमशः ₹ 2,205 करोड़ और ₹ 4,888.40 करोड़ की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, हमने पाया कि राज्य द्वारा परियोजना वित्तपोषण व्यवस्था को उचित रूप से पुख्ता नहीं किया गया था, क्योंकि ₹ 522.04 करोड़ मूल्य की परियोजनाएँ, जो प्रारम्भ में मौजूदा केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत प्रस्तावित थीं, एसपीवी द्वारा निष्पादन के लिए नहीं ली गईं। हमने यह भी देखा कि एसपीवी ने पीपीपी के तहत नियोजित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निजी भागीदारी को आकर्षित करने हेतु राजस्व मॉडल विकसित नहीं किया।

2016–17 से 2022–23 की अवधि के दौरान, ₹ 2,644.44 करोड़ मूल्य के कुल 476 कार्यादेश निर्गत किए गए, जो परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत (₹ 9627.70 करोड़) का लगभग 27 प्रतिशत था। मार्च 2023 तक, केवल 295 कार्य (लगभग 62 प्रतिशत) पूर्ण हुए थे, जबकि 181 कार्य प्रगति पर थे। वास्तविक व्यय ₹ 1,213.12 करोड़ रहा, जो आवंटित लागत का 46 प्रतिशत है।

हमने पाया कि कार्यों के आवंटन/अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब, ठेकेदार को स्पष्ट कार्यस्थल उपलब्ध कराने में असमर्थता, कार्यों के स्वरुपों में बार–बार परिवर्तन आदि के कारण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उपलब्ध निधियों के कम उपयोग के कारण, भारत सरकार ने योजना निधि में कटौती की और परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन के समतुल्य अनुदान की मात्रा भी कम हो गई।

अयोग्य बोलीदाताओं को परियोजनाएँ आवंटित करने, कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के लिए शास्ति न लगाने/कम लगाने, निविदा आमंत्रित किए बिना अतिरिक्त कार्य प्रदान करने के

[1] रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल), बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल) और नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआरएएनएससीसीएल)

उदाहरण भी देखे गए। प्रतिबंधात्मक नियमों और शर्तों के कारण नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआरएएनएससीसीएल) की निविदाओं में बोलीदाताओं की कम भागीदारी रही, तथा एक ही ठेकेदार को 84 प्रतिशत कार्य दिए जाने से कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।

क्षेत्र आधारित विकास (एबीडी) के तहत कार्यों पर किए गए कुल व्यय में से 30 प्रतिशत उन कार्यों पर व्यय किया गया जो एबीडी क्षेत्र से बाहर थे, जो किसी कॉम्पैक्ट क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। इसी तरह, पैन–सिटी विकास के तहत तीनों एसपीवी द्वारा ₹ 118.85 करोड़ की कुल 128 गैर–सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (गैर–आईसीटी) परियोजनाएं जैसे उद्यान/झीलों का सौंदर्यीकरण, खेल के मैदानों का विकास, वर्षा जल की निकासी आदि ली गई जो स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के एससीएम दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, जिसमें अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल था। इसके अतिरिक्त, एससीएम दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक विशेषताएं (वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल हरित भवन), रायपुर और बिलासपुर की एससीपी में शामिल नहीं थीं।

अपर्याप्त क्रियान्वयन और रखरखाव तथा अतिक्रमण आदि के कारण निर्मित अवसंरचना जैसे साइकिल ट्रैक, स्मार्ट कूडेदान, ई–शौचालय, भूमिगत यातायात एलईडी सिग्नल लाइटिंग सिस्टम आदि का उपयोग न होने के उदाहरण देखे गए।

मिशन के तहत एसपीवी द्वारा बनाई गई संपत्तियों में से बीएससीएल की कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, भविष्य के संचालन और रखरखाव के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने एसपीवी के लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व धारा स्थापित करने के लिए अभी तक कोई नीति विकसित नहीं की ताकि उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएलएचपीएससी) ने राज्य में तीन एसपीवी में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कोई बैठक नहीं की, सिवाय एससीपी को मंजूरी देने और भारत सरकार (2017) को प्रस्ताव भेजने। स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की बैठकें भी तय समयानुसार नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई। तीसरे पक्ष के माध्यम से मूल्यांकन और अनुश्रवण भी सुनिश्चित नहीं की गई। एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी एसपीवी में पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, तीनों एसपीवी में विभिन्न शाखाओं, अर्थात् प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर रिक्तियाँ थीं, जिससे कार्य कुशलता प्रभावित हो रही थी।

हमारी अनुशंसाएँ

राज्य सरकार निम्नलिखित सुनिश्चित कर सकती हैः

1. सभी एसपीवी में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति तथा प्रभावी परियोजना निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानवशक्ति की उपलब्धता;
2. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अभिसरण और पीपीपी मोड के माध्यम से संसाधनों का जुटाव;
3. मानक निविदा मानदंडों और अनुबंध प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करके एसपीवी में अनुबंध प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना;
4. निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन हेतु निश्चित समय–सीमा का निर्धारण और उनका पालन तथा निर्मित परिसंपत्तियों की दीर्घायु, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु उचित मरम्मत और रखरखाव;

5. भविष्य में एसपीवी की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व धारा स्थापित करने हेतु एक नीति विकसित और कार्यान्वित करना।

अध्याय–III

इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है।

ऑटो स्विप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की अपरिहार्य हानि (छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने ₹ 55.00 करोड़ की राशि कैनरा बैंक में एक सामान्य बचत बैंक खाते में ग्रहणाधिकार के रूप में जमा की, परंतु ऑटो स्वीप सुविधा का विकल्प नहीं चुना। इस कारण कम्पनी को ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज आय से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 3.1)

अध्याय I

अध्याय I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राज्य के पीएसईज) में राज्य शासन की कंपनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ में राज्य के 28 पीएसईज थे, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.1*** में दिया गया है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2023 को राज्य के पीएसईज की कुल संख्या

राज्य के पीएसईज के प्रकार	कुल
सरकारी कंपनियाँ[1]	27
सांविधिक निगम[2]	01
कुल	**28**

(स्त्रोतः कम्पनी/निगम द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ में राज्य के 28 पीएसईज थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में विस्तृत है, जिसमें 27 सरकारी कंपनियाँ और एक सांविधिक निगम[3] शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कोई भी सरकारी कम्पनी भंग नहीं हुई, जबकि राज्य के दो पीएसईज[4] का विलय हुआ और कोई भी नई सरकारी कम्पनी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में नहीं आयी। एक राज्य पीएसई[5] राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध था। छत्तीसगढ़ में राज्य के दो[6] पीएसईज निष्क्रिय हैं।

राज्य के 28 पीएसईज में से, 20 पीएसईज ने 30 सितंबर 2023 तक 2020–21, 2021–22 और 2022–23 की अवधि के लिए कम से कम एक लेखा को जमा किया था, जबकि एक कार्यरत राज्य पीएसई ने अपना पहला लेखा जमा नहीं किया था।

इस रिपोर्ट में राज्य के 20 पीएसईज का उनके नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 20 पीएसईज के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश ***तालिका 1.2*** में दिया गया है।

1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में उल्लेखित सरकारी कंपनियाँ।

2 संसद/राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कानून के तहत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

3 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम।

4 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का विलय (जून 2022) में क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में हुआ।

5 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

6 छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड और सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

तालिका 1.2: राज्य के कार्यशील पीएसईज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

विवरण	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
राज्य के पीएसईज की कुल संख्या	28	––
इस रिपार्ट में शामिल राज्य के पीएसईज	20	––
प्रदत्त पूँजी	20	6,915.97
दीर्घावधि ऋण	20	10,519.65
शुद्ध लाभ	10	879.22
शुद्ध हानि	07	1,143.10
शून्य लाभ/हानि	03	––
घोषित लाभांश	01	3.64
निवल मूल्य	20	745.27

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर संकलित)

क्रियाकलापों की प्रकृति के आधार पर, राज्य के इन 20 पीएसईज को पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में टर्नओवर का प्रतिशत हिस्सा ***तालिका 1.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के पीएसईज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र के नाम	राज्य पीएसईज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर की प्रतिशत में हिस्सेदारी
1	विद्युत	4	28,048.36	6.13
2	अधोसंरचना	4	10.40	0.002
3	कृषि और उससे संबंधित उद्योग	2	678.55	0.15
4	सेवाएं	8	13,294.65	2.91
5	अन्य	2	140.77	0.03
योग		**20**	**42,172.73**	**9.22**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों से संकलित)

राज्य के इन 20 पीएसईज का टर्नओवर (₹ 42,172.73 करोड़) वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 4,57,608.26 करोड़) का 9.22 प्रतिशत था, जिसमें विद्युत क्षेत्र का योगदान 66.51 प्रतिशत था।

उपर्युक्त राज्य के पीएसईज में से दस ने 2022–23 में ₹ 879.22 करोड़ का संयुक्त लाभ अर्जित किया, राज्य के सात पीएसईज को (–) ₹ 1,143.10 करोड़ की हानि हुई। शेष राज्य के तीन पीएसईज को 2022–23 के दौरान कोई लाभ या हानि नहीं हुई।

1.2 जवाबदेही ढांचा

1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। हालांकि, 1 अप्रैल 2014 से पहले शुरू हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होती रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता पूंजी केंद्र और/या राज्य सरकारो के पास हो। किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सरकारी कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत आती है। उक्त अधिनियम के तहत सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 139 और 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

1.2.1 वैधानिक लेखापरीक्षा

वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। एक वैधानिक निगम अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के मामले में, लेखापरीक्षा संबंधित विधानों के तहत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती है और उसके बाद, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

1.2.2 सरकार और विधानसभा की भूमिका

छत्तीसगढ़ शासन अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राज्य के इन पीएसईज के मामलों पर नियंत्रण रखती है। राज्य के इन पीएसईज के बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानसभा, राज्य के पीएसईज में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की निगरानी भी करती है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार की कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर सीएजी की टिप्पणियों के साथ अधिनियम की धारा 394 के तहत विधानसभा के समक्ष रखी जानी होती है। इसी तरह, वैधानिक निगमों की वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उनके संबंधित शासी अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं।

1.3 छत्तीसगढ़ सरकार की हिस्सेदारी

राज्य के पीएसईज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों में आती है, अर्थात अंश पूंजी और ऋण, अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से विशेष बजटीय सहायता और वित्तीय संस्थानों से राज्य के पीएसईज द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी।

- **अंश पूंजी और ऋण** – अंश पूंजी योगदान के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन समय–समय पर राज्य के पीएसईज को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** – छत्तीसगढ़ शासन आवश्यकतानुसार राज्य के पीएसईज को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** – छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय संस्थानों से राज्य के पीएसईज द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

1.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4.1 इक्विटी होल्डिंग एवं राज्य के पीएसईज को दिया गया ऋण

अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त[7] हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य के 28 पीएसईज में इक्विटी और ऋण का निवेश ***तालिका 1.4*** में दिया गया है:

तालिका 1.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल इक्विटी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

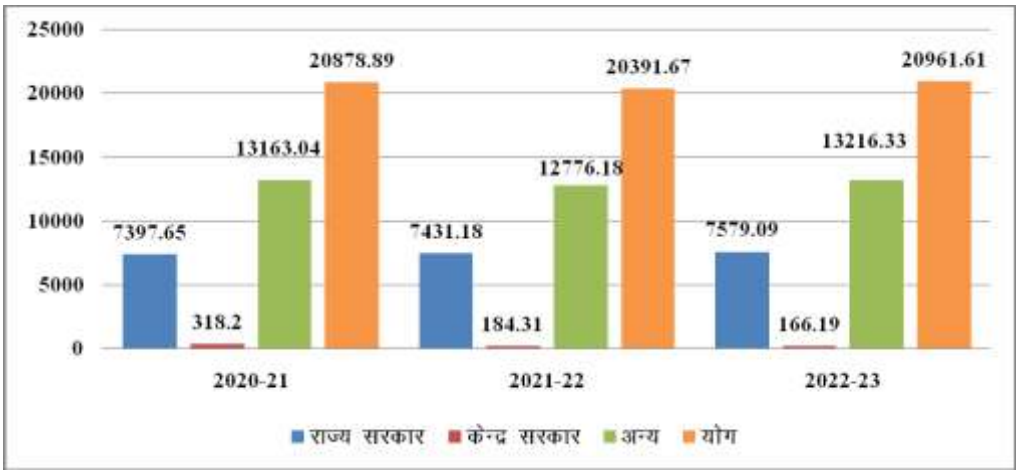
निवेश के स्त्रोत	31 मार्च 2021 की स्थिति में			31 मार्च 2022 की स्थिति में			31 मार्च 2023 की स्थिति में		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18	6,733.03	846.06	7,579.09
केन्द्र सरकार	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31	35.22	130.97	166.19
अन्य	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18	315.46	12,900.87	13,216.33
योग	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**	**7,013.70**	**13,377.97**	**20,391.67**	**7,083.71**	**13,877.90**	**20,961.61**
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44	95.05	6.10	36.16

(स्त्रोतः 30 सितंबर 2023 की स्थिति में प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित)

यह देखा गया है कि निवेश की प्रवृत्ति में सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से लिए गए दीर्घकालिक ऋणों का प्रभुत्व है, जो कुल ऋण का 92.96 प्रतिशत है, जिसमें राज्य सरकार से लिए गए ऋण मात्र 6.10 प्रतिशत हैं। राज्य के इन पीएसईज के लिए ऋण से इक्विटी का अनुपात 1.96 था।

चार्ट 1.1 राज्य के पीएसईज में निवेश

(₹ करोड़ में)



[7] राज्य पीएसईज के आंकड़े 2022–23 से पहले के उनके वित्तीय विवरणों से लिए गए थे क्योंकि 25 पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखों को अंतिमिकृत नहीं किया था।

1.5 वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिफल

1.5.1 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान और गारंटी पर जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान और सब्सिडी के रूप में राज्य के पीएसईज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन, राज्य के पीएसईज द्वारा लिये गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए वह आधे प्रतिशत तक की दर से गारंटी कमीशन लेती है। राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गारंटीकृत कुल अधिकतम राशि ₹ 9,084.44 करोड़ थी और 31 मार्च 2023 तक राज्य के पीएसईज के लिए बकाया गारंटी ₹ 4,911.43 करोड़ थी। इसके अलावा, राज्य के पीएसईज को ₹ 9,740.33 करोड़ का अनुदान दिया गया। राज्य के पीएसईज को दी गई सब्सिडी, अनुदान और गारंटी का विवरण ***तालिका 1.5*** में दिया गया है:

तालिका 1.5: राज्य के पीएसईज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. स.	विवरण	2020–21		2021–22		2022–23	
		राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि
(i)	प्रदाय अनुदान/सब्सिडी	9	8,445.74	10	7,226.58	10	9,740.33
(ii)	बकाया गारंटी	2	3,426.34	3	3,314.65	3	4,911.43
(iii)	गारंटी प्रतिबद्धता	3	6,682.28	3	11,907.28	3	9,084.44

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

1.6 लेखों को अंतिमीकृत करने में बकाया

अधिनियम की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसी तरह, वैधानिक निगमों के मामले में, उनके लेखों को अंतिमीकृत कर, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा को प्रस्तुत किया जाता है।

तालिका 1.6 में 30 सितंबर 2023 की स्थिति में लेखों को अंतिमीकृत करने में राज्य के पीएसईज द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.6: राज्य के पीएसईज के लेखों के अंतिमिकरण की स्थिति

क्रं. स.	विवरण	2022–23
1.	राज्य के पीएसईज की संख्या	28
2.	वर्ष के दौरान अंतिमिकृत लेखों की संख्या	21
3.	बकाया लेखों की संख्या	47
4.	राज्य के पीएसईज की संख्या जिनके लेखें बकाया थे	25
5.	बकाया सीमावधि (वर्ष में)	01 से 06

(स्त्रोतः अद्यतन अंतिमिकृत लेखों और राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित)

प्रशासनिक विभागों पर राज्य के पीएसईज की गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है। संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे कि राज्य के पीएसईज निर्धारित अवधि के भीतर अपने लेखों को अंतिम रूप दें और स्वीकृत करें। राज्य के पीएसईज द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में अधिक बकाया को देखते हुए, महालेखाकार (एजी) द्वारा शासन और संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ राज्य के पीएसईज के लेखों के बकाये को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से मामले को उठाया गया था। हालांकि, सितंबर 2023 तक, राज्य के 25 पीएसईज के पास छह साल तक की बकाया अवधि वाले 47 लेखों का बैकलॉग था, जो कि उल्लेखनीय था एवं ***परिशिष्ट 2*** में दर्शाया गया है।

1.7 बकाया लेखों का प्रभाव

लेखों के अंतिमिकरण में देरी से संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के खोने का जोखिम होता है। ***कंडिका 1.6***, के तहत बताए गए लेखों के बकाया की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के पीएसईज का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान को राज्य विधानसभा को प्रतिवेदित नही किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के सभी पीएसईज लेखों के अंतिमिकरण एवं प्रस्तुतीकरण के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करें, एक मजबूत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली लागू कर सकती है जिससे इन संगठनों के भीतर पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पोषण हो सके।

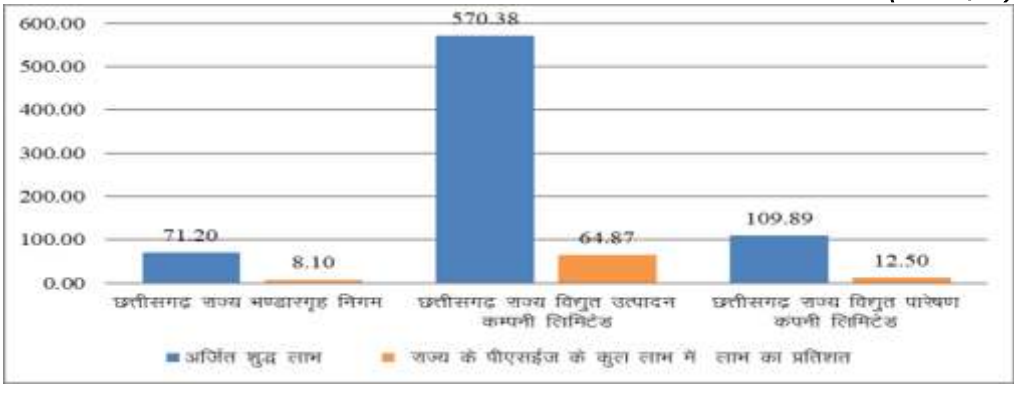
1.8 अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के आधार पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.8.1 राज्य के पीएसईज द्वारा अर्जित लाभ

इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 20 पीएसईज में से, 10 पीएसईज ने 2022–23 में ₹ 879.22 करोड़ का संयुक्त लाभ अर्जित किया, जबकि 2021–22 में राज्य के 10 पीएसईज ने ₹ 863.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्धि होने का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का लाभ ₹ 36.49 करोड़ (2021–22) से बढ़कर ₹ 52.65 करोड़ (2022–23) हो जाना था। राज्य के शीर्ष तीन पीएसईज ने 2022–23 में कुल लाभ में 85.47 प्रतिशत का योगदान दिया। विवरण ***चार्ट 1.2*** में दिया गया है:

चार्ट 1.2 राज्य के शीर्ष पीएसईज जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर संकलित)

1.8.2 राज्य के पीएसईज द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले राज्य के पीएसईज को लाभांश के रूप में लाभ का एक न्यूनतम प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक हो।

राज्य के 20 पीएसईज में से, 16 में राज्य सरकार की इक्विटी थी। राज्य के इन 16 पीएसईजं से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी, को ***तालिका 1.7*** में दिखाया गया है।

तलिका 1.7: राज्य पीएसईज का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के कुल पीएसईज				लाभांश भुगतान प्रतिशत में
	जिन्होंने लाभ अर्जित किया		जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया		
1	2	3	4	5	6=5*100/3
2020–21	8	539.88	2	3.84	0.71
2021–22	10	864.67	2	1.15	0.13
2022–23	9[8]	879.15	1	3.64	0.41

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार की इक्विटी वाले राज्य के 16 पीएसईज में से नौ पीएसईज ने ₹ 879.15 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। राज्य के केवल एक पीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 3.64 करोड़ का लाभांश भुगतान वर्ष 2022–23 में किया।

1.8.3 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[9] से विभाजित करके की जाती है। 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान चयनित राज्य के पीएसईज के आरओसीई का विवरण ***तालिका 1.8*** में दिया गया है।

तालिका 1.8: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष	राज्य के पीएसईज की संख्या	ब्याज और करों से पहले की आय	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
सरकारी कंपनियाँ					
लाभ अर्जित करने वाले	2020–21	8	1,375.64	14,763.55	9.32
	2021–22	10	1,915.29	15,386.52	12.45
	2022–23	9	1,929.58	14,777.65	13.06

[8] केरवा कोल लिमिटेड को लाभ अर्जित करने वाले राज्य पीएसइज से बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें जीओसीजी की इक्विटी नहीं हैं।

[9] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त आरक्षित और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थिगत राजस्व व्यय।

हानि वहन करने वाले	2020–21	10	317.48	–2,220.04	–14.30
	2021–22	8	–798.54	–3,090.27	25.84
	2022–23	7	–360.45	–4,425.73	8.14
कोई भी लाभ/हानि नही वाले	2020–21	3	0.00	201.54	0.00
	2021–22	3	0.00	202.12	0.00
	2022–23	3	0.00	202.12	0.00
सांविधिक निगम					
लाभ अर्जित करने वाले	2020–21	1	187.24	575.92	32.51
	2021–22	1	105.86	651.40	16.25
	2022–23	1	105.86	651.40	16.25
हानि वहन करने वाले	2020–21	––	––	––	––
	2021–22	––	––	––	––
	2022–23	––	––	––	––
कोई भी लाभ/हानि नही वाले	2020–21	––	––	––	––
	2021–22	––	––	––	––
	2022–23	––	––	––	––
कुल	**2020–21**	**22**	**1,880.36**	**13,320.97**	**14.12**
	2021–22	**22**	**1,222.61**	**13,149.77**	**9.30**
	2022–23	**20**	**1,674.99**	**11,205.44**	**14.95**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, राज्य के 20 पीएसईज में आरओसीई 2020–21 में 14.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 14.95 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, राज्य के 20 पीएसईज में से 11 (जैसा कि ***परिशिष्ट 3*** में विस्तृत है), जो स्वयं राजस्व अर्जित करते हैं और वाणिज्यिक लाइनों पर चलते हैं, का आरओसीई वर्ष 2022–23 के लिए सकारात्मक (13.32 प्रतिशत) था। राज्य के शेष छह पीएसईज, जो सभी गैर–विद्युत क्षेत्र से संबंधित हैं, का आरओसीई वर्ष 2022–23 के लिए नकारात्मक (58.73 प्रतिशत) था। राज्य के शेष तीन पीएसईज का आरओसीई 2022–23 के दौरान शून्य था।

1.8.4 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2023 के अंत में अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के 20 पीएसईज में से सात पीएसईज को हानि वहन करनी पड़ी। राज्य के इन पीएसईज द्वारा 2020–21 मे वहन हानि (–) ₹ 433.14 करोड़ 2022–23 में बढ़कर (–) ₹ 1,143.10 करोड़ हो गयी, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.9*** में दिया गया है:

तालिका 1.9: 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले राज्य के पीएसईज की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य के पीएसईज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[10]
सरकारी कंपनियाँ				
2020–21	10	–433.14	–7,907.89	–5,551.95
2021–22	08	–1,226.97	–8,921.68	–5,948.87
2022–23	07	–1,143.10	–10,034.72	–7,061.91

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

वर्ष 2022–23 में, राज्य के सात पीएसईज द्वारा वहन किए गए कुल ₹ 1,143.10 करोड़ के हानि में से, मुख्य हिस्सा ₹ 1,132.72 करोड़ का अर्थात् 99.09 प्रतिशत का योगदान एक विद्युत क्षेत्र के राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का है। इसके अलावा, राज्य के इन पीएसईज में निवेश का विवरण नीचे ***तालिका 1.10*** में दिया गया है:

तालिका 1.10: राज्य के पीएसईज में निवेश जिन्होंने 2022–23 में हानियाँ वहन की

(₹करोड़ में)

क्रं. स.	कंपनियों/ निगम का नाम	प्रदत्त अंशपूँजी				दीर्घावधि ऋण				कर के पश्चात् निवल लाभ
		छत्तीसगढ़ शासन	भारत सरकार	अन्य	कुल	छत्तीसगढ़ शासन	भारत सरकार	अन्य	कुल	
सरकारी कंपनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2,886.54	0.00	0.00	2,886.54	64.10	130.97	1,576.61	1,771.68	–1,132.72
2	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	1,598.68	1.598.68	–0.57
3	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	558.27	558.27	–7.91
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.01
5	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	37.22	34.30	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	–1.66
6	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.14
7	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.09
योग		**2,934.86**	**34.30**	**4.00**	**2,973.16**	**64.10**	**130.97**	**3,733.56**	**3,928.63**	**–1,143.10**

(स्त्रोतः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

[10] निवल मूल्य = प्रदत्त अंशपूँजी+मुक्त आरक्षित और अधिशेष–(संचित हानियां + आस्थिगत राजस्व व्यय)।

31 मार्च 2023 की स्थिति में, हानि वहन करने वाले राज्य के सात पीएसईजं में कुल निवेश ₹ 6,901.79 करोड़ था, जिसमें 43.08 प्रतिशत अंशपूँजी (₹ 2,973.16 करोड़) और 56.92 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण (₹ 3,928.63 करोड़) शामिल थे। कुल निवेश में से, पूंजी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 2,998.96 करोड का निवेश किया। भारत सरकार और अन्य स्रोतों द्वारा ₹ 3,902.83 करोड़ का निवेश जुटाया गया।

1.8.5 राज्य के पीएसईज में निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी और मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद प्राप्त होता है। वास्तव में यह इस बात का माप है कि मालिकों के लिए इकाई का मूल्य क्या है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अशंधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 20 पीएसईज में से पांच पीएसईज ऐसे थे जिनकी संचित हानि ₹ 10,252.86 करोड़ थी। राज्य के इन पांच पीएसईज में से चार पीएसईज को 2022–23 के दौरान ₹ 1,134.61 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी और एक पीएसई को कोई हानि नहीं हुई, भले ही अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार उसे ₹ 184.71 करोड़ की संचित हानि है। राज्य के 20 पीएसईज में से, 12 पीएसईज के पास ₹ 4,013.84 करोड़ का अधिक्य है और तीन पीएसईज के पास न तो संचित हानि थी और न ही अधिक्य, जैसा कि उनके अद्यतन लेखें से ज्ञात होता है।

राज्य के पांच पीएसईज जिनमें संचित हानि थी, उनमें से अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) द्वारा वहन किए गए ₹ 10,057.33 करोड़ (98.09 प्रतिशत) हानि के कारण थे। हालांकि, सीएसपीडीसीएल की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि यह एकाधिकार वातावरण में काम करती है और राजस्व वसूली विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि इसके कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी, सेक्टर नियामक अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के निर्णय, परिचालन दक्षता आदि।

तालिका 1.11: राज्य के पीएसईज का विवरण जिनका निवल मूल्य उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्रं. स.	राज्य के पीएसईज का नाम	अद्यतन वर्ष जिनमें लेखें अंतिमीकृत हुए	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/ हानि	संचित हानि	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021–22	4.43	20.64	(-)184.71	(-)179.33	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2022–23	2886.54	(-)1132.72	(-)10057.33	(-)7149.62	2,886.54	64.10
योग			**2,890.97**	**(-)1,112.08**	**(-)10,242.04**	**(-)7,328.95**	**2,890.97**	**64.10**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

संचित हानि वाले राज्य के पांच पीएसईज में से उपर्युक्त दो पीएसईज का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह क्षरण हो चुकी थी और उनकी निवल मूल्य नकारात्मक थी। 31 मार्च 2023 की स्थिति में इन दो पीएसईज के पूँजी निवेश ₹ 2,890.97 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 7,328.95 करोड़ थी। राज्य के इन दो पीएसईज की, 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार के बकाया ऋण की राशि ₹ 64.10 करोड़ थी।

1.9 सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम

1.9.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य के पीएसईज के लेखें की लेखापरीक्षा

30 सितंबर 2023 की स्थिति में, राज्य के तीन पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखें प्रस्तुत किए। इसके अलावा, राज्य के 17 पीएसईज ने 2018–19 से 2021–22 तक के पिछले वर्षों के 18 लेखें प्रस्तुत किए।

इस अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान प्राप्त 21 लेखें में से, 14 लेखें के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा कर और सीएजी की टिप्पणियों को जारी किया गया है और दो लेखों के लिए गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एनआरसी) जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2022 की शुरुआत में तीन लेखें लंबित थे, उन्हे भी अंतिम रूप दे दिया गया (दो लेखें के संबंध में अंतिम टिप्पणियाँ जारी की गईं जबकि एक लेखा के लिए शून्य टिप्पणी जारी की गई)। इस प्रकार, पांच लेखे (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान प्राप्त 21 में से) विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन थे। इसलिए, 16 वित्तीय विवरणों के संबंध में अंतिम टिप्पणियाँ जारी की गईं (जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में विस्तृत है), जबकि एक वित्तीय विवरण के लिए शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं।

1.9.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा तथा 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने रिपोर्टिंग अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान प्राप्त राज्य के 13 पीएसईज के 14 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों में जैसा कि ***परिशिष्ट 5*** में विस्तृत है। इन टिप्पणियों का लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 1,194.79 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देनदारियों पर प्रभाव ₹ 1,231.80 करोड़ था।

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार

वर्ष 2022–23 के दौरान, न तो राज्य के किसी पीएसईज का विनिवेश किया गया और न ही किसी पीएसईज का कोई निजीकरण किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय (जून 2022) किया गया, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है।

1.11 कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन सरकारी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के पालन से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल (बीओडी) में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति, निदेशक मंडल और उसके तहत गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति, निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

1.11.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट प्रशासन ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, बैंकरों और बड़े पैमाने पर समाज सहित विभिन्न हितधारकों के विश्वास का निर्माण करने पर केंद्रित है। एक कम्पनी कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों, प्रथाओं और प्रक्रिया की एक प्रणाली के साथ निर्देशित और नियंत्रित होती है। इसके अलावा, किसी भी राज्य पीएसई का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा चार स्तंभों पर निर्भर करता है अर्थात् पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता। कॉर्पोरेट प्रशासन का पालन करने से व्यवसाय में जवाबदेही और पारदर्शिता आती है और हितधारकों का विश्वास बढ़ता है।

1.11.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियों और खातों पर कम्पनी नियम, 2014 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (मार्च 2014) किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। अन्य बातों के साथ–साथ आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएँ तथा व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य और दिशा–निर्देश (अधिनियम की धाराएँ 149 (6) और (8) तथा अनुसूची IV को कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ें।

निर्धारित कंपनियों के बोर्ड में एक महिला–निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {अधिनियम की धारा 149(1)}। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखा परीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, तथा हितधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना।

निदेशक मंडल की प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {अधिनियम धारा 173(1)}।

1.11.3 कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देश

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को अधिसूचित (2 सितंबर 2015) किया, जो पहले के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी हो गया।

मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 26 पीएसईज में से केवल एक अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध थी। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की धारा 15(1)(ए) के अनुसार अध्याय IV के विनियम 16 से विनियम 27 के प्रावधान एक सूचीबद्ध इकाई पर लागू होंगे, जिसने अपनी गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और सूचीबद्ध गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये और उससे अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की सूचीबद्ध गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य मार्च 2022 की स्थिति में ₹ 500 करोड़ (अर्थात् ₹ 437.12 करोड़) से कम था, इसलिए उसे कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।

1.11.4 छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन प्रावधानों पर अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2023 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में 27 पीएसईज थे जो सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे। इनमें से एक राज्य पीएसई[11] जिसने शुरू से ही अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसे विश्लेषण से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 26 पीएसई में से एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध है और एक राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) निजी कम्पनी है। अभिलेखों की जांच के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.12 निदेशक मंडल की संरचना

बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है जो प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने और संगठन की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) के अनुसार, किसी कम्पनी के संबंध में 'निदेशक मंडल' या 'बोर्ड' का अर्थ कम्पनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है।

[11] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

1.12.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हों, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करती है कि किसी कम्पनी के संबंध में स्वतंत्र निदेशक का अर्थ प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अलावा कोई निदेशक से है और वह ईमानदार व्यक्ति है और उसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रमोटर होगा और न ही कम्पनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कम्पनी के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदारों की कम्पनी, या उसकी सहायक कम्पनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से परे और इस खंड में निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अलावा) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदार इस खंड में निर्धारित समय सीमा के दौरान कम्पनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ प्रमुख प्रबंधकीय पद या कोई अन्य निर्धारित संबंध जैसे कर्मचारी, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव आदि नहीं रखेंगे।

अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई[12] स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(1)[13] के अनुसार, सार्वजनिक कंपनियों की (i) चुकता शेयर पूँजी दस करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (ii) का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (iii) जिनके पास कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि पचास करोड़ रुपये से अधिक है, उनमें कम से कम दो निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अलावा, इस नियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार बहुमत में होंगे।

नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कोई कम्पनी लगातार तीन वर्षों तक तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करना बंद कर देती है, तो उसे इन प्रावधानों का अनुपालन तब तक करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वह ऐसी किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर लेती।

इसके अलावा, नियम 4(2) के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के तीन वर्गों अर्थात् संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी या निष्क्रिय कम्पनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 25 पीएसईज में से 12, जो सार्वजनिक कंपनियां थीं, को वर्ष 2022–23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 और नियम 4 के प्रावधानों के अनुपालन करने में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी।

निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के केवल एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक थे, जैसा कि ***तालिका 1.12*** में दिया गया है।

[12] इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी एक–तिहाई संख्याओं में अंतर्विष्ट को कोई भिन्न एक के रूप में पूर्णांकित की जाएगी।

[13] इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, चुकता शेयर पूँजी या टर्नओवर या बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाराशियों को अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को, हिसाब में लिया जाएगा।

तालिका 1.12: स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की स्थिति

विवरण	2022–23 के दौरान
राज्य के पीएसईज की संख्या जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना अपेक्षित है	12
राज्य के पीएसईज की संख्या जहाँ अपेक्षित संख्या मे स्वतंत्र निदेशक है	01
राज्य के पीएसईज की संख्या जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है	11

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

1.12.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) को कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए तो कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी में; या (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी जिनकी (अ) चुकता शेयर पूँजी ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है; या (ब) कारोबार ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक है। इसके अलावा, महिला निदेशक की किसी भी अतंराल पर होने वाली रिक्ति को बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द लेकिन तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने बाद जो भी बाद में हो, भरा जाएगा।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2022–23 के दौरान राज्य के आठ पीएसईज को महिला निदेशकों की नियुक्ति करनी थी। राज्य के इन आठ पीएसईज में से, छह पीएसईज में पूरे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक थीं, जैसा कि ***तालिका 1.13*** में दिया गया है।

तालिका 1.13: 2022–23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक का राज्य के पीएसईज में होना

क्रं. स.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

शेष दो पीएसईज में, 31 मार्च 2023 की स्थिति में महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका 1.14*** में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2022–23 के दौरान महिला निदेशक का राज्य के पीएसईज में न होना

क्रं. स.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

1.13 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

1.13.1 औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शेयरधारकों की बैठक (आम बैठक) में अनुमोदित की जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र के माध्यम से की जाएगी, जिसमें नियुक्ति की शर्तें और नियम निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम कम्पनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) जिसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, ने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें न तो कम्पनी के रिकॉर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर पाई गईं और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गईं।

1.13.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III) (1), (स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को उचित परिचयात्मक प्रशिक्षण से गुजरना होगा और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान और कम्पनी के साथ परिचितता को अद्यतन और ताजा करना होगा।

जैसा कि ऊपर ***कंडिका 1.12.1*** में कहा गया है, राज्य के एक पीएसई ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इसने अपने बोर्ड में शामिल जो स्वतंत्र निदेशकों थे को प्रशिक्षण नहीं दिया है।

1.13.3 कम्पनी की बोर्ड बैठकों, बोर्ड समितियों की बैठकों और आम बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III) (3), (स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं।

1.13.3.1 बोर्ड की बैठकें

जैसा कि ऊपर ***कंडिका 1.12.1*** में बताया गया है, केवल एक राज्य पीएसई ने आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य पीएसई के निदेशक मंडल की दो बैठकों में से सभी स्वतंत्र निदेशकों ने दोनों बैठकों में भाग लिया।

1.13.3.2 बोर्ड समितियों की बैठक

लेखापरीक्षा समिति – अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाले एकमात्र राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें[14] आयोजित की गईं, जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

1.13.3.3 आम बैठकें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III)(5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशक कम्पनी की आम बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखने वाले

[14] लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें 4थी (06 अप्रैल 2022) और 5वीं (12 दिसंबर 2022)।

एकमात्र राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य पीएसई की वार्षिक आम बैठकों[15] में सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिया।

1.13.3.4 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (VII)(1), (स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके अलावा, कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशक गैर–स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी।

राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिसके बोर्ड में वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशक थे, वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के द्वारा अलग से बैठक आयोजित नहीं की गयी।

1.14 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद को भरना

अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि निर्धारित वर्ग या कंपनियों के वर्गों से संबंधित प्रत्येक कम्पनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होंगे, अर्थात (i) प्रबंध निदेशक, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कम्पनी सचिव; और (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी।

इसके अलावा, कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 203(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त होता है, तो परिणामी रिक्ति को बोर्ड द्वारा, ऐसी रिक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर बोर्ड की बैठक में भरा जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक चुकता पूंजी वाले आठ पीएसईज थे। इसलिए, इन कंपनियों को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त करना आवश्यक था। इन आठ पीएसईज में से, चार पीएसईज[16] में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त पाए गए, जबकि शेष चार पीएसईज में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य के इन पीएसईज द्वारा पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति की स्थिति ***तालिका 1.15*** में दी गई है:–

15 30वीं और 31वीं कम्पनी की वार्षिक आम बैठके 20 अप्रैल 2023 को आयोजित हुई।

16 छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

तालिका 1.15: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति की स्थिति

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक और इनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक निदेशक	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हॉ	हॉ	नहीं
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
3	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल कम्पनी लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं
4	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	नहीं
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
8	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	हॉ	नहीं	हॉ

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

1.15 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में, यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद हर साल अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरह आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के 26 पीएसईज में से 16 पीएसईज ने आवश्यक संख्या में चार निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित नहीं कीं, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.16*** में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 1.16: राज्य के पीएसईज जिन्होंने वर्ष में बोर्ड बैठकों की आवश्यक संख्या आयोजित नहीं की

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
8	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
9	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
11	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
12	केरवा कोल लिमिटेड
13	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड
14	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड
15	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
16	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 15 पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न रखने के प्रावधान का पालन नहीं किया। राज्य के पीएसईज के लिए निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों में 121–367 दिनों का अंतराल देखा गया, जैसा कि ***तालिका 1.17*** में सूचीबद्ध है।

तालिका 1.17: राज्य के पीएसईज जिन्होंने निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल रखा

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
9	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
11	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड
12	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड
14	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड
15	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

1.16 लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियां

1.16.1 लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और सभी सार्वजनिक कंपनियों जिनकी चुकता पूँजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक हो, या ₹ 100 करोड़ या उससे

अधिक का टर्नओवर करने वाली, या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा रखने वाली, संयुक्त उद्यम कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छोड़कर, के निदेशक मंडल एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी।

मानदंडों के अनुसार, राज्य के 12 पीएसईज में, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 पीएसईज में से दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। शेष 10 पीएसईज ने 31 मार्च 2023 की स्थिति में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका 1.18*** में दिया गया है:

तालिका 1.18: राज्य के पीएसईज जिन्होंने लेखापरीक्षा समिति का गठन नही किया

क्रं. सं.	राज्य पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति होंगे।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हालांकि जिन दो राज्य के पीएसईज में लेखापरीक्षा समिति गठित की गई थी, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अपनी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य रखने के मानदंड को पूरा किया था, लेकिन केवल एक (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) में 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक[17] थे।

1.16.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों का निदेशक मंडल; या ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया

[17] छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखना आवश्यक था, लेकिन इसके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि रखने वाली सभी कंपनियों को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 12 पीएसईज को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक था। केवल एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था, जबकि ***तालिका 1.19*** में दिए गए 11 पीएसई ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था।

तालिका 1.19: राज्य के पीएसईज जिनके पास नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्रं. सं.	राज्य के पीएसईज का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 में आगे यह भी प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या उससे अधिक गैर–कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनमें से स्वतंत्र निदेशक आधे से कम नहीं होने चाहिए। कम्पनी के अध्यक्ष (चाहे कार्यकारी हों या गैर–कार्यकारी) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति रखने वाले एकमात्र राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसके नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थी।

1.17 व्हिसल ब्लोअर तंत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) को कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) के नियम 7 के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी; वे कंपनियां जो जनता से जमा स्वीकार करती हैं; वे कंपनियां जिन्होंने बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से पचास करोड़ रुपये से अधिक का धन उधार लिया है, अपने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, संदिग्ध धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करेंगी। यह ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को परेशान किए जाने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के छह[18] पीएसईज को वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। इनमें से किसी भी राज्य के पीएसईज ने सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित नहीं किया।

1.18 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1.18.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों को मान्यता देता है। सीएसआर की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर आधारित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, सीएसआर के विषय से संबंधित है और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नेटवर्थ, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर उन कंपनियों के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करती है, जिन्हें सीएसआर गतिविधियां करने की आवश्यकता होती है। कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल कर सकती हैं, उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधान राज्य के पीएसईज सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं और किसी भी कम्पनी के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ[19] का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर सालाना खर्च करे, बशर्ते वह तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हो:

(i) ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक का नेटवर्थ है; या

(ii) ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है; या

(iii) ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।

फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से राज्य के पीएसईज सहित सभी कंपनियों पर लागू हुए। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निर्माण और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि का खर्च अप्रैल, 2014 से लागू हुआ।

1.19 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मार्च 2023 तक, राज्य के 10 पीएसईज ने सीएसआर के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा किया है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के 10 पीएसईज[20] द्वारा सीएसआर के

[18] छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

[19] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना।

[20] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड।

संबंध में मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की। सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन तथा राज्य के पीएसईज द्वारा इसकी निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

1.19.1 सीएसआर समिति का गठन और इसकी संरचना

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी जिसकी निवल मुल्य ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है; या ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, उसके बोर्ड को एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे। इसके अलावा, धारा 135 (9) के अनुसार, जहां उप–धारा (5)[21] के तहत किसी कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, सीएसआर समिति के गठन के लिए उप–धारा (1) के तहत आवश्यकता लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रदान की गई समिति के कार्य, ऐसे मामलों में, ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के 10 में से चार पीएसईज[22] ने सीएसआर समितियां गठित की थीं, जबकि पांच पीएसईज[23] को अधिनियम की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सीएसआर के कारण उनकी देयता ₹ 0.50 करोड़ से कम थी। शेष एक राज्य पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने सीएसआर समिति गठित नहीं की थी, हालांकि यह धारा 135(1) के तहत आवश्यक मानदंडों को पूरा करता था।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। राज्य के चार पीएसईज में जहां सीएसआर समितियां गठित की गई थीं, दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड) ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के नियम का पालन नहीं किया था क्योंकि उनके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। जबकि एक पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को एक निजी कम्पनी होने के कारण अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

[21] उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी प्रत्येक वित्तिय वर्षो में कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती तीन वित्तिय वर्षो के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, या ऐसे पूर्ववर्ती वित्तिय वर्षो के दौरान, जहां कम्पनी ने अपने निगमन के पश्चात तीन वित्तिय वर्षो की अवधि पूरी नहीं की हैं, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में खर्च करें।

[22] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

[23] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड।

1.19.2 सीएसआर नीति का निर्माण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) के अनुसार कम्पनी की सीएसआर समिति को सीएसआर नीति तैयार करनी होगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करनी होगी। यह देखा गया कि राज्य के 10 पीएसई में से छह[24] ने अपनी सीएसआर नीतियां तैयार कर ली थीं, जबकि शेष चार पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड) के पास सीएसआर नीति नहीं थी।

1.19.3 निधियों का आवंटन और उपयोग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के प्रावधानों के अनुसार 2022–23 के दौरान राज्य के 10 पीएसईज[25] द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कुल मिलाकर ₹ 18.30 करोड़ है, जिसमें पिछले वर्षों से चली आ रही सीएसआर देयता के शेष ₹ 3.62 करोड़ शामिल हैं। एक राज्य पीएसईज अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जो लगातार घाटे में चल रही थी, पर 2022–23 तक किसी भी वर्ष के दौरान सीएसआर के कारण कोई देयता नहीं थी। 2022–23 के दौरान, राज्य के छः पीएसईज ने ₹ 15.95 करोड़ खर्च किए, जिससे ₹ 2.35 करोड़ की अप्रयुक्त राशि शेष रह गई, जैसा कि ***तालिका 1.20*** में विस्तृत है:

तालिका 1.20: वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए व्यय की तुलना में सीएसआर देयता

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	आगे लिये गये पूर्व वर्ष की राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली कुल आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5–6)
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	1.40	0.54	1.94	0.83	1.11
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	-0.03	0.19	0.16	0.21	-0.05
3	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	1.37	0.53	1.90	0.44	1.46
5	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	0.98	0.41	1.39	0.00	1.39
6	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.17	0.17	0.03	0.14

[24] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

[25] एक राज्य पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जो लगातार हानि में चल रही थी, पर वर्ष 2022–23 तक किसी भी वर्ष के दौरान सीएसआर के कारण कोई देयता नहीं थी।

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	आगे लिये गये पूर्व वर्ष की राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली कुल आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	0.81	10.34	11.15	13.66	-2.51
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	-1.72	2.23	0.51	0.78	-0.27
9	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.40	0.27	0.67	0.00	0.67
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**3.62**	**14.68**	**18.30**	**15.95**	**2.35**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

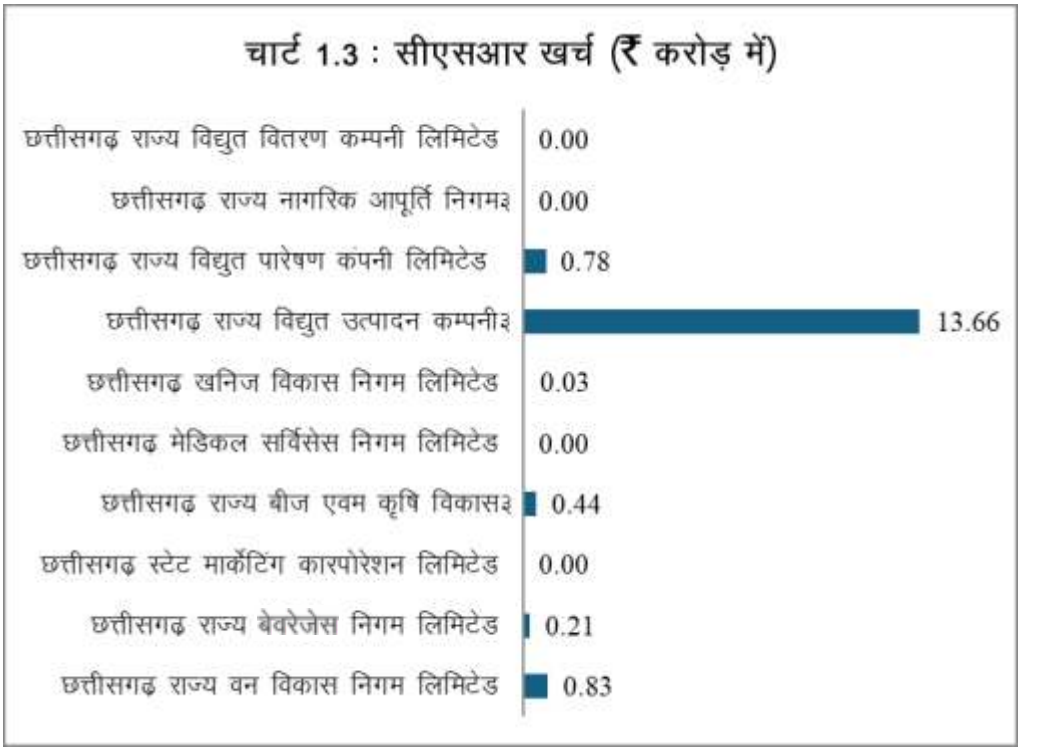
इसके अतिरिक्त, जिन राज्य के छः पीएसईज की राशि व्यय नहीं हुई थी, उनमें से केवल दो (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने अपनी व्यय न हुई सीएसआर राशि को एक अलग सीएसआर के खातें में स्थानांतरित किया। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद व्यय न हुई राशि को एक अलग सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया।

1.19.4 सीएसआर व्यय की सीमा

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के नौ पीएसईज द्वारा सीएसआर के मद में व्यय की जा सकने वाली कुल राशि ₹ 18.30 करोड़ थी, जिसके विरुद्ध ये राज्य पीएसई केवल ₹ 15.95 करोड़ (87.16 प्रतिशत) ही व्यय कर सके। राज्य के नौ पीएसईज में से चार को ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की राशि व्यय करनी थी, हालांकि, केवल एक राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड) ने 2022–23 के दौरान ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की राशि (₹ 13.66 करोड़) व्यय की।

1.19.5 शीर्ष व्ययकर्ता

राज्य के पीएसईज द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय नीचे ***चार्ट 1.3*** में दर्शाया गया है:



(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो से संकलित जानकारी)

सर्वाधिक व्यय करने वाली कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड रही, जिसने ₹ 13.66 करोड़ व्यय किए (राज्य के नौ पीएसईज द्वारा कुल सीएसआर व्यय का 85.64 प्रतिशत) तथा दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रही, जिसने ₹ 0.83 करोड़ (5.20 प्रतिशत) व्यय किए ।

1.19.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4(6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय को समग्र सीएसआर निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से बताए जाने वाले उपरिव्यय में बेसलाइन अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के छह पीएसईज ने ***कंडिका 1.19.3*** में चर्चा के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा सीएसआर व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय की कोई राशि शामिल नहीं थी। इस संबंध में शेष दो[26] पीएसई द्वारा कोई जानकारी नहीं प्रदाय की गई।

1.19.7 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कम्पनी (सीएसआर) नियम, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस तरीके से संबंधित है जिससे अधिनियम की धारा 135(1) के तहत सीएसआर गतिविधि की जानी है। बोर्ड सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या कम्पनी द्वारा

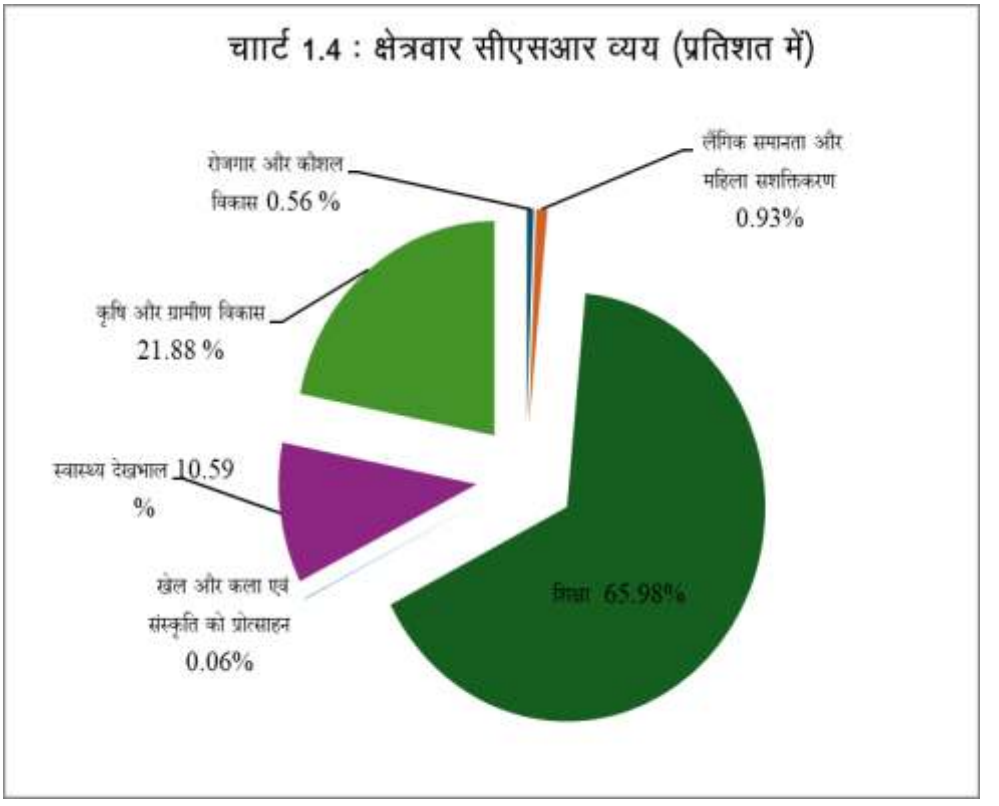
[26] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड।

अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा स्थापित कम्पनी या उसकी होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कम्पनी के माध्यम से करने का निर्णय ले सकता है।

जैसा कि ***कंडिका 1.19.3*** में चर्चा की गई है, राज्य के छह पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों को लागू किया, जिनमें से तीन पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड) ने सीएसआर गतिविधियों को सीधे लागू किया, जबकि अन्य तीन पीएसईज की सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे ट्रस्ट, सोसायटी, सरकारी विभाग, गैर–सरकारी संगठन आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया।

1.19.8 फोकस क्षेत्र

फोकस क्षेत्र नीचे ***चार्ट 1.4*** में दर्शाया गया है:



(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो से संकलित जानकारी)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, शिक्षा क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया (65.98 प्रतिशत)। इस मद में कुल व्यय ₹ 10.53 करोड़ था। अगला सबसे अधिक व्यय (₹ 3.49 करोड़) कृषि और ग्रामीण विकास में हुआ, जो 21.88 प्रतिशत था।

1.19.9 जिलावार सीएसआर व्यय

राज्य के दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ की थीं। 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में 33 जिले थे, जिनमें से 11 जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ की गईं, हालाँकि 10 में से राज्य के छह पीएसईज के राज्य के सभी जिलों में कार्यालय/गतिविधियाँ थीं। इसके अलावा, कुल सीएसआर व्यय का बड़ा हिस्सा

(89.21 प्रतिशत) तीन जिलों (महासमुंद ₹ 5.31 करोड़, कोरबा ₹ 5.13 करोड़ और रायगढ़ ₹ 3.80 करोड़) में केंद्रित था।

1.19.10 निगरानी संरचना

सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति कम्पनी द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के सभी छह पीएसईज, जिन्होंने अपनी सीएसआर नीतियां तैयार की थीं, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) में निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों को प्रभाव आंकलन करने का आदेश दिया गया हैः (i) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनियों; और (ii) ऐसी कंपनियां जिनके पास न्यूनतम ₹ 1.00 करोड़ के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं हैं और जो प्रभाव आकलन करने से एक वर्ष से कम समय पहले पूरी नहीं हुई हैं। प्रभाव आकलन केवल उन मामलों में परियोजनावार किया जाएगा जहां उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अन्य मामलों में, कम्पनी इसे स्वैच्छिक आधार पर ले सकती है।

वर्ष 2022–23 में, राज्य के एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड), जिसे अपनी पूर्ण हो चुकी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना था, ने प्रभाव आंकलन नहीं किया।

1.19.11 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (2) और (4) के साथ धारा 134 (3) (ओ) के अनुसार, किसी कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और उसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना आवश्यक है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगाः

- सीएसआर नीति की सामग्री, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, व्यय न हुई राशि, व्यय न हुई राशि के कारण को प्रकट करना।
- सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कम्पनी के सीएसआर उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी बताते हुए सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक जिम्मेदारी कथन शामिल करें।

यह देखा गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में सीएसआर के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य के 10 पीएसईज में से आठ ने अपनी नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर नीति, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, व्यय न हुई राशि, व्यय न हुई राशि के कारण इत्यादि के बारे में प्रकटीकरण किया है। शेष दो पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड) ने नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, राज्य के सभी 10 पीएसईज के मामले में सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरदायित्व कथन को नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी भी राज्य पीएसई ने रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन नही किया।

1.20 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 की स्थिति में, एक वैधानिक निगम सहित राज्य में 28 पीएसईज थे। इन 28 में से, दो निष्क्रिय पीएसईज हैं। राज्य के 26 कार्यरत पीएसईज में से, केवल 20 पीएसईज (19 कंपनियाँ और एक वैधानिक निगम) पर वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है, जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 तक दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे।

2022–23 के दौरान, राज्य के इन 20 पीएसईज ने ₹ 42,172.73 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 9.22 प्रतिशत के बराबर था। 2022–23 के दौरान राज्य के पीएसईज के कुल टर्नओवर में अकेले विद्युत क्षेत्र के राज्य पीएसई का योगदान 66. 51 प्रतिशत से अधिक है।

31 मार्च 2023 के अंत में राज्य के 28 पीएसईज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों में निवेश ₹ 20,961.61 करोड़ था। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान राज्य के इन पीएसईज की बकाया दीर्घकालिक ऋण ₹ 13,865.19 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,877.90 करोड़ हो गयी।

राज्य के 20 पीएसईज में से 10 के द्वारा वर्ष 2022–23 में अर्जित लाभ ₹ 879.22 करोड़ था, जबकि वर्ष 2021–22 में राज्य के 10 पीएसईज ने ₹ 863.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 109.89 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 71.20 करोड़) ने लाभ में प्रमुख योगदान दिया। राज्य के सात पीएसईज द्वारा किए गए कुल ₹ 1,143.10 करोड़ के नुकसान में से, सर्वाधिक नुकसान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,132.72 करोड़) को हुआ।

वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के 28 पीएसईज में से 25 पीएसईज के लेखें विभिन्न कारणों से बकाया थे (24 सरकारी कंपनियाँ, एक वैधानिक निगम)। राज्य के पीएसईज जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के 25 पीएसईज के 47 लेखें बकाया थे। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त राज्य के 13 पीएसईज के 14 वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की गई और वित्तीय विवरणों में वित्तीय अशुद्धियों को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले ₹ 1,194.79 करोड़ और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹ 1,231.80 करोड़ थीं।

समीक्षा की गई राज्य के 26 पीएसई में से, 25 सार्वजनिक कंपनियाँ थीं, जिनमें से राज्य के 12 पीएसईज को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी थी, हालाँकि, केवल एक पीएसई ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आठ पीएसईज को महिला निदेशकों की नियुक्ति करनी थी, जिनमें से छह पीएसईज के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी।

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, 26 में से 16 पीएसईज ने अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें आयोजित नहीं कीं। इसके अलावा, राज्य के 15 पीएसईज के मामले में दो लगातार बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों से अधिक थी, जो 121 से 367 दिनों के बीच थी।

राज्य के 26 पीएसईज में से 12 पीएसईज को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना था; हालाँकि, केवल दो पीएसईज में लेखापरीक्षा समितियाँ थीं। छह पीएसईज में कोई व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र स्थापित नहीं किया गया था, जिन्हें इस प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यक था।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एक पीएसई द्वारा सीएसआर समिति का गठन नहीं किया गया, जबकि राज्य के चार पीएसईज द्वारा सीएसआर नीति तैयार नहीं की गई। राज्य के नौ पीएसईज में से जिन्हें सीएसआर गतिविधियाँ करने की आवश्यकता थी, केवल छह ने अनुपालन किया। सीएसआर व्यय का फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने (65.98 प्रतिशत) पर था। खेल, कला और संस्कृति, रोजगार और कौशल विकास, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्रों पर कम ध्यान दिया गया। राज्य के 33 जिलों में से 11 में ही सीएसआर व्यय किया गया, जिसमें से व्यय का बड़ा हिस्सा (89.21 प्रतिशत) तीन जिलों में किया गया।

1.21 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार

1. *सभी हानि में चल रहे/ राज्य के निष्क्रिय पीएसईज के कार्य की समीक्षा कर सकती है, और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार/समापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।*
2. *लेखों को अंतिमिकृत करने और बकाया के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।*
3. *लाभ कमाने वाले राज्य के पीएसईज के लिए लाभांश नीति तैयार कर सकती है।*
4. *राज्य के पीएसईज द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।*

अध्याय II

अध्याय II

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 परिचय

शहर, भारत सहित, हर देश की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जनगणना 2011) में 63 प्रतिशत का योगदान देता है। आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचएंडयूए), भारत सरकार (जीओआई) ने जून 2015 में ''स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)'' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरु की, जिसका उद्देश्य शहरों को (क) मुख्य अवसंरचना; (ख) नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता की जीवन; (ग) स्वच्छ और सुस्थिर पर्यावरण; और (घ) स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना हैं।

एससीएम का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास को गति देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। मिशन की अवधि शुरू में पाँच वर्षो (2015–20) के लिए थी जिसे मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

एससीएम के दिशा–निर्देशों के अनुसार, देश भर में एससीएम के कार्यान्वयन के लिए कुल 100 शहरों का चयन किया जाना था। इनमें से छत्तीसगढ़ में तीन शहरों रायपुर (मई 2016), बिलासपुर और नवा रायपुर (जून 2017) का चयन किया गया। तीन चयनित शहरों में मिशन के कार्यान्वयन के लिए, तीन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल), बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल) और नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआरएएनएससीसीएल) सितंबर 2016 और अक्टूबर 2017 में स्थापित किए गए थे।

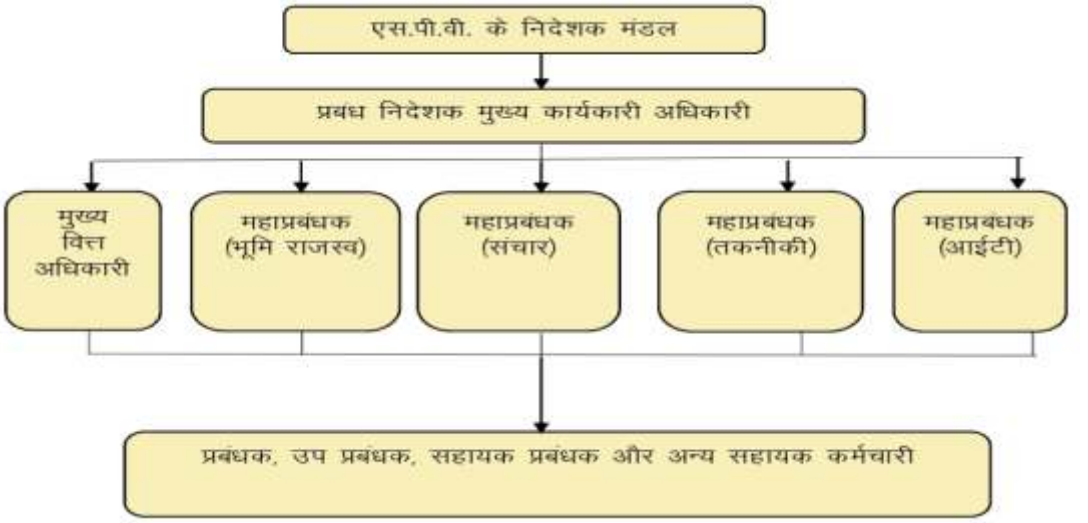
2.1.1 संगठनात्मक संरचना

केंद्रीय स्तर पर, भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन निदेशक मिशन से संबंधित सभी गतिविधियों के समग्र प्रभारी हैं। इसी तरह, राज्य स्तर पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएलएचपीएससी) मिशन कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। शहर स्तर पर, विभिन्न हितधारकों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग के लिए एक स्मार्ट सिटी परामर्शी मंच (एससीएएफ) की स्थापना की जानी थी।

शहरी स्तर पर विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में, तीन चयनित शहरों अर्थात रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में मिशन के कार्यान्वयन के लिए तीन एसपीवी स्थापित किये गये थे। आरएससीएल और बीएससीएल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यूएडीडी) के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और एनआरएएनएससीसीएल आवास और पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य में मिशन के नोडल अधिकारी हैं।

निम्नलिखित संगठनात्मक ***चार्ट 2.1*** कार्यात्मक पदानुक्रम दर्शाता हैः

चार्ट 2.1: एसपीवी के कार्यात्मक पदानुक्रम को दर्शाने वाला संगठनात्मक चार्ट



2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह लेखापरीक्षा निम्न आकलन करने के उद्देश्य से की:

(1) स्मार्ट शहरों के विकास में योजना की पर्याप्तता,

(2) निर्धारित मानदंडों के अनुसार तथा निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(3) वित्तीय प्रबंधन में विवेकशीलता, और

(4) निगरानी, मूल्यांकन और मध्यावधि सुधार के लिए कार्यात्मक तंत्र की उपलब्धता।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित दस्तावेजों से व्युत्पन्न मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया:

- स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देश (जून 2015 में एमओएचएंडयूए, जीओआई द्वारा जारी),
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत स्मार्ट शहरों के स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी),
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रतिवेदन,
- एमओएचएंडयूए द्वारा जारी परामर्श और ज्ञापन,
- कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यसूची/कार्यवृत्त, राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति/स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम की बैठक के कार्यवृत्त, शक्तियों का प्रत्यायोजन, निविदा दस्तावेज, अधिसूचनाएं, भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र और आदेश,
- कार्यों के लिए अनुबंध समझौतों की शर्तें और नियम तथा लागू नियम और आदेश, और
- छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर अनुसूची (एसओआर) एंव कार्य मैनुअल, राज्य सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भंडार और क्रय नियम।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

लेखापरीक्षा जून से सितंबर 2022 के दौरान आयोजित की गई थी और प्रतिवेदन में फरवरी 2024 में मार्च 2023 तक के ऑकडों को अद्यतन किया गया है। लेखापरीक्षा कार्यविधि में 2015–16 से 2022–23 तक की अवधि के लिए सभी तीन एसपीवी यथा आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल के कार्यालयों में नस्तियों/अभिलेखों की जांच (एससीएम जून 2015 में शुरु किया गया था) और एसपीवी के अधिकारियों के साथ कार्य स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल था।

एसपीवी ने ₹ 2,644.44 करोड़ मूल्य के 476 कार्यादेश जारी किए जिनमें से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के 202 आदेशों जिनकी कीमत ₹ 2,482.95 करोड़ (93.89 प्रतिशत) थी, लेखापरीक्षा में जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र और कार्यविधि को समझाने के लिए विभागीय सचिवों और एसपीवी के प्रबंध निदेशकों (एमडी) के साथ 8 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 को आगम बैठक आयोजित की गई थी। प्रारुप प्रतिवेदन फरवरी 2023 में विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग और विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को जारी की गई थी। शासन के जवाबो/विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। एसपीवी के लेखापरींक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए 16 अप्रैल 2024 और 20 जून 2024 को विभागीय सचिवों के साथ निर्गम बैठक आयोजित किया गया था। निर्गम बैठक के बाद सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त उत्तरों को भी प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करती है।

लेखापरीक्षा आपत्तियॉ

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन ने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सड़कें बनाकर, ओवरहेड बिजली के तारों को भूमिगत केबलों में परिवर्तित करके, स्मार्ट लाइब्रेरी आदि और सार्वजनिक स्थानों में सुधार/सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हुए एकीकृत कमांड एंव नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) स्थापित करके महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए। तीनों शहरों में आईसीसीसी के संचालन से बेहतर निगरानी, यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण आदि सुनिश्चित हुए। इसके अलावा, शहरों में सार्वजनिक स्थानों के दृश्य सुधार के लिए उद्यानों के पुनर्विकास, वृक्षारोपण और तालाबों, पोखरों और नदी तट के सौंदर्यीकरण की कई परियोजनाएँ भी शुरू की गईं।

हालाँकि, स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2 योजना और शासन

एससीएम के अन्तर्गत शहरों को क्षेत्र आधारित विकास योजना और पैन–सिटी पहलों के तहत रणनीतिक योजना प्रक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करके स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करना था। राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) के सीईओ ने राज्य स्तर पर एससीएम के कार्यान्वयन के लिए मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया और मिशन निदेशक के समग्र मार्गदर्शन में संबंधित यूएलबी द्वारा एससीपी तैयार किए गए। तीन एसपीवी (आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल) शहरी स्तर पर एससीएम के समग्र कार्यान्वयन और शासन के लिए जिम्मेदार थे।

2.2.1 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की तैयारी

एससीएम दिशानिर्देशों में मुख्य संरचना के रूप में कुछ अनिवार्य विशेषताएं निर्धारित की गई थी जैसे सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, पर्याप्त जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पद यात्री अनुकूल मार्ग आदि और स्मार्ट समाधान जैसे कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइटिंग आदि को एससीपी का हिस्सा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रायपुर और बिलासपुर के एससीपी में वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल ग्रीन बिल्डिंग शामिल नहीं थे। इसके अलावा, एससीपी में शामिल होने के बावजूद, आवश्यक विषेषताऐ से संबंधित कार्य जैसे सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, ऊर्जा कुशल ग्रीन बिल्डिंग और हरित क्षेत्र विकास के तहत किफायती आवास, गैर–वाहन सड़क/जोन, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मीटरिंग, गैर मोटर चालित परिवहन आदि को रायपुर[1], बिलासपुर[2] और नवा रायपुर[3] में एसपीवी द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निष्पादन के लिए नहीं लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एससीपी में प्रस्तावित 175 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं (₹ 353.58 करोड़) विभिन्न आधारों पर छोड़ दी गईं, जैसे कि कार्य के स्वरुप का दोहरीकरण, करने की क्षमता, भूमि की अनुपलब्धता, परियोजनाओं को शुरु करने में असामान्य देरी, कार्यान्वयन चरण के दौरान हितधारकों की अरुचि आदि। यह एससीपी में परियोजनाओं के चयन और इसके कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त योजना और आकलन को इंगित करता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि परियोजनाओं को छोड़ दिया गया क्योंकि या तो इन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की गई थीं या संबंधित विभागों के परामर्श के बाद व्यवहार्य नहीं पाई गईं।

उत्तर से ही संकेत मिलता है कि एससीपी उचित मूल्यांकन, योजना और भागीदारी के बिना तैयार किया गया था।

2.2.2 पूर्णकालिक सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति न होना

एससीएम दिशानिर्देश प्रावधानित करते है कि प्रत्येक एसपीवी का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करेंगे, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के बाद तीन साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना है और उन्हें केवल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (अक्टूबर 2018) परामर्श में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्मार्ट सिटी एसपीवी में पूर्णकालिक सीईओ होने से मंत्रालय का मिशन के त्वरित क्रियान्वयन के प्रयास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की अपेक्षा है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, सीईओ आवश्यक स्टाफ पदों, उनकी योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, मुआवजा, सेवा समाप्ति प्रक्रिया आदि को निर्धारित करते हुए एक मानव संसाधन नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे, जिसे निदेशक मंडल में अनुमोदित किया जाना था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों एसपीवी में से किसी में भी पूर्णकालिक सीईओ की

[1] रायपुर– सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, हरित क्षेत्र विकास के अंतर्गत किफायती आवास और गैर–वाहन सड़कें/क्षेत्र

[2] ऊर्जा कुशल और हरित भवन, हरित क्षेत्र विकास के अंतर्गत किफायती आवास, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मीटरिंग, गैर–वाहन सड़क/क्षेत्र और गैर–मोटर चालित परिवहन (साइकिल ट्रैक)

[3] सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, ऊर्जा कुशल हरित भवन और हरित क्षेत्र विकास एवं स्मार्ट पार्किंग के अंतर्गत किफायती आवास

नियुक्ति नहीं की गई है। संबंधित नगर निगमों के आयुक्तों[4] को एसपीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

- तीनों एसपीवी के निदेशक मंडल ने अपनी पहली/दूसरी बैठक में (सितंबर 2016/अक्टूबर 2016/अगस्त 2018) आरएससीएल[5], बीएससीएल[6] और एनआरएएनएससीसीएल[7] की स्थापना को मंजूरी दी, जिसमें एसपीवी के दैनिक कामकाज के लिए प्रतिनियुक्ति/संविदा/बाह्य स्त्रोत के आधार पर भरे जाने वाले विभिन्न पद शामिल थे। यह देखा गया कि तकनीकी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति करने के बजाय, आरएमसी, बीएमसी और एनआरएएनवीपी के कर्मचारियों को संबंधित एसपीवी के पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके अतिरिक्त तीनों एसपीवी के विभिन्न स्कंधो जैसे प्रशासनिक, वित्त तथा तकनीकी में रिक्तियॉ थी जो कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही थी और तीनों एसपीवी कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे ***(परिशिष्ट–6)***।

एनआरएएनएससीसीएल के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि एसएलएचपीएससी द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार, एनआरएएनएससीसीएल के सीईओ को प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। निर्गम बैठक (जून 2024) में, एसयूडीए के सीईओ ने आरएससीएल और बीएससीएल में पूर्णकालिक सीईओ की तैनाती न होने के तथ्य को स्वीकार किया।

छत्तीसगढ़ शासन के उत्तर में इस मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया, क्योंकि समर्पित सीईओ और अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति में, योजना के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.2.3 एसपीवी में शेयरधारिता पैटर्न

एससीएम दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि एसपीवी को एक सीमित कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया जाएगा और इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और यूएलबी के 50:50 के शेयर होल्डिंग पैटर्न को हर समय बनाए रखा जाना है और एसपीवी की प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹ 200.00 करोड़ होगी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीनों एसपीवी की प्रारंभिक चुकता पूंजी आवश्यक ₹ 200.00 करोड़ की चुकता पूंजी के मुकाबले केवल ₹ 10.00 लाख थी। इसके अलावा, 50:50 शेयर की आवश्यकता के मुकाबले यूएलबी[8] और राज्य सरकार के बीच इक्विटी शेयरहोल्डिंग आरएससीएल और बीएससीएल के मामले में, 14:86 थी और एनआरएएनएससीसीएल के मामले में यह 29:71 थी। इस प्रकार, एसपीवी के शेयरधारिता पैटर्न योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

4 नवा रायपुर शहर में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं होने के कारण एनआरएएनवीपी के सीईओ को एनआरएएनएससीसीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

5 सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), महाप्रबंधक (भूमि राजस्व), महाप्रबंधक (इंजी.टेक), महाप्रबंधक (संचार), महाप्रबंधक/(आईटी), महाप्रबंधक सह कम्पनी सचिव आदि।

6 सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), महाप्रबंधक (भूमि राजस्व), महाप्रबंधक (इंजी.टेक), महाप्रबंधक (संचार), महाप्रबंधक/(आईटी), महाप्रबंधक सह कम्पनी सचिव आदि।

7 सीईओ, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक, कम्पनी सचिव, उप महाप्रबंधक (वित्त/भूमि राजस्व), सहायक प्रबंधक आदि।

8 नवा रायपुर में कोई यूएलबी न होने के कारण एनआरएएनवीपी के पक्ष में शेयर

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि आरएससीएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का अनुपालन किया गया है। बीएससीएल के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि विभिन्न प्राधिकारो द्वारा रखे गए शेयर न केवल यूएलबी की ओर से हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ शासन और यूएलबी दोनों के लिए हैं और इसे 50:50 के अनुपात में माना जाना चाहिए। चुकता पूंजी के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि ₹ 200 करोड़ की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता सांकेतिक है और एसपीवी की आवश्यकता पर निर्भर करती है। एनआरएएनएससीसीएल के संबंध में, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि नवा रायपुर शहर में कोई यूएलबी नहीं है, इसलिए 50:50 अनुपात अव्यवाहारिक है और इसलिए इसका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, शेयरहोल्डिंग पैटर्न को जल्द ही अपडेट किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीएससीएल के मामले में, यूएलबी के आयुक्त, जो बीएससीएल के सीईओ भी हैं, एसपीवी के निदेशक मंडल (बीओडी) में हैं, जिनके पास केवल 14.29 प्रतिशत शेयर हैं। इसलिए, यह तर्क कि राज्य सरकार और यूएलबी के बीच शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है, सही नहीं है। इसके अलावा, न्यूनतम चुकता पूंजी के संबंध में, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएम दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एसपीवी की न्यूनतम चुकता पूंजी ₹ 200 करोड़ होगी।

2.3 वित्तपोषण व्यवस्था

एससीएम के तहत परियोजनाओं को भारत सरकार से अनुदान और राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अनुदान यानी एससीएम फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। इसके अलावा, अन्य सरकारी योजना के साथ अभिसरण (अभिसरण) और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से भी धन की व्यवस्था की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के तीन शहरों के लिए एससीपी की कुल परियोजना लागत ₹ 9,627.70 करोड़ थी। एससीपी की कुल परियोजना लागत को एससीएम, अभिसरण एव पीपीपी के माध्यम से क्रमशः ₹ 2534.30 करोड़, ₹ 2205.00 करोड़ एवं ₹ 4888.40 करोड़ में वित्त पोषित किया जाना था।

2.3.1 एससीएम निधि की उपलब्धता

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार प्रथम वर्ष में एससीएम के लिए प्रति शहर ₹ 200 करोड़ और उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय के लिए एएंडओई के लिए 2 प्रतिशत की कटौती के बाद अगले तीन वर्षों के लिए प्रति शहर औसतन ₹ 100 करोड़ प्रदान करेगी। राज्य सरकार और संबंधित यूएलबी मिलकर भारत सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने पर समतुल्य राशि का योगदान करेंगे। 2015–23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, एसपीवी को जारी किए गए अनुदान और राज्य में चयनित तीन एसपीवी द्वारा किए गए व्यय का विवरण ***तालिका 2.1*** में दिया गया है:

तालिका 2.1: तीनों एसपीवी द्वारा प्राप्त अनुदान और किए गए व्यय का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

एसपीवी	प्रतिबद्ध निधि	कुल निविदा राशि (कार्य की संख्या)	छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार से प्राप्त हुआ अनुदान	भारत सरकार का अंश एसपीवी को प्रेषित	छत्तीसगढ़ शासन का अंश	कुल उपलब्ध निधि	मार्च 2023 तक व्यय	उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9
आरएससीएल	980	862.26 (313)	392	392.00	396.00	788	514.06	65
बीएससीएल	980	853.80 (113)	245	245.00	201.00	446	435.00	98
एनआरएएनएससीसीएल	980	928.38 (50)	243	224.50	224.50	449	264.06	59
कुल	**2,940**	**2,644.44 (476)**	**880**	**861.50**	**821.50**	**1,683**	**1,213.12**	

(स्रोतः एसपीवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि–

- जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ शासन ने एसपीवी को भारत सरकार के अनुदान के साथ–साथ अपनी समतुल्य हिस्सेदारी भी ₹ 81 करोड़[9] से कम जारी की। एसपीवी द्वारा उपलब्ध धनराशि के कम उपयोग के कारण भी भारत सरकार के अनुदान में कटौती की गई, जिसका कारण तीन वर्षों (2015–16 से 2017–18) में धीमी शुरुआत और उसके बाद कार्यों के आवंटन/अनुबंधों के निष्पादन में विलंब, ठेकेदारों को साफसुथरा कार्यस्थल उपलब्ध कराने में असमर्थता, कार्यों के स्वरुप में बार–बार बदलाव आदि थे।
- भारत सरकार के अनुदान जारी करने के आदेशों के अनुसार, राज्य को भारत सरकार का अनुदान प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर समतुल्य राज्य अनुदान के साथ अनुदान जारी करना चाहिए। इस बीच, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत फंड जारी करने की प्रक्रिया और एसएनए के माध्यम से जारी फंड के उपयोग की निगरानी के संबंध में 23 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसे फरवरी 2022 में स्मार्ट सिटीज मिशन पर लागू किया गया। इसके अलावा, एमओएफ ने कहा कि प्राप्त केंद्रीय हिस्सा संबंधित एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में 21 दिनों की अवधि के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और राज्य का संबंधित अंश केंद्रीय अंश जारी होने के 40 दिनों के बाद जारी नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार का अनुदान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों से 10 दिनों से 1,315 दिनों के बीच की देरी से जारी किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि बजट की कमी और प्रक्रियाओं के कारण देरी हुई और भविष्य में समय पर निधि हस्तांतरण का आश्वासन दिया।

[9] आरएससीएल–₹ 0 करोड़, बीएससीएल–₹ 44 करोड़ और एनआरएएनएससीसीएल–₹ 37 करोड़

2.3.2 विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के लिए राजस्व का सतत स्रोत

एससीएम दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य/यूएलबी यह सुनिश्चित करेंगे कि एसपीवी को एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छत्तीसगढ़ शासन/यूएलबी ने एसपीवी के लिए राजस्व का एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व स्रोत सुनिश्चित नहीं किया। एससीपी के अनुसार, विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से भविष्य में ₹ 11,270.97 करोड़ का राजस्व अर्जित होने का अनुमान था, जिसमें से ₹ 5,733.36[10] करोड़ पीपीपी परियोजनाओं से प्राप्त होना था। तीनों शहरों के एससीपी में, ₹ 4,888.40 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को पीपीपी के तहत शुरू करने का प्रस्ताव था। हालांकि, आरएससीएल द्वारा स्मार्ट पार्किंग परियोजना को छोड़कर एसपीवी द्वारा पीपीपी मोड के तहत कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है। एसपीवी द्वारा ली गई एकमात्र परियोजना को अंतिम रूप से निष्पादित नहीं किया गया था। जीएमआईएस पोर्टल के अनुसार, एसपीवी और अन्य एजेंसियों द्वारा पीपीपी और अन्य स्रोतों से रायपुर में ₹ 366.97 करोड़ मूल्य की परियोजनाएँ कराया जाना दिखाया है।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लिए, छत्तीसगढ़ शासन/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व सृजन हेतु नीति अभी भी बनाई जानी है। ऐसी नीति के अभाव में, आरएससीएल में वेंडिंग जोन परियोजना (युवा केंद्र) से प्राप्त ₹ 28 लाख (31 मार्च 2023) के अतिरिक्त, किसी भी स्मार्ट सिटी परियोजना से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, जीएमआईएस पोर्टल पर, बीएससीएल द्वारा पीपीपी मोड के तहत ₹ 632.35 करोड़ की परियोजनाओं को किया जाना दर्शाया गया है, हालाँकि, इनमें से किसी भी परियोजना को बीएससीएल द्वारा अंतिम रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में तीन एसपीवी ने मार्च 2023 तक ₹ 709.95 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ सृजित करते हुए 295 कार्य पूर्ण किए। वर्तमान में एसपीवी एससीएम फंड के माध्यम से इन संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मामलों के मंत्रालय के 19 जनवरी 2022 के पत्र के अनुसार, एसपीवी उन परियोजनाओं के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) का प्रावधान करेंगे जिनके अनुबंध में ओ एंड एम घटक है और जो मिशन की समाप्ति तिथि यानी जून 2023 (जिसे मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया था) से आगे तक विस्तारित है। तदनुसार, एसपीवी ने ₹ 151.47 करोड़ की राशि का ओ एंड एम प्रावधान किया।

इसके अलावा, एससीएम दिशानिर्देशों ने छत्तीसगढ़ शासन और यूएलबी को नगर परिषद के अधिकारों और दायित्वों का प्रत्यायोजन, यूएलबी को उपलब्ध, निर्णय लेने की शक्तियां सौपने आदि के माध्यम से सशक्त एसपीवी बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे एसपीवी को उपयोगकर्ता शुल्क, कर, अधिभार आदि जैसे स्रोतों से धन प्राप्त करने में भी मदद मिलती। हालाँकि, एसपीवी के संचालन को सतत् बनाने के लिए भविष्य के राजस्व स्रोत को सुदृढ़ करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। इस प्रकार, मिशन और संचारण एवं संधारण अवधि पूरी होने के बाद, एसपीवी के राजस्व के सतत स्रोत के अभाव में इन परिसंपत्तियों के संचारण एवं संधारण का मुद्दा उठेगा।

बीएससीएल ने अपने जवाब में कहा (अगस्त 2025) कि बीएससीएल का वर्तमान अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 60 से 72 लाख के बीच है। इस आवश्यकता के विरुद्ध, बीएससीएल ने पार्किंग, किराये की सेवाएँ, प्रवेश शुल्क, विज्ञापन आदि जैसी कई राजस्व सृजन परियोजनाएँ विकसित

[10] आरएससीएल में यह पीपीपी से अर्जित राजस्व का 70 प्रतिशत होना था और बीएससीएल के मामले में यह पीपीपी से अर्जित राजस्व का 75 प्रतिशत होना था, शेष राजस्व रियायतग्राही द्वारा रखा जाना था।

कीं और इन परियोजनाओं से कुल अनुमानित वार्षिक राजस्व ₹ 1.05 करोड़ है। इस प्रकार, बीएससीएल अपने आवर्ती व्यय को आराम से वहन कर सकता है।

जबकि, आरएससीएल ने कहा (अगस्त 2025) कि प्रत्यक्ष राजस्व सृजन अब तक यूथ हब (वेंडिंग जोन) जैसी पहलों तक सीमित रहा है, जिसने आत्मनिर्भर मॉडल बनाने की दिशा में आरएससीएल के प्रयासों को प्रदर्शित किया है। कम्पनी लगातार पीपीपी मॉडल और परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग सहित वैकल्पिक वित्तीय तंत्र की खोज कर रही है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि छत्तीसगढ़ शासन को एसपीवी के लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व स्रोत स्थापित करने हेतु एक नीति का विकास और कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है ताकि उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

2.3.3 एससीएम फंड का विचलन

आरएससीएल को विभिन्न कार्यों के लिए अन्य विभागों/प्राधिकरणों से ₹ 19.71 करोड़ प्राप्त हुए और कार्यों के निष्पादन पर ₹ 26.58 करोड़ खर्च हुए। आरएससीएल ने उन विभागों से शेष राशि ₹ 6.87 करोड़ की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप, आरएससीएल को शेष व्यय के लिए एससीएम फंड का उपयोग करना पड़ा। इस प्रकार, एससीएम फंड का विचलन उन कार्यों के लिए किया गया, जिनका वित्तपोषण मूल रूप से एससीएम निधि से नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद (जुलाई 2022), आरएससीएल ने इस प्रकरण को विभागों/प्राधिकरणों के साथ आगे बढ़ाया तथा ₹ 4.81 करोड़ की वसूली की।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों/प्राधिकरणों से व्यापक पत्राचार किया गया। निर्गम बैठक (जून 2024) में, आरएससीएल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि विभागों/प्राधिकरणों से ₹ 6.87 करोड़ में से ₹ 4.81 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही एससीएम फंड की वसूली के लिए विभागों/प्राधिकरणों से पत्राचार किया था। इससे पता चलता है कि आरएससीएल ने राशि की वसूली के लिए कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, शेष राशि की वसूली अभी भी लंबित है।

2.4 परियोजना कार्यान्वयन

स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों में दो प्रकार की परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी, अर्थात् क्षेत्र आधारित विकास (एबीडी) और पैन सिटी स्मार्ट समाधान (पैन)। एबीडी एक दृष्टिकोण है जिससे की शहर के एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करे जिसे 'स्मार्ट' क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें एससीएम दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी आवश्यक विशेषताएं/तत्व शामिल हो। पैन सिटी स्मार्ट समाधान अतिरिक्त विशेषताएं हैं जो शहर में प्रदान की जानी हैं। दिशानिर्देशों में स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है जिसमें मौजूदा शहरव्यापी अवसंरचना में प्रौद्योगिकी, डेटा और सूचना का उपयोग शामिल है। तीनों एसपीवी ने एससीएम के तहत 476 कार्य आदेश (एबीडी–291 और पैन–185) जारी किए।

आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल द्वारा 31 मार्च 2023 तक एससीएम के तहत निष्पादित परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति ***तालिका 2.2*** में दी गई है:

तालिका 2.2: तीन एसपीवी की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समग्र स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स	एसपीवी का नाम	एससीपी के अनुसार परियोजनाओं की कुल लागत (परियोजनाओं की संख्या)	जारी किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	प्रदान की गई/संशोधित लागत (एससीपी से प्रतिशत)	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	प्रगतिशील कार्यों की संख्या	व्यय (एससीपी से प्रतिशत)
1.	आरएससीएल	3,939.40 (64)	313	862.26 (22)	249 (80)	64 (20)	514.06 (13)
2.	बीएससीएल	4,009.60 (66)	113	853.80 (21)	37 (33)	76 (67)	435.00 (11)
3.	एनआरएएनएससीसीएल	1,678.70 (45)	50	928.38 (55)	9 (18)	41 (82)	264.06 (16)
कुल		**9,627.70 (175)**	**476**	**2,644.44**	**295**	**181**	**1213.12**

(स्रोतः एसपीवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

एससीपी के तहत कुल 175 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी अनुमानित लागत ₹ 9,627.70 करोड़ है। इनमें से 476 कार्य आदेश जारी किए गए। मार्च 2023 तक, केवल 295 कार्य (लगभग 62 प्रतिशत) पूरे हुए हैं, जबकि 181 कार्य प्रगति पर हैं। प्रदान की गई कार्य की लागत ₹ 2,644.44 करोड़ थी, जो कुल नियोजित लागत का लगभग 27 प्रतिशत है। कुल लागत की तुलना में प्रदान की गई कार्य का कम लागत का कारण मुख्य रूप से पीपीपी मोड के तहत ₹ 4886.80 करोड़ की नियोजित परियोजनाओं को शुरू न करना है। इस बीच, वास्तविक व्यय ₹ 1,213.12 करोड़ रहा, जो प्रदान की गई कार्यो की लागत का 46 प्रतिशत और कुल परियोजना लागत का 13 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों शहरों की एससीपी में कुल 175 परियोजनाएँ शामिल थीं। एसपीवी ने अपनी एससीपी में शामिल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 476 कार्यादेश जारी किए, लेकिन ये कार्य आदेश एससीपी की विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़े नहीं थे। इसलिए, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सकी कि एससीपी में शामिल परियोजनाएँ 31 मार्च 2023 तक पूर्ण हुईं या नहीं। इस रिपोर्ट में एससीएम की प्रगति की चर्चा एसपीवी द्वारा जारी इन कार्य आदेशों के संदर्भ में की गई है।

2.4.1 अन्य विभागों की योजना के साथ अभिसरण

एससीएम दिशानिर्देश स्मार्ट सिटी मिशन के साथ अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण की परिकल्पना करते हैं। नियोजन चरण में ही, शहरों को एससीपी में अमृत, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), कौशल विकास आदि के साथ अभिसरण प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन के साथ अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण प्राप्त करने की कोशिश करके बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर शहर के एससीपी में, ₹ 2,205.00 करोड़[11] मूल्य की परियोजनाओं को अभिसरण के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 522.04 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को एसपीवी द्वारा निष्पादन के लिए नहीं

[11] रायपुर– ₹ 899.52 करोड़, बिलासपुर– ₹ 1005.08 करोड़ और नवा रायपुर– ₹ 300.40 करोड़

लिया जा सका, जिससे एससीएम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभिसरण के लाभों की प्राप्ति सीमित हो गई।

इसके अतिरिक्त, आरएससीएल और बीएससीएल ने भू–स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) पोर्टल पर दर्शाया था कि ₹ 1,402.40 करोड़ की लागत वाले 34 कार्य[12] अभिसरण के माध्यम से किए गए थे। जबकि एनआरएएनएससीसीएल ने अभिसरण के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिसरण के माध्यम से दर्शाये गए 34 कार्यों में से आरएससीएल का एक कार्य अर्थात 24×7 बिजली आपूर्ति, जिसकी लागत ₹ 32.90 करोड़ है, स्मार्ट सिटी मिशन (जून 2015) के शुभारंभ से पहले (अप्रैल 2013) शुरू किया गया था और बीएससीएल के दो कार्य अर्थात भूमिगत बिजली वायरिंग और बृहस्पति बाजार का पुनर्विकास, जिसकी लागत ₹ 401.92 करोड़ है, मार्च 2023 तक कार्यान्वयन के लिए शुरू नहीं किए गए थे। इस प्रकार, एसपीवी ने जीएमआईएस पोर्टल पर अभिसरण के माध्यम से किए गए कार्यों के संबंध में गलत प्रतिवेदन दी तथा लेखापरीक्षा उससे पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

आरएससीएल और बीएससीएल के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि अभिसरण के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन अन्य संगठनों/विभागों द्वारा किया जा रहा है। जबकि, एनआरएएनएससीसीएल के मामले में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि एनआरएएनएससीसीएल ने शुरुआत में अवसंरचना के विकास पर जोर दिया था, लेकिन समय के साथ, एससीपी के तहत परिभाषित समान कार्यों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरएएनवीपी) द्वारा लिया गया और उनके द्वारा किर्यान्वित किया गया। एनआरएएनएससीसीएल ने आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया है और हितधारकों के साथ परामर्श कर, बोर्ड के अनुमोदन के बाद संशोधित प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। भविष्य में एनआरएएनएससीसीएल एससीपी में परिभाषित अभिसरण परियोजनाओं को जोड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन का जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि एसपीवी अनुमोदित एससीपी के अनुसार अभिसरण के माध्यम से सभी कार्यों को नहीं कर सका।

2.4.2 क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

क्षेत्र–आधारित विकास (एबीडी) एक दृष्टिकोण है जिससे शहर के उस क्षेत्र की पहचान करे जिसे 'स्मार्ट' क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें एससीएम के दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी आवश्यक विशेषताएँ/तत्व शामिल हो। इसका उद्देश्य सघन क्षेत्रों पर विचार करके एक अनुकरणीय मॉडल तैयार करना है जो अन्य आकांक्षी शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा। एससीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, एससीएम में क्षेत्र–आधारित विकास के 'रणनीतिक घटक' हैं: (i) शहर सुधार (रेट्रोफिटिंग), (ii) शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास), और (iii) शहर विस्तार (हरितक्षेत्र विकास), या इनका मिश्रण।

एबीडी के लिए रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण, उनमें परियोजनाओं की स्थिति और उनके कार्यान्वयन के निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

[12] आरएससीएल– 23 कार्य जिनकी लागत ₹ 454.71 करोड़ है और बीएससीएल– 11 कार्य जिनकी लागत ₹ 947.69 करोड़ है।

2.4.2.1 एबीडी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति

राज्य के आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं[13] की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण मार्च 2023 तक ***तालिका 2.3*** में दिया गया है:

तालिका 2 3: क्षेत्र आधारित विकास में किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

चयनित शहरों के नाम	जारी किए गए कार्यादेशों की कुल संख्या (मूल्य)	प्रगति का चरण (मार्च 2023 तक)			
		पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या (प्रतिशत में)	प्रगतिशील कार्यों की संख्या (प्रतिशत में)	व्यय हुये	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या (प्रतिशत में)
रायपुर	176 (539.77)	141 (80)	35 (20)	238.46	44
बिलासपुर	78 (478.14)	23 (29)	55 (71)	275.66	58
नवा रायपुर	37 (626.03)	6 (16)	31 (84)	103.92	17
कुल	**291 (1,643.94)**	**170 (58)**	**121 (42)**	**618.04**	**38**

(स्रोत: एसपीवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मार्च 2023 तक पूर्ण किए गए कार्यों का कुल प्रतिशत, तीनों एसपीवी द्वारा एबीडी के अंतर्गत किए गए कार्यों की संख्या के मुकाबले 58 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय उपलब्धि आवंटित कार्यों की लागत का 38 प्रतिशत थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि एससीएम निधि के अंतर्गत परियोजनाए मिशन अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जाएँगी। एनआरएएनएससीसीएल के मामले में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि एनआरएएनएससीसीएल को 20 मार्च 2024 तक भारत सरकार के अंश के रूप में ₹ 420.38 करोड़ और छत्तीसगढ़ सरकार के अंश के रूप में ₹ 362.38 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से ₹ 601.96 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

2.4.2.2 एबीडी क्षेत्र से बाहर की परियोजनाएँ

एससीएम दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन में एबीडी के रणनीतिक घटक शहर सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास) हैं, जिन्हें नागरिकों के परामर्श के बाद शहरों द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट क्षेत्र में किया जाना है। शहर विस्तार (हरितक्षेत्र विकास) और एक पैन–सिटी पहल, जिसमें स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं, की परियोजनाएँ शहर के बड़े हिस्से को कवर कर सकती हैं। सितंबर 2018 में आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा जारी 13 वें परामर्श द्वारा एबीडी क्षेत्र से बाहर परियोजनाएँ प्रारम्भ करना अनुमत नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 291 कार्यों में से, एसपीवी ने एबीडी क्षेत्र के बाहर 40 कार्य निष्पादित किए जो पार्कों/उद्यानों के पुनर्विकास/सौंदर्यीकरण, साइकिल ट्रैक के निर्माण,

[13] कंपनियों ने अपने एससीपी में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कई कार्य आदेश जारी किए। इन कार्य आदेशों को अलग–अलग परियोजनाओं के रूप में माना गया है और जीएमआईएस में इसी रूप में दर्शाया गया है।

वृक्षारोपण आदि से संबंधित थे। ये कार्य रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास से संबंधित थे और इन्हें एबीडी क्षेत्र के बाहर नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह एससीएम दिशानिर्देशों/ परामर्श का उल्लंघन था।

मार्च 2023 तक इन कार्यों का विवरण ***तालिका 2.4*** में दिया गया है।

तालिका 2.4: एबीडी क्षेत्र के बाहर की गई परियोजनाओं का विवरण

एसपीवी का नाम	कुल कार्यादेश	प्रदत्त लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण		प्रगतिशील	
			कार्यों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)	कार्यों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
आरएससीएल	22	91.98	14	47.13	8	21.17
बीएससीएल	2	93.69	0	0	2	85.06
एनआरएएनएससीसीएल	16	207.44	1	6.94	15	25.29
कुल	**40**	**393.11**	**15**	**54.07**	**25**	**131.52**

(स्रोतः एसपीवी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आँकड़ें)

आरएससीएल के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि परियोजनाएं एससीएम दिशानिर्देशों के क्लॉज 2.4 के अनुसार हैं, जहां शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पानी की आपूर्ति, बिजली, स्वच्छता आदि जैसे मुख्य अवसंरचना को लिया जाना था। जबकि, बीएससीएल के मामले में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि ये परियोजनाएं इसलिए ली गईं क्योंकि ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थीं और नागरिकों को काफी लाभ पहुंचाएंगी। एनआरएएनएससीसीएल के मामले में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि नवा रायपुर एक विकासशील शहर है और अवसंरचना का विकास शहर की योजना की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है। अधिकांश आवासीय क्षेत्र और आबादी शहर के एबीडी क्षेत्र से बाहर स्थित है। इस प्रकार, एबीडी क्षेत्र के लिए परिभाषित परियोजनाओं को परामर्शी –13 और एससीएम दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.4 और 5.2 के अनुसार पैन क्षेत्र में भी लिया गया था। इन परियोजनाओं में आईसीटी घटक उपलब्ध हैं तथा कुछ परियोजनाएं आंशिक रूप से एबीडी क्षेत्र से बाहर हैं।

आरएससीएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कोई भी कार्य जल आपूर्ति और विद्युत से संबंधित नहीं था। आरएससीएल द्वारा किए गए अधिकांश कार्य झीलों के पुनर्विकास और वृक्षारोपण आदि से संबंधित थे। एकमात्र कार्य जो मूल अवसंरचना का बताया गया वह स्थानीय तालाब के पुनरुद्धार हेतु नरैया तालाब में एसटीपी की स्थापना का था और अन्य सभी कार्य मुख्यतः रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास से संबंधित थे, जो केवल एबीडी क्षेत्र में ही किए जाने थे।

बीएससीएल के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य चिह्नित एबीडी क्षेत्र के बाहर थे। इसके अलावा, एनआरएएनएससीसीएल के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परामर्शी 13, परियोजनाओं जिनके कुछ हिस्से एबीडी क्षेत्र के बाहर हैं को शुरू करने पर रोक लगाती है, जब तक कि कार्य का उद्देश्य पहले मील/अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए न हो। हालाँकि, एनआरएएनएससीसीएल में एबीडी क्षेत्र के बाहर शुरू की गई परियोजनाएँ इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करती हैं।

2.4.2.3 निर्मित अवसंरचना का उपयोग न करना

2.4.2.3 (क) रायपुर शहर में रेंट–ए–साइकिल योजना' परियोजना के तहत निर्मित साइकिल ट्रैक का उपयोग न करना

शहर में गैर–यंत्रीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए, आरएससीएल ने रायपुर के गौरव पथ पर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर का कार्य करने का निर्णय लिया। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में साइकिल खड़ा करने के लिए पार्किंग स्टेशन, पिक एंड ड्रॉप के लिए बस स्टॉप, बेंच और भूपरिदृष्य जैसे विभिन्न घटकों का निर्माण किया जाना था।

आरएससीएल ने ₹ 1.16 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक के निर्माण का कार्य सौंपा (सितंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएससीएल द्वारा विभिन्न अन्य घटकों, जैसे साइकिल खड़ी करने के लिए पार्किंग स्टेशन, पिक एंड ड्रॉप के लिए बस स्टॉप, बेंच और लैंडस्केपिंग, पर काम जैसा कि व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिकल्पित था, नहीं किया। साइकिल खड़ी करने के लिए पार्किंग स्टेशन के घटक जनता को साइकिल किराए पर लेने और वापस करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि भूपरिदृष्य से ट्रैक की सुंदरता और स्वरूप में सुधार होता है। सभी घटकों को न लेने के कारण, साइकिल ट्रैक उपयोगी साबित नहीं हुआ और इसलिए, इसका उपयोग जनता द्वारा नहीं किया जा रहा था। फलस्वरुप, विक्रेताओं द्वारा साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण कर लिया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए ट्रैक के चित्र नीचे दिए गए हैं:





(20 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीरें)

फोटोग्राफ संख्या 2.1 में विक्रेताओं द्वारा किया गया अतिक्रमण दिखाया गया है

फोटोग्राफ संख्या 2.2 में पार्किंग के लिए साइकिल ट्रैक का उपयोग और बोलार्ड गायब दिखाया गया है

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि यह योजना अभी परिपक्व नहीं हुई थी और आरएससीएल फिर भी इस योजना को प्रोत्साहित किया। जिसका उपयोग अपनी साइकिल से यात्रा करने वाले नागरिक कर रहे थे। यह भी कहा गया कि यूएलबी की मदद से साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन का यह भी मत था कि परियोजना को पायलट आधार पर लागू किया गया था जो सफल नहीं रही, किन्तु नागरिकों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल ने पायलट आधार पर सफलता का आकलन करने के लिए परियोजना को समग्रता में नहीं लिया जैसा कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन में परिकल्पित था। परियोजना के अन्य घटकों का क्रियान्वयन न होने के कारण, साइकिल ट्रैक का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इसलिए, इस परियोजना के माध्यम से शहर में गैर–यंत्रीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

2.4.2.3 (ख) रायपुर शहर में ई–शौचालय और बस आश्रय का संचालन न होना

आरएससीएल ने नागरिकों को स्वस्थ रखने और शहर में स्वच्छता एवं सफाई बनाए रखने के उद्देश्य से उचित स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली वाले सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, आरएससीएल ने (जून 2018) ₹ 2.60 करोड़ की लागत से उचित स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली वाले सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य सौंपा, जिसकी पूर्णता अवधि तीन महीने अर्थात 21 सितंबर 2018 तक और दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) दो वर्ष थी, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2.23 करोड के लागत से 32 ई–शौचालय और सात बस आश्रय का निर्माण (4 नवंबर 2019) किया गया। आरएससीएल ने पाया कि ई–टॉयलेट और बस आश्रय की अधिकांश इकाइयाँ सुचारू रूप से काम नहीं कर रही थीं और स्थापना के तुरंत बाद ठेकेदार को सुधार के लिए नोटिस (दिसंबर 2019) जारी किए। हालाँकि, डीएलपी के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा इसे ठीक नहीं किया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई–शौचालय में सिक्का स्वीकार करने की सुविधा, आपातकालीन निकास और स्क्रॉलिंग डिस्प्ले काम नहीं कर रहे थे। ठेकेदार द्वारा अक्रियाशील ई–शौचालय (एलईडी संकेतक, सिक्का स्वीकार करने की सुविधा, ई–शौचालय में आपातकालीन निकास और स्क्रॉलिंग डिस्प्ले आदि) को ठीक न करने के परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक सभी 32 ई–शौचालय के स्मार्ट फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। डीएलपी अवधि के बाद, आरएससीएल ने शौचालयों के स्मार्ट फीचर्स को ठीक करने और शौचालयों को चालू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

परिणाम स्वरूप ₹ 1.50 करोड़ (₹ 2.23 करोड़ – ₹ 0.73 करोड[14]) का निष्फल व्यय हुआ। भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए ई–शौचालय के चित्र नीचे दिए गए हैं:





(05 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीरें)

फोटोग्राफ संख्या 2.3 में जनता द्वारा अतिक्रमण दिखाया गया है अक्षांशः $21^0$15'1" उत्तर, देशांतरः $81^0$38'46"पूर्व

फोटोग्राफ संख्या 2.4 से पता चलता है कि ई–शौचालय चालू हालत में नहीं है। अक्षांशः $21^0$15'1" उत्तर, देशांतरः $1^0$38'46"पूर्व

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि अनुबंध दिसंबर 2022 में रद्द कर दिया गया था और ठेकेदार से सुरक्षा जमा, ईएमडी और शेष देय राशि सहित ₹ 72.50 लाख की राशि वसूल कर ली गई है। इसके अलावा, सभी 6 स्थानों पर स्थापित ई–स्मार्ट शौचालय इकाइयों का संचालन और संधारण एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा रहा है और जनता द्वारा बिना किसी असुविधा के उपयोग किया जा रहा है।

[14] आरएससीएल द्वारा जब्त की गई सुरक्षा जमा राशि, ईएमडी और शेष बकाया राशि

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ये शौचालय स्मार्ट फीचर्स के बिना काम कर रहे थे, जैसे कि एलईडी संकेतक, सिक्का स्वीकृति, स्क्रॉलिंग डिस्प्ले, आपातकालीन निकास आदि, जो कि एससीएम के तहत अपेक्षित थे।

2.4.2.3 (ग) रायपुर शहर में "ग्रे टू ग्रीन रायपुर" परियोजना का कार्यान्वयन

आरएससीएल ने शहर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से "ग्रे टू ग्रीन रायपुर" योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, आरएससीएल ने (सितंबर 2019) दक्षिणी क्षेत्र, रायपुर में ₹ 1.40 करोड़ मूल्य के 5,000 वृक्षारोपण का कार्य सौंपा। अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को रोपित वृक्षों को दो वर्षों तक संरक्षित रखना था। यह पाया गया कि दक्षिणी क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा वास्तव में केवल 4,414 वृक्ष ही लगाए गए और इनमें से 2070 पौधे मृत पाए गए (मई 2021) जिन्हें ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन वृक्षों के संबंध में आरएससीएल द्वारा किया गया ₹ 40.56[15] लाख का व्यय सार्थक नहीं हुआ। साथ ही, मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित न किए जाने के कारण हरियाली बढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं हो सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने (अप्रैल 2023) बताया कि ठेकेदार की आकस्मिक मृत्यु (मई 2021) के कारण पुनः वृक्षारोपण संभव नहीं था। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी प्रपत्र–बी के क्लॉज 37 के अनुपालन में, अनुबंध समाप्त कर दिया गया और ₹ 37.06 लाख की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कथित जब्त की गई ₹ 37.06 लाख राशि वास्तव में ठेकेदार को दो वर्षों तक वृक्षों के संचालन एवं संधारण के लिए देय राशि थी, न कि सुरक्षा राशि।

2.4.2.3 (घ) बूढ़ा तालाब में 3 एमएलडी एसटीपी परियोजना पर ₹1.26 करोड़ का निष्फल व्यय

आरएससीएल ने बूढ़ा तालाब में ₹ 17.90 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (3 एमएलडी) के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य मेसर्स बीएचईएल (ठेकेदार) को (27 फरवरी 2019) सौंपा, जिसमें तीन महीने का ट्रायल रन और पूर्ण होने के पश्चात पाँच साल की दोष दायित्व अवधि सहित 10 वर्षों तक संपूर्ण प्रणाली का संचालन और संधारण शामिल था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हितधारकों के परामर्श के बिना ही कार्य आवंटित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, परियोजना के विरुद्ध जनाक्रोश के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही क्योंकि उन्होंने परियोजना स्थल पर स्थानीय लोगों के लिए खेल का मैदान/उद्यान बनाने की मांग की थी। उपरोक्त कारणों से ठेकेदार द्वारा डिजाइन, ड्राइंग और प्लिंथ स्तर तक संरचना के निर्माण यानी मार्किंग, खुदाई, पीसीसी और बॉटम राफ्ट पर ₹ 1.26 करोड़ खर्च करने के बाद निर्माण स्थल पर कार्य रोक दिया गया (8 दिसंबर 2019)। इसके पश्चात, आरएससीएल और ठेकेदार की आपसी सहमति से अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (सितंबर 2022)। पूर्व समापन की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ने मोबिलाइजेशन अग्रिम के रुप मे प्राप्त राशि (₹ 1.79 करोड़) से ₹ 1.26 करोड़ के भुगतान को समायोजित किया और शेष राशि आरएससीएल को वापस कर दी। इसके अतिरिक्त, आपसी सहमति के अनुसार, आरएससीएल अपनी आवश्यकतानुसार बीएचईएल द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। अनुबंध के पूर्व समापन के पश्चात, आरएससीएल ने हितधारकों के साथ जुड़ने और जून 2024

[15] ₹ 2,070 × ₹ 1,959.30 (ठेकेदार को प्रति पेड़ भुगतान किए गए ₹ 2,799.00 का 70 प्रतिशत)

तक कार्य पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए इस कार्य पर किये गए व्यय का सदुपयोग नही किया जा सका और यह निष्फल हो गया।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि लोक अदालत में हुए समझौते के अनुसार, अनुबंध को रद्द माना गया और दोनों पक्षों के सभी दावे वापस ले लिए गए।

हालाँकि, उत्तर में कार्य को पूर्ण करने या निष्पादित कार्य का उपयोग करने के लिए आरएससीएल द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है।

2.4.2.4 कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब

एबीडी हस्तक्षेप के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तीनों एसपीवी द्वारा कुल 291 कार्य आवंटित किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 96 कार्यों के क्रियान्वयन में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ। ***परिशिष्ट–7*** में दिए गए विवरण के अनुसार, इन कार्यों के क्रियान्वयन में 93 दिनों से 1344 दिनों तक का विलम्ब था।

नमूना जाँच के दौरान कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब के कुछ उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.4.2.4 (क) रायपुर शहर में स्काडा और स्मार्ट मीटरिंग परियोजना की स्थापना के साथ 24×7 जलापूर्ति के कार्यान्वयन में विलम्ब

आरएससीएल ने इस परियोजना पर सर्वप्रथम 9 फरवरी 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया था। तत्पश्चात, विभिन्न वर्षों में कई निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गईं। हालाँकि, इनमें से किसी भी एनआईटी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और मार्च 2022 में मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग को ₹ 130.39 करोड़ की लागत से 31 मार्च 2024 की समाप्ति तिथि के साथ कार्य सौंपा गया। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में विलम्ब का सामना करना पड़ा जिसके कारण अनुमानों में पुनरीक्षण, कार्य के स्वरुप मे संशोधन, आरएससीएल की ओर से अनिर्णय, एनआईटी को रद्द करने और परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएफआईसी) से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब था। आरएससीएल द्वारा कार्य प्राक्कलनों को अंतिम रूप देने और अनुमोदन में विलम्ब के कारण निविदा और परियोजना के आवंटन में विलम्ब हुआ और परियोजना जून 2024 तक अपूर्ण रही।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि विधानसभा/लोकसभा चुनावों से पहले लागू चुनाव आचार संहिता, निविदा में बोलीदाताओं की गैर–भागीदारी, अमृत परियोजना के अनुरूप परियोजना में संशोधन आदि के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्गम बैठक (जून 2024) में, आरएससीएल के प्रबंध संचालक ने कहा कि भीड़–भाड वाले कार्यस्थल के कारण इस परियोजना में विलम्ब हुआ और परियोजना का 90 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण हो चुका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल ने उसी अवधि में बिना किसी बाधा के कई अन्य अनुबंध/निविदाएँ निष्पादित कीं। इसके अतिरिक्त, इतने महत्वपूर्ण परियोजना के प्रति उदासीन दृष्टिकोण व प्राथमिकता न देने के कारण परियोजना के पूर्ण होने मे विलंब हुआ।

2.4.2.4 (ख) रायपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर, युवा केंद्र और वेंडिंग जोन परियोजना का विकास

आरएससीएल ने रोजगार सृजन हेतु स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन बनाने के उद्देश्य से ग्रीन कॉरिडोर, युवा केंद्र, वेंडिंग जोन के विकास की परियोजना शुरू की।

आरएससीएल ने (अगस्त 2020) ₹ 16.72 करोड़ की लागत पर कार्य प्रदान किया, जिसे संशोधित कर ₹ 19.82 करोड़ कर दिया गया। हालाँकि, आवश्यक भूमि का सीमांकन किए बिना और विभिन्न हितधारकों (विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य, राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सीएसपीडीसीएल आदि) की सहमति प्राप्त किए बिना ही कार्य प्रदान कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, परियोजना में विलम्ब हुआ और मार्च 2024 तक केवल वेंडिंग जोन का कार्य ही पूर्ण हो सका। रीडिंग रूम का ड्राइंग उपलब्ध कराने में विलम्ब और अनुपम गार्डन के कार्य के स्वरुप में विभिन्न परिवर्तनों के कारण स्मार्ट रीडिंग रूम का घटक और अनुपम गार्डन के विकास का कार्य अभी भी प्रगति पर था (मार्च 2024)।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि उचित सर्वेक्षण और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद डीपीआर तैयार की गई थी। हालाँकि, सरकार परिवर्तन के कारण, जनप्रतिनिधियों/अन्य हितधारकों द्वारा नए सुझाव दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्य में विलम्ब हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल ने कार्य प्रदान करने से पहले आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियाँ नहीं कीं, जिनका सरकार परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त, कार्य प्रदान करने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

2.4.2.4 (ग) बिलासपुर शहर में वेंडिंग जोन बनाना

अनौपचारिक बाजार/विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बीएससीएल ने बिलासपुर शहर में वेंडिंग जोन बनाने के लिए ₹ 1.92 करोड़ की लागत पर 200 मॉड्यूलर कियोस्क उपलब्ध कराने और स्थापित करने का कार्य (मार्च 2020) आदेश निर्गत किया था। पूर्णता की नियत तिथि सितंबर 2020 थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएससीएल ने कियोस्क के लिए स्थलों की पहचान और कियोस्क के आवंटन के लिए नीति को अंतिम रूप दिए बिना (मार्च 2020) कार्य आदेश निर्गत किया। स्थलों का चयन ही अक्टूबर 2021 में बीएमसी के समन्वय से किया गया था। स्थलों के चयन में विलम्ब और आवंटन के लिए नीति न बनने के कारण, ठेकेदार द्वारा नवंबर 2023 तक 200 कियोस्क में से ₹ 96 लाख मूल्य के केवल 100 कियोस्क का निर्माण किया जा सका। निर्माण के बाद लाभार्थियों को उसी समय कियोस्क आवंटित न किए जाने के कारण सामग्री की चोरी जैसे एसीपी शीट, खिड़की के गेट, स्थापित कियोस्क पर अवैध कब्जा और कुछ कियोस्क के जीर्ण–शीर्ण होने के मामले सामने आए। इस प्रकार, बीएससीएल द्वारा अपर्याप्त योजना के कारण, परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी और अनौपचारिक बाजार और मॉड्यूलर कियोस्क की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ।

भौतिक सत्यापन के दौरान वेंडिंग जोन के लिए गए चित्र निचे दिखाए गए है।





(22 अक्टूबर 2022 को ली गई तस्वीरें)

फोटोग्राफ संख्या 2.5 में जीर्ण–शीर्ण कियोस्क दिखाई दे रहे हैं अक्षांशः $22^0$5'41"उत्तर, देशांतरः $82^0$9'1"पूर्व

फोटोग्राफ संख्या 2.6 में कुछ पुर्जे चोरी हुए दिखाई दे रहे हैं अक्षांशः $22^0$3'48"उत्तर, देशांतरः $82^0$9'20"पूर्व

छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2023) कि मॉड्यूलर कियोस्क के आवंटन हेतु स्थान और नीति को बीएमसी के साथ समन्वय कर अंतिम रूप दिया गया था। परियोजना पुनः पटरी पर आ गई है, तथा कियोस्क लगाने का कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, निर्गम बैठक (जून 2024) में, बीएससीएल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि 200 कियोस्क में से 100 कियोस्क स्थापित कर विक्रेताओं को आवंटित कर दिए गए थें और शेष 100 कियोस्क के संबंध में कार्य रोक दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थल का निर्धारण ही अक्टूबर 2021 मे बीएमसी के साथ चर्चा करके किया गया था, अर्थात कार्य आवंटित होने (मार्च 2020) के काफी बाद। इसके अतिरिक्त, 200 कियोस्क में से केवल 100 का ही निर्माण किया गया और नवंबर 2023 तक चिन्हित स्थानों पर लाभार्थियों को आवंटित किया गया, अर्थात् पूर्ण होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2020 के बाद लगभग तीन साल विलम्ब से। इसके अतिरिक्त, शेष 100 कियोस्क के लिए कार्य को बंद करना अपर्याप्त योजना की पुष्टि करता है।

2.4.2.4 (घ) नवा रायपुर शहर में वर्तमान भवनों में वर्षा जल संचयन

एनआरएएनएससीसीएल ने ₹ 1.04 करोड़ की लागत पर नवा रायपुर शहर में वर्तमान भवनों में वर्षा जल संचयन का कार्य (दिसंबर 2020) (कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि – 14 अप्रैल 2021) सौंपा, जिसका उद्देश्य जल प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करना एवं वर्षा जल को संग्रहित और रिसाव को सुगम बनाकर भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना था।

यह देखा गया कि एनआरएएनएससीसीएल ठेकेदार को साफ–सुथरा कार्य स्थल उपलब्ध नहीं करा सका। परिणामस्वरूप, ठेकेदार ने 132 ब्लॉकों/डुप्लेक्स घरों की इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किए बिना, जुलाई 2022 तक केवल ₹ 0.39 करोड़ का कार्य पूर्ण किया और आरएससीएल ने आंशिक रूप से पूर्ण कार्य को पूर्व समाप्त कर दिया क्योंकि ठेकेदार ने साफ–सुथरा कार्य स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त की। इस प्रकार, अपर्याप्त योजना के कारण, निर्धारित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और संरक्षण का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि वर्षा जल संचयन परियोजना के प्रस्तावित कार्य के अनुसार, 48.70 प्रतिशत रुफ एरिया का प्रबंधन अवक्षेपित अपवाह को रोकने के लिए किया गया था। भूमिगत जल स्तर को पुनर्भरण करने का मुख्य उद्देश्य नया रायपुर शहर में समानांतर रूप से बायोस्वेल, तालाबों और नाला विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बायोस्वेल[16] का डीपीआर अगस्त 2020 में, अर्थात् वर्षा जल संचयन का कार्य सौपने (8 दिसंबर 2020) से पूर्व स्वीकृत हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्षा जल संचयन परियोजना मौजूदा आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रारम्भ की गई थी, जबकि नाला विकास परियोजनाएँ वर्षा जल संचयन से पूर्णतया अलग हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इन परियोजनाओं की योजना वर्षा जल संचयन परियोजना से स्वतंत्र रूप से बनाई गई थी।

2.4.2.4 (ङ.) नवा रायपुर शहर के सरकारी कार्यालयों में अग्नि शमन प्रणाली

एनआरएएनएससीसीएल ने ₹ 5.17 करोड़ का लागत पर सरकारी भवनों में अग्नि शमन लगाने का कार्य (9 मार्च 2021) सौंपा, जिसका उद्देश्य किसी भी इमारत में आग लगने की स्थिति में निर्बाध जल आपूर्ति प्रदान करना था। इस परियोजना का लाभ मानव जीवन की सुरक्षा और संपत्ति व वस्तुओं की संरक्षा है। कार्य की पूर्णता अवधि 10 महीने अर्थात 8 जनवरी 2022 थी। हालाँकि, स्टेशन की विद्युत चार्जिंग और अंतिम परीक्षण का कार्य लंबित था, जिसके कारण प्रणाली अभी (मार्च 2024) तक प्रारम्भ नहीं हुई थी। हालाँकि, एनआरएएनएससीसीएल द्वारा कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्य पूर्ण न होने के कारण परियोजना का उद्देश्य, आग लगने की स्थिति में मानव जीवन, संपत्ति और वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षा पूर्ण नहीं हो सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में बताया कि कोविड–19 लॉकडाउन, श्रमिकों की अनुपलब्धता, वन विभाग अनुरक्षित आरओडब्ल्यू के विलम्ब से स्वीकृति आदि के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। छत्तीसगढ़ शासन ने आगे कहा कि केवल स्टेशन की विद्युत चार्जिंग और अंतिम परीक्षण लंबित है और परियोजना का उपयोग किसी भी आग लगने की स्थिति में जान–माल की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।
उत्तर से स्पष्ट होता है कि अग्नि शमन प्रणाली आज तक (अप्रैल 2024) संचालित नहीं की गई।

2.4.2.4 (च) नवा रायपुर शहर में स्टॉर्म वाटर निकासी प्रणाली और जल निकायों का संरक्षण

एनआरएएनएससीसीएल ने ₹ 21.04 करोड़ लागत पर नवा रायपुर अटल नगर में स्टॉर्म वाटर निकासी प्रणाली के विकास और जल निकायों के संरक्षण का कार्य सौंपा (6 अप्रैल 2021)। जिसका उद्देश्य बायोस्वेल के माध्यम से जल प्रदूषण को कम करना और स्टॉर्म वाटर को प्राकृतिक रूप से निकासी कर भूजल स्तर को बढ़ाना (सतत स्टॉर्म वाटर प्रबंधन) था। कार्य पाँच माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, मार्च 2024 तक कार्य प्रगति पर था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार विस्तारित मानसून, विभिन्न स्थानों पर भूमि संबंधी समस्याएं और परियोजना के लिए पुनरीक्षित ड्राइंग उपलब्ध कराने में विलम्ब जैसे कारणों से कार्य पूर्ण नहीं कर सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में कहा कि भूमि अतिक्रमण, कोविड–19 लॉकडाउन, कार्य स्थलों पर जलभराव आदि के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। यह भी कहा गया

[16] भूमि में उथली खाई या गड्ढा जो वर्षा जल और सतही अपवाह को एकत्रित और फिल्टर करता है, जिसमें प्रायः वनस्पति लगाई जाती है, जिससे स्टॉर्म वाटर प्रदूषण कम होता है और जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।

कि पुनरीक्षित ड्राइंग उपलब्ध कराने में विलम्ब का कारण सही नहीं है क्योंकि ड्राइंग परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षित और जारी किए गए थे। दिसंबर 2022 तक सभी तालाबों और बायोस्वेल धाराओं की खुदाई कर ली गई थी, केवल क्रॉस ड्रेनेज कार्य और संबंधित कार्य लंबित थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महामारी और जलभराव जैसी अन्य मौसमी समस्याओं के समाप्ति के बावजूद अप्रैल 2024 तक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

2.4.3 पैन सिटी स्मार्ट समाधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन

एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, पैन सिटी स्मार्ट समाधान ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ हैं जो शहर में प्रदान की जानी हैं। दिशानिर्देशों में स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है जिसमें मौजूदा शहरव्यापी अवसंरचना में प्रौद्योगिकी, डेटा और सूचना का उपयोग शामिल है, जो (i) सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी, (ii) यातायात प्रबंधन, (iii) सार्वजनिक सेवाओं, (iv) आपातकालीन प्रतिक्रिया, (v) प्रदूषण निगरानी, (vi) सेवाओं का वास्तविक समय पर अनुश्रवण, (vii) सार्वजनिक स्थानों आदि पर केंद्रित है।

पैन सिटी स्मार्ट समाधान के लिए रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर शहरों में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का विवरण, परियोजनाओं की स्थिति और उनके कार्यान्वयन के निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.4.3.1 पैन सिटी के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति

मार्च 2023 तक आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण ***तालिका 2.5*** में दिया गया है:

तालिका 2.5: पैन सिटी में प्रारम्भ किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण

(₹ करोड़ में)

चयनित शहरों के नाम	प्रगति का चरण (मार्च 2023 तक)				
	निर्गत किए गए कार्यादेशों की संख्या/मूल्य	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	अधूरे/प्रगतिशील कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	निष्पादित कार्य आदेशों पर व्यय	कुल प्रदत्त मूल्य के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
रायपुर	137 (322.49)	108 (79)	29 (21)	275.60	85
बिलासपुर	35 (375.66)	14 (40)	21 (60)	159.34	42
नवा रायपुर	13 (302.35)	3 (23)	10 (77)	160.14	53
कुल	**185 (1,000.50)**	**125 (68)**	**60 (32)**	**595.08**	**59**

(स्रोत: एसपीवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मार्च 2023 तक पूर्ण किए गए कार्यों का कुल प्रतिशत, तीन एसपीवी द्वारा पैन के अन्तर्गत किए गए कार्यों की संख्या के तुलना में 68 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय उपलब्धि, सौंपे गए कार्यों की लागत का 59 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पैन के अंतर्गत आवंटित 185 कार्यों में से 58 कार्यों के निष्पादन में 91 दिनों से लेकर 1282 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इन कार्यों का विवरण ***परिशिष्ट 8*** में दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि आरएससीएल के सम्बन्ध में पर्याप्त परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और एससीएम फंड के अन्तर्गत परियोजनाएं जून 2023 तक पूर्ण हो जाएंगी। बीएससीएल के सम्बन्ध में पीएमसी की नियुक्ति में विलम्ब, विभिन्न चुनावों और कोविड आदि के कारण भौतिक प्रगति प्रभावित हुई थी। एनआरएएनएससीसीएल के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि पीएमसी की नियुक्ति में विलम्ब और कार्य सौंपे जाने में विलम्ब के कारण भौतिक प्रगति प्रभावित हुई थी। छत्तीसगढ़ शासन ने आगे कहा कि एनआरएएनएससीसीएल कार्यान्वयन एजेंसी के साथ कार्य प्रगति की लगातार समीक्षा कर रही थी एवं आंशिक कार्य को कार्य के दायरे से हटा दिया गया।

2.4.3.2 पैन सिटी पहल के अंतर्गत गैर–आईसीटी कार्यों का कार्यान्वय

दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.4 के अनुसार, पैन–सिटी विकास में मौजूदा शहर–व्यापी अवसंरचना में चयनित स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल होगा। इसलिए, पैन सिटी पहल के रूप में गैर–आईसीटी कार्य स्वीकार्य नहीं थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- आरएससीएल ने पैन सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत ₹ 85.41 करोड़ मूल्य के 115 गैर–आईसीटी कार्य जैसे झील और उद्यान पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास प्रारम्भ किए, जो कुल पैन सिटी कार्यों का 84 प्रतिशत था। इन 115 आवंटित कार्यों में से, ₹ 35.43 करोड़ की लागत से 86 कार्य पूर्ण हो चुके थे और शेष 29 कार्य प्रगति पर थे, जिन पर ₹ 9.62 करोड़ व्यय हो चुके था। इस प्रकार, इन 115 कार्यों पर एससीएम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 45.05 करोड़ का व्यय किया गया।
- बीएससीएल ने पैन सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत ₹ 15.04 करोड़ मूल्य के 12 गैर–आईसीटी कार्य जैसे दिव्यांगजनों के अनुकूल फुटपाथ सहित स्टॉर्म वाटर निकासी व्यवस्था, खेल का मैदान, विज्ञापन होर्डिंग आदि प्रारम्भ किया था। इन 12 आवंटित कार्यों में से, ₹ 2.40 करोड़ मूल्य के 6 कार्य ₹ 1.54 करोड़ की लागत से पूर्ण हो चुके थे और शेष ₹ 12.64 करोड़ मूल्य के 6 कार्य प्रगति पर थे, जिन पर ₹ 5.53 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था। इस प्रकार, इन 12 कार्यों पर एससीएम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 7.07 करोड़ का व्यय किया गया।
- एनआरएएनएससीसीएल ने पैन–सिटी के अंतर्गत एससीपी में प्रस्तावित एक गैर–आईसीटी परियोजना जैसे कि स्टॉर्म वाटर निकासी प्रणाली और जल निकायों का संरक्षण (₹ 18.40 करोड़) प्रारम्भ की और मार्च 2023 तक ₹ 10.48 करोड़ का व्यय किया। इस परियोजना में कोई भी आईसीटी घटक या स्मार्ट समाधान सम्मलित नहीं था। इस प्रकार, एनआरएएनएससीसीएल द्वारा इस परियोजना पर ₹ 10.48 करोड़ का व्यय एससीएम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया।

इन कार्यों को पैन–सिटी पहल के अंतर्गत सम्मलित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इन कार्यों के माध्यम से कोई स्मार्ट समाधान प्रदान नहीं किया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ शासन ने आरएससीएल के सम्बन्ध में कहा (अप्रैल 2023) कि परामर्श 13 के अनुसार, एससीपी में नई परियोजनाओं को जोड़ना, एबीडी स्थान के बाहर परियोजनाओं को जोड़ना या पैन सिटी पहल के रूप में गैर–आईसीटी को जोड़ना आदि अनुमेय हैं। बीएससीएल के संबंध में, यह कहा गया था कि ये कार्य एबीडी क्षेत्र के भीतर गैर–आईसीटी कार्य थे। आगे

कहा गया कि इनमें से कुछ परियोजनाएं सम्पूर्ण शहर को प्रभावित करती हैं। जबकि एनआरएएनएससीसीएल के सम्बन्ध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि स्टॉर्म वाटर निकासी प्रणाली और जल संरक्षण में, आईसीटी घटक को अगले चरण में सम्मलित किया जाएगा ताकि इसे पैन अनुरूप बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर आरएससीएल के सम्बन्ध में सही नहीं है क्योंकि भारत सरकार के 8 सितंबर 2018 के परामर्शी 13 के अनुसार, गैर–आईसीटी परियोजनाओं को पैन–सिटी पहल के रूप में लेना स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा में इंगित परियोजनाओं में, शहरव्यापी अवसंरचना में स्मार्ट समाधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीएससीएल का उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि इन गैर–आईसीटी कार्यों को एससीएम के लिए जीएमआईएस में पैन सिटी परियोजनाओं के रूप में दिखाया गया था।

2.4.3.3 निर्मित अवसंरचना का उपयोग न होना

2.4.3.3 (क) आधुनिक पूर्ण भूमिगत कूड़ेदानों की आपूर्ति, वितरण, स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव

आरएससीएल ने पैन सिटी परियोजनाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर 30 आधुनिक भूमिगत कूड़ेदानों की स्थापना करने का निर्णय लिया ताकि अपशिष्ट संग्रहण, वाहनों की आवाजाही और रखरखाव आदि की निगरानी के लिए एक विश्वसनीय भूमिगत अपशिष्ट संग्रहण और निगरानी एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने के समग्र उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

परियोजना में अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रत्येक कुड़ेदान में सेंसर लगाने की परिकल्पना की गई थी जो कूड़ेदानों में अपशिष्ट स्तर की निगरानी करेगा और भूमिगत कूड़ेदानों के भराव स्तर पर चेतावनी संदेश निगरानी एजेंसी को भेजेगा। एक व्यापक कुड़ेदान निगरानी प्रणाली, जिसमें डैशबोर्ड पर मानचित्र पर चिह्नित कुड़ेदानों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, को भी लागू किया जाना था। डैशबोर्ड पर अतिरिक्त दृश्य जैसे कुड़ेदान संख्या, वर्तमान स्थान, अंतिम अद्यतन तिथि एवं समय तथा वाहनों की चालू स्थिति आदि भी लाइव ट्रैकिंग हेतु उपलब्ध कराये जाने थे।

आरएससीएल ने (28 दिसंबर 2017) मेसर्स जोंटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को ₹ 4.25 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर पांच साल की ओ एंड एम अवधि के साथ परियोजना सौंपी। यह परियोजना 1 जून 2018 को पूर्ण हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2022) कि स्थापित कुड़ेदान स्तर सेंसर और डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली, स्थापना के तुरंत बाद संचालन एवं संधारण (ओएंडएम) के चरण के दौरान कार्य नहीं कर रहे थे। आरएससीएल ने ठेकेदार को पहला नोटिस 22 जुलाई 2018 को जारी किया और उसके बाद कई नोटिस जारी किए गए, परन्तु ठेकेदार संचालन एवं संधारण अवधि के भीतर कमियों को दूर करने में विफल रहा। आरएससीएल ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शहर में अतिरिक्त कुड़ेदान की आवश्यकता और ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन को इंगित करते हुए, ठेकेदार को मार्च 2019 में ₹ 54.17 लाख मूल्य के आठ कुड़ेदान का अतिरिक्त कार्य सौंपा।

कूड़ेदान स्तर सेंसर और डैशबोर्ड के कार्य न करने से स्मार्ट कूड़ेदानों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि कूड़ेदानों में अपशिष्ट के स्तर की कोई निगरानी नहीं हो रही थी और परिणामस्वरूप, स्मार्ट कूड़ेदान किसी भी अन्य सामान्य कूड़ेदान की तरह कार्य कर रहे थे जिससे स्मार्ट कूड़ेदानों की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

सभी 30 कूड़ेदानों का भौतिक सत्यापन (जुलाई 2022) किया गया, जिसके दौरान कूड़ेदानों में अपशिष्ट जमा पाया गया और अधिकांश कूड़ेदान क्षतिग्रस्त पाए गए। भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए कूड़ेदानों की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:





(फोटो 5 जुलाई 2022 और 21 जुलाई 2022 को ली गई)
फोटोग्राफ संख्या 2.7 और 2.8 में क्षतिग्रस्त कूड़ेदान दिखाए गए हैं

इस प्रकार, स्मार्ट कूड़ेदान लगाने का उद्देश्य विफल हो गया और अब तक (मार्च 2023) इस पर हुए ₹ 3.59 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

छत्तीसगढ़ शासन ने (अप्रैल 2023) कहा कि कई बार ट्रकों की अनुपलब्धता/वाहन के रखरखाव की जाँच के कारण कूड़ेदान से अपशिष्ट एकत्र नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रस्ताव अनुरोध की शर्तों के अनुसार, ट्रक, सेंसर, हार्डवेयर की अनुपलब्धता के लिए ठेकेदार पर कुल ₹ 10.97 लाख का शास्ति लगाया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि सेवाओं में कमी के कारण, फरवरी 2021 से अब तक (मार्च 2023) तिमाही भुगतान जारी नहीं किया गया है। ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त कूड़ेदान की मरम्मत की दी है और भूमिगत कूड़ेदान का संचालन और संधारण निरंतर कर रहा है। ठेकेदार ने सेंसरों की जल्द से जल्द मरम्मत का वादा किया था।

उत्तर स्वयं इंगित करता है कि सभी कूड़ेदान स्तर सेंसर और डैशबोर्ड अभी भी क्रियाशील नहीं थे, जिससे स्मार्ट समाधान प्रदान करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

2.4.3.3 (ख) आरएमसी क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क जंक्शनों पर भूमिगत यातायात एलईडी सिग्नल प्रकाश व्यवस्था

आरएससीएल ने जन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आरएमसी क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क जंक्शनों पर भूमिगत यातायात एलईडी सिग्नल लाइटिंग व्यवस्था की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य प्रस्तावित किया।

आरएससीएल ने (22 सितंबर 2021) मेसर्स पॉवरटेक इंडिया (ठेकेदार) को ₹ 1.94 करोड़ की निविदा लागत पर यह कार्य प्रदान किया। यह कार्य चार माह में अर्थात् जनवरी 2022 तक पूर्ण होना था। ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण नहीं कर सका और आरएससीएल द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनवरी 2023 में ही ठेकेदार ने कार्य के लिए प्रथम चल देयक (आरए) बिल प्रस्तुत किया और आरएससीएल ने इसके लिए ₹ 64.67 लाख का भुगतान किया। आरएससीएल ने अनुबंध समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया (अक्टूबर 2023) क्योंकि कार्य का निष्पादन संतोषजनक नहीं था और स्थापित प्रणाली कार्य

नहीं कर रही थी। फिर भी ठेकेदार ने इसे सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए, आरएससीएल ने मई 2024 में अनुबंध समाप्त कर दिए। स्थापित प्रणाली अपनी स्थापना के बाद से ही निष्क्रिय रही और इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.44 लाख[17] का निष्फल व्यय हुआ।

2.4.3.3 (ग) स्मार्ट पार्किंग

आरएससीएल ने एससीपी में स्मार्ट पार्किंग का प्रस्ताव रखा था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पार्किंग स्थल में प्रत्येक वाहन के प्रवेश और निकास की निगरानी के माध्यम से वास्तविक समय में पार्किंग स्लॉट की उपलब्धता की अपेक्षाकृत सही जानकारी प्राप्त करना, मोबाइल ऐप आधारित पार्किंग मार्गदर्शन प्रणाली को सक्षम बनाना और ड्राइवरों को उपलब्ध पार्किंग स्लॉट तक निर्देशित करना, शहर में यातायात को अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद करना और उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मौके पर भुगतान करने या पार्किंग स्थान आरक्षित करने में सक्षम बनाना था।

आरएससीएल ने रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट पार्किंग परियोजना[18] हेतु पीपीपी मॉडल पर 12 मौजूदा और 10 नए पार्किंग स्थलों के लिए निविदा आमंत्रित की (अक्टूबर 2017) और एक ठेकेदार[19] को ₹ 1.92 करोड़ की वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत फीस या ठेकेदार द्वारा अर्जित राजस्व का 43 प्रतिशत हिस्सा, जो भी अधिक हो, पर कार्य प्रदान किया (जनवरी 2018)। हालांकि, ठेकेदार द्वारा काम की धीमी प्रगति के कारण, आरएससीएल ने अनुबंध समाप्त कर दिया (जून 2019)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2022) कि कुल 22 स्थानों में से केवल एक स्थान (एमएलसीपी, जयस्तंभ चौक) पर पार्किंग संचालन प्रारम्भ किया गया था। हालाँकि, यह भी निष्क्रिय हो गया क्योंकि ठेकेदार पर्याप्त जनशक्ति, ऐप और उपकरण आदि तैनात/प्रदान करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप, आरएससीएल ने अनुबंध समाप्त कर दिया। अनुबंध समाप्ति के बाद, इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए आरएससीएल द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार, रायपुर शहर में स्मार्ट पार्किंग का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय, केवल एक कार्यस्थल (एमएलसीपी जयस्तंभ चौक) उपलब्ध था और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मौजूदा पार्किंग स्थल आरएमसी द्वारा विभिन्न पार्किंग अनुबन्धो के तहत संचालित हो रहे थे। यह निर्णय लिया गया था कि जैसे ही ये अनुबंध समाप्त होंगे, उन्हें ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा। परन्तु ठेकेदार के कार्य निष्पादन न करने के कारण निविदा समाप्त कर दी गई। वर्तमान में, आरएमसी ने विभिन्न सुविधाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग का कार्य प्रारम्भ किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने अन्य कार्यस्थलों की उपलब्धता के बावजूद केवल एक कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त, आरएससीएल ने अनुबंध की समाप्ति के बाद परियोजना के लिए फिर से निविदा आमंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

17 ₹ 64.67 लाख – ₹ 3.23 लाख (सुरक्षा जमा)

18 स्मार्ट पार्किंग समाधान के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए रियायतग्राही का चयन

19 मेसर्स बिल्डिंग कंट्रोल सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2.5 निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन

2.5.1 अयोग्य बोलीदाताओं को कार्य प्रदान करना

तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड, कार्यों की निविदा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि निविदाओं में प्रतिस्पर्धी बोली को बढ़ावा मिले और साथ ही यह उन बोलीदाताओं को निविदाओं में भाग लेने से हतोत्साहित करते है जो समयबद्ध तरीके से वांछित विनिर्देशों के अनुसार कार्य पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में चार उदाहरण में पाया की आरएससीएल और बीएससीएल द्वारा ₹ 75.85 करोड़ मूल्य के कार्य उन बोलीदाताओं को दिए गए जो निविदाओं में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

➢ **महाराजबंद तालाब रोड पर स्मार्ट रोड घटक का निर्माण**

आरएससीएल ने (13 जुलाई 2020) महाराजबंद तालाब रोड पर स्मार्ट रोड घटक के निर्माण का कार्य मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन को ₹ 3.67 करोड़ (पीएसी – ₹ 3.56 करोड़) की लागत से सौंपा।

निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार, बोलीदाता द्वारा कम से कम एक समान कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया हुआ हो जिसका मुल्य, अनुमानित अनुबंध राशि (पीएसी) का 60 प्रतिशत से कम न हो अर्थात ₹ 213.60 लाख या दो समान कार्य जिनमें से प्रत्येक का मूल्य पीएसी के 35 प्रतिशत, अर्थात ₹ 124.60 लाख प्रत्येक या तीन समान कार्य जिनमें से प्रत्येक का मूल्य पीएसी का 25 प्रतिशत से कम न हो, अर्थात ₹ 89.00 लाख प्रत्येक।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन (ठेकेदार) को अनुभव मानदंडों के आधार पर योग्य घोषित किया गया था क्योंकि ठेकेदार ने कम से कम ₹ 124.60 लाख प्रत्येक के दो समान कार्य पूर्ण किए थे। हालांकि, यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा ₹ 141.95 लाख के लिए प्रस्तुत कार्यादेश वास्तव में क्रमशः ₹ 98.39 लाख और ₹ 43.56 लाख मूल्य के दो अलग–अलग कार्यों के लिए था, जिसे आरएससीएल द्वारा पात्रता मानदंडों के मूल्यांकन के लिए एकल कार्य माना गया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि कार्य को कार्यपालक अभियंता, सीआरआरडीए, बलौदा बाजार द्वारा दो पैकेजों में प्रदान किया गया था, पैकेज 1 ₹ 98.39 लाख और पैकेज 2 ₹ 43.56 लाख का, जो ₹ 141.95 लाख के एक ही अनुबंध संख्या डीएल–08/दिनांक 28 फरवरी 2017 के भाग थे। इस एकल कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था जिसे ₹ 141.95 लाख के कुल निष्पादित मूल्य के लिए दो अलग–अलग पैकेजों में निष्पादित किया गया था। बोलीदाता को योग्य ठहराने का हमारा निर्णय अनुभव प्रमाण पत्र पर आधारित था क्योंकि कार्य आदेश किए गए कार्य की मात्रा को नहीं दर्शाता है, छत्तीसगढ़ शासन ने आगे कहा कि तकनीकी बोली विश्लेषण और अनुशंसा के लिए पीएमसी को भेजी गई थी। पीएमसी ने बोलीदाता को योग्य पाया और पीएमसी की अनुशंसा के आधार पर, आरएससीएल ने बोलीदाता को योग्य घोषित किया।

छत्तीसगढ़ शासन का जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कार्यपालक अभियंता, सीआरआरडीए, बलौदा बाजार ने दो कार्यादेश/अनुबंध जारी किए थे और तदनुसार इन्हें दो अलग–अलग कार्य माना जाना चाहिए था, न कि एक कार्य। इसके अतिरिक्त, किसी भी बोलीदाता के चयन का निर्णय केवल आरएससीएल के पास है और पीएमसी की सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी। इसलिए, छत्तीसगढ़ शासन का यह दावा कि आरएससीएल ने पीएमसी की सिफारिश पर बोलीदाता को योग्य घोषित किया, उचित नहीं है।

➢ महाराजबंद तालाब के पास स्मार्ट रोड का सौंदर्यीकरण एवं विकास (द्वितीय चरण)

आरएससीएल ने महाराजबंद तालाब (द्वितीय चरण) के नजदीक स्मार्ट रोड के सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य मेसर्स शरद शुक्ला को ₹ 1.31 करोड़ की लागत पर (21 अक्टूबर 2021) सौंपा गया।

निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार, बोलीदाता ने समान प्रकृति के कार्य जैसे सौंदर्यीकरण और विकास कार्य सहित सिविल कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया होना चाहिए।

तकनीकी मूल्यांकन पत्रक से लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने अनुभव के पक्ष में सड़कों के चौड़ीकरण और सीधीकरण से संबंधित कार्यादेश प्रस्तुत किए, जो निविदा में उल्लिखित अनुसार समान प्रकृति के नहीं थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि बोलीदाता ने ''आर डी तिवारी स्कूल के पुनर्विकास'' कार्य के लिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्य में सिविल कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य और अन्य कार्य शामिल थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आर.डी. तिवारी स्कूल का कार्य एक प्रगतिरत कार्य था, जिसे पूर्ण कार्य नहीं माना जाना चाहिए।

➢ बिलासपुर शहर में सोलर पीवी पावर प्लांट

बीएससीएल ने (18 जुलाई 2022) दोमुहानी में एसटीपी के पास 2.3 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पीवी पावर प्लांट, गुरु अमेरी गोकुल नगर में 2 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पीवी पावर प्लांट और स्मृति वन राज किशोर नगर में 2 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पीवी पावर प्लांट का कार्य मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को ₹ 47.25 करोड़ की लागत पर प्रदान किया।

निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार, एकमात्र बोलीदाता/संयुक्त उद्यम समूह के सदस्य ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी संगठन में निम्नलिखित कार्य किए होने चाहिए (i) सोलर पीवी प्लांट/ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट/रूफटॉप सोलर प्लांट/सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली की एकल ग्रिड से जुड़ी परियोजना जिसकी क्षमता कम से कम 1.5 मेगावाट पावर से कम ना हो या (ii) सोलर पीवी प्लांट/ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट/रूफटॉप सोलर प्लांट/सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली की ग्रिड से जुड़ी दो परियोजना जिनमे से प्रत्येक की क्षमता 1 मेगावाट पावर से कम ना हो।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 2022) पाया गया कि सफल बोलीदाता ने सोलर पीवी प्लांट/ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट/रूफटॉप सोलर प्लांट/सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली की 1.1 मेगावाट पावर की ग्रिड से जुड़ी केवल एक परियोजना का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जबकि 1.5 मेगावाट पावर की ग्रिड से जुड़ी एक परियोजना या कम से कम 1 मेगावाट पावर की ग्रिड से जुड़ी दो परियोजनाओं की आवश्यकता थी। हालाँकि, बीएससीएल ने इस तथ्य की अनदेखी की और एक अयोग्य बोलीदाता को योग्य घोषित कर कार्य प्रदान कर दिया।

छत्तीसगढ़ शासन ने (अप्रैल 2023) कहा कि निविदाओं को संचालक मंडल में रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है।

लेखापरीक्षा इस आपत्ति के पश्चात् 13 जुलाई 2023 को निविदाओं के निरस्तीकरण को स्वीकार करता है तथा भविष्य में इसी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के महत्व पर बल देता है।

➢ कन्वेंशन सेंटर का निर्माण एवं विकास

बीएससीएल ने मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और कीस्टोन इंफ्रा बिल्ड के संयुक्त उद्यम समूह को ₹ 23.62 करोड़ की लागत पर कन्वेंशन सेंटर के निर्माण एवं विकास का कार्य (31 मार्च 2022) सौंपा गया।

निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार, बोलीदाता को पिछले पाँच वर्षों में सरकारी संगठन में समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया होना चाहिए था। इसमें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) फ्रेम वाली बहुमंजिला इमारत शामिल थी, जिसमें आंतरिक और बाह्य विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवरेज, भूनिर्माण, अग्निशमन, लिफ्ट, भूमिगत केबलिंग के साथ एरिया लाइटिंग व्यवस्था/स्ट्रीट लाइट, सड़क और संरचनात्मक ग्लेजिंग जैसी सेवाएँ सम्मलित थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सफल बोलीदाता के पास आरसीसी फ्रेम वाली बहुमंजिला इमारत वाली एक भी पूर्ण परियोजना का कोई अनुभव नहीं था और उसने केवल सड़क, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, उद्यान के विकास जैसे पूर्ण कार्यों के अनुभव के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। बीएससीएल ने इस तथ्य की अनदेखी की और एक अयोग्य बोलीदाता को कार्य प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि ठेकेदार ने सेक्टर 24, नवा रायपुर में फेज–II भवन और अवसंरचना के निर्माण का एक कार्यादेश प्रस्तुत किया था, जिसका अनुबंध मूल्य ₹ 33.82 करोड़ था।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बोलियों के मूल्यांकन के समय फेज–II भवन और अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

2.5.2 आरएससीएल द्वारा शास्ति/लिक्विडेटेड डैमेज न लगाना/अल्प वसूली

अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार, कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होने पर, आरएससीएल ठेकेदारों पर प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 6 प्रतिशत तक, सीजीपीडब्ल्यूडी के फॉर्म ए के क्लॉज 2 के अनुसार या संबंधित आरएफपी में परिभाषित दर पर, क्षतिपूर्ति के रूप में शास्ति लगाएगा।

लेखापरीक्षा में चार प्रकरण पाए गए जहाँ ठेकेदारों ने कार्य समाप्त होने की नियत तिथि के पश्चात् कार्य को विलम्ब से पूर्ण किया। फिर भी, आरएससीएल ने ठेकेदारों पर ₹ 1.57 करोड़ का शास्ति नहीं लगाया। इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ और ₹ 1.57 करोड़ के शास्ति की अल्प वसूली हुई। ऐसे उदाहरणों और छत्तीसगढ़ शासन के उत्तर का विवरण ***परिशिष्ट 9*** में दिया गया है।

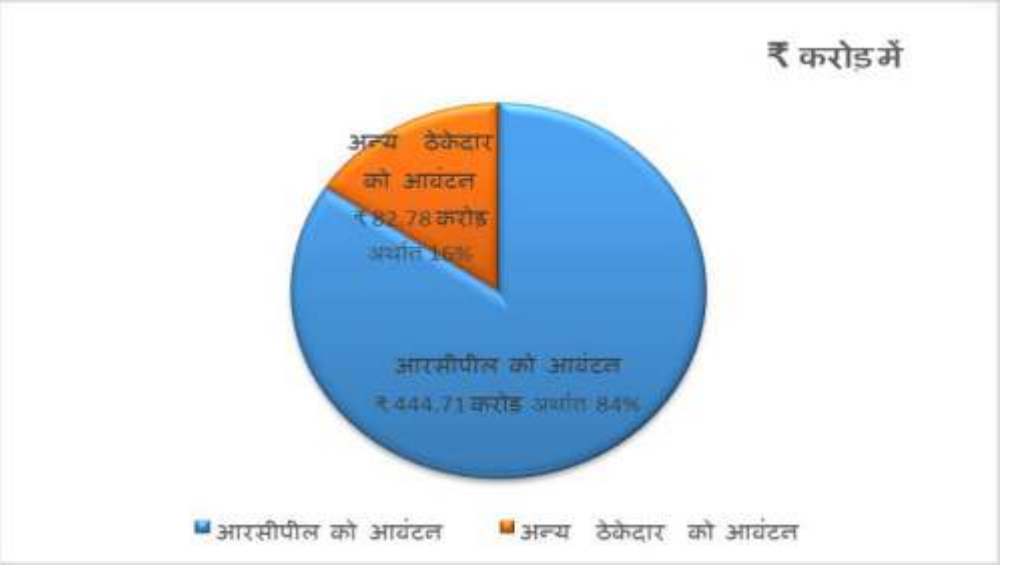
2.5.3 एनआरएएनएससीसीएल में कार्य का आवंटन

प्रोक्योंरमेन्ट ऑफ वर्क्स नियमावली, 2019 की क्लॉज 3.3.7 में उल्लेख किया गया है कि पूर्व–पात्रता मानदंडों के दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए ठेकेदार के आकार, क्षमता और दक्षताओं की समझ होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 3.3.6 (एफ) में उपलब्ध बोली क्षमता को पूर्व–पात्रता मानदंडों के गुणों में से एक बताया गया है।

नवा रायपुर स्मार्ट सिटी में, एनआरएएनएससीसीएल द्वारा ₹ 527.49 करोड[20] के कार्य आदेश दिए गए, जिनमें से ₹ 444.71 करोड़ (84 प्रतिशत) के कार्य जून 2021 से मार्च 2022 के दौरान एक ही ठेकेदार, मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (मेसर्स आरसीपीएल) को दिए गए (***चार्ट 2.2***)। इसके अतिरिक्त, इनमें से 75 प्रतिशत कार्य मार्च 2022 में प्रदान किए गए।

[20] ₹ 486.81 करोड़ (मूल कार्य) + ₹ 40.68 करोड़ (अतिरिक्त कार्य)

चार्ट– 2.2: एनआरएएनएससीसीएल में एक ही ठेकेदार को अधिकांश कार्य प्रदान करना



लेखापरीक्षा ने एनआरएएनएससीसीएल के अभिलेखों की नमूना जाँच की और निविदा प्रक्रिया तथा एनआरएएनएससीसीएल द्वारा कार्य सौंपने में कमियाँ पाईं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.5.3.1 पूर्व–पात्रता मानदंड (पीक्यूसी)

एनआरएएनएससीसीएल कार्यों के आवंटन हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेजों में कुछ पूर्व–पात्रता मानदंड (पीक्यूसी) शामिल हैं जिन्हें निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु पूरा किया जाना आवश्यक है। बोलीदाताओं की निष्पक्ष और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिस्पर्धा की पर्याप्तता हेतु इन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रोक्योर्मेंट ऑफ वर्क्स नियमावली, 2019 के क्लॉज 3.3.7 में उल्लेख किया गया है कि पूर्व–पात्रता मानदंडों के दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए ठेकेदार के आकार, क्षमता और योग्यताओं की समझ होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2022 तक एनआरएएनएससीसीएल द्वारा प्रकाशित सभी 22 निविदाओं में, ठेकेदार की उपलब्ध बोली क्षमता का आकलन करने हेतु बोली क्षमता मानदंड पीक्यूसी में शामिल नहीं पाया गया। इन 22 निविदाओं में से 11 निविदाएँ आरसीपीएल को प्रदान की गईं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदाकारों की भागीदारी अत्यन्त कम थी और आरसीपीएल को प्रदान की गई 11 निविदाओं में से, ₹ 211.04 करोड़ की पीएसी राशि वाली पांच निविदाओं में केवल दो निविदाकारों ने भाग लिया और पीएसी राशि से 8.84 से 18.46 प्रतिशत अधिक दरें प्रदान की गईं।

पात्रता मानदंडों की विस्तृत जाँच से पता चला कि तीन निविदाओं[21] में, निर्धारित पीक्यूसी बहुत विशिष्ट/प्रतिबंधात्मक प्रकृति की थीं और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के अधिकांश भाग के लिए निविदाकार की क्षमता को शामिल नहीं करती थीं। हमने पीक्यूसी निर्धारित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

(i) ठेकेदार की बोली क्षमता का अभाव

[21] विभिन्न सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास और उन्नयन का कार्य, बस पार्किंग का विकास, जल निकायों, बागवानी, आंगनवाड़ी और पुनर्चक्रित जल के शेष कार्य, राखी गांव में अवसंरचना का विकास और सरकारी स्कूल का उन्नयन

(ii) निष्पादित कार्य का मूल्य निर्दिष्ट करने के बजाय निर्मित भवनों/खंभों आदि की निश्चित संख्या निर्धारित करना और अग्निशामक यंत्र की स्थापना के लिए अग्निशमन कार्यों का अनुभव,

(iii) किए जाने वाले प्रमुख कार्य की तुलना में संबद्ध/लघु भाग के कार्यों के लिए पात्रता असामान्य रूप से अधिक है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (अप्रैल 2024) कहा कि कार्यक्षेत्र के लिए निविदा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित की गई थी। निर्गत किए गए एनआईटी के अंतर्गत कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं और प्रकृति के अनुसार पूर्व–पात्रता मानदंड तैयार किए गए थे। एनआरएएनएससीसीएल द्वारा पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता, दक्षता और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें आनुपातिक मौद्रिक मूल्य के कार्य को निष्पादित करने के संदर्भ में अनुभव को शामिल न करने के पीछे के औचित्य को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, भले ही एनआईटी व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे, केवल दो बोलीदाता ही प्रतिबंधात्मक पीक्यूई के कारण भाग ले सके और उपरोक्त सभी कार्य एक ही बोलीदाता[22] को दिए गए।

2.5.3.2 मूल कार्यों के साथ अतिरिक्त कार्य का आवंटन

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाँच मामले पाए गए जहाँ एनआरएएनएससीसीएल ने ₹ 40.68 करोड़ के अतिरिक्त कार्य आवंटित किए। पाँच में से चार प्रकरण में, एनआरएएनएससीसीएल ने मूल कार्य के आवंटन के दिन ही अतिरिक्त कार्य भी आवंटित कर दिया। इनका विवरण ***तालिका 2.6*** में दिया गया है:

तालिका 2.6: मौजूदा ठेकेदारों को अतिरिक्त कार्य आवंटन का विवरण

कार्य का नाम	मूल कार्यादेश मूल्य/दिनांक	ठेकेदार का नाम	अतिरिक्त कार्य का नाम/प्रदान मूल्य/दिनांक
सड़कों, पार्क, श्मशान/कब्रिस्तान का निर्माण और विकास	₹ 50 करोड़/ 31 मार्च 2022	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	सेक्टर–22 स्मार्टर रोड का निर्माण एवं विकास/₹ 19.44 करोड़/31 मार्च 2022
नवा रायपुर में जलधारा, तालाब, पार्क, सड़क और संबद्ध अवसंरचना का विकास कार्य	₹ 48.48 करोड़/ 31 मार्च 2022	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	अतिरिक्त कार्य (सेक्टर–13 के अंतर्गत ₹ 5.47 करोड़ की लागत से सड़कों का कार्य और ₹ 1.92 करोड़ की लागत से बड़ौदा माना रोड का कार्य)/ ₹ 7.39 करोड़/31 मार्च 2022
बस पार्किंग, जल निकायों, बागवानी का निर्माण और विकास, जोन 4 का शेष कार्य	₹ 51.05 करोड़/31 मार्च 2022	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	सेक्टर–19 में कार पार्किंग का विकास/ ₹ 2.92 करोड़/31 मार्च 2022
सेक्टर 11,12,13 और सेक्टर 15 एवं 16 में 5 वर्षों तक वृक्षारोपण और वृक्षों के रखरखाव के साथ तालाब, नाले को गहरा करने और संबद्ध कार्यों सहित स्टॉर्म वाटर निकासी प्रणाली का विकास।	₹ 21.04 करोड़/ अप्रैल 2021	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,	सेंध झील का गहरीकरण, ₹ 8 करोड़/ 26 जून 2021

[22] मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

विभागाध्यक्ष भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को जोड़ने वाले गलियारे सहित बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण	₹ 41.20 करोड़ / 31 मार्च 2022	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)	सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर के पास किफायती छात्रावास का निर्माण, जिसकी लागत ₹ 2.93 करोड़ / 31 मार्च 2022 है

सीजीपीडब्ल्यूडी निविदा दस्तावेज के फॉर्म ए के क्लॉज 13 के अनुसार, एनआरएएनएससीसीएल को मूल विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और निर्माण में कोई भी परिवर्तन, चूक, वृद्धि या प्रतिस्थापन करने का अधिकार है, जो कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक या उचित प्रतीत हो। हालाँकि, मूल कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही चार अतिरिक्त कार्य प्रदान किये गए थे। इसलिए, ये मूल कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समझे गए आवश्यकताओं के अनुसार नहीं सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त, एक प्रकरण में अतिरिक्त कार्य पूरी तरह से अलग था और मूल कार्य का विस्तार नहीं था।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) क्लॉज 12 और कार्य के स्वरुप (क्लॉज 12) के अंतर्गत एफ–1 अनुसूची–डी के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त कार्य को शामिल करने का प्रस्ताव था। जीएफआर क्लॉज 136 (2) के अनुसार, अतिरिक्त कार्य को तात्कालिकता और गंभीरता के आधार पर मुख्य कार्य में जोड़ा जा सकता है। परियोजनाओं को जोड़ने का अनुमोदन संचालक मंडल और आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चार प्रकरणों में अतिरिक्त कार्य उसी तिथि (31 मार्च 2022) को सौंपा गया जिस दिन ठेकेदार को मूल कार्यादेश सौंपा गया था। निर्धारित समय–सीमा के भीतर सभी कार्यों को निष्पादित करने की उसकी क्षमता का आकलन किए बिना ही उसी ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य सौंपे गए।

इस प्रकार, ठेकेदार की बोली क्षमता[23] के मानदंडों को सम्मलित न करने के कारण, एनआरएएनएससीसीएल द्वारा ₹ 89.12 करोड[24] के औसत वार्षिक टर्नओवर वाले एकल ठेकेदार को मार्च 2022 तक कुल ₹ 444.71 करोड़ के कुल 11 कार्य सौंपे गए। इन कार्यों को समाप्त करने की निर्धारित तिथि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच थी। इसके अतिरिक्त, बिल्डर को प्रदान की गई कोई भी परियोजना अक्टूबर 2023 तक पूर्ण नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप, एनआरएएनएससीसीएल को कुछ कार्यों का स्वरुप कम करना पड़ा और स्वरुप कम करने के बाद ₹ 187.97 करोड़ मूल्य के कार्यों को फिर से निविदाबद्ध किया गया और चार अलग–अलग ठेकेदारों को सौंपा गया (फरवरी 2024)।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि लगातार पिछड़ रही परियोजनाओं को बोली क्षमता मानदंडों के तहत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए ठेकेदार के जोखिम और लागत के तहत पुनः निविदा जारी की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी की पुष्टि करता है कि पूर्व–पात्रता मानदंड के रूप में बोली क्षमता के मानदंड को शामिल न करने के कारण ₹ 444.71 करोड़ का कार्य एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया गया, जिसके पास कार्य करने की क्षमता ही नहीं थी। परिणामस्वरूप, एनआरएएनएससीसीएल को कार्यों के लिए पुनः निविदा जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे शहर में मिशन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[23] उपलब्ध बोली क्षमता = A × M × N – B, जहां A पिछले पांच वर्षों में प्रासंगिक इंजीनियरिंग कार्यों का उच्चतम वार्षिक मूल्य है (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित), M एक गुणक है (आमतौर पर 1.5), N वर्षों में निविदा परियोजना की अवधि है, और B अगले N वर्षों के लिए चल रही प्रतिबद्धताओं का अद्यतन मूल्य है।

[24] आरसीपीएल कम्पनी के पिछले पांच वर्षों के लेखा–परीक्षित विवरण के आधार पर 3 मार्च 2022 का सीए प्रमाणपत्र

2.5.4 निविदा आमंत्रित किए बिना मौजूदा ठेकेदारों को अतिरिक्त कार्य प्रदान करना

एसपीवी ने सीजीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली के फॉर्म ए/फॉर्म बी के अनुसार निविदाएं आमंत्रित किया। फॉर्म ए/फॉर्म बी के क्लॉज 1 के अनुसार, अनुबंध पर दिए जाने वाले सभी प्रस्तावित कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए, जब तक कि अनुबंध पर दिए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की राशि ₹ 50,000 या उससे कम न हो और प्रस्तावित कार्य आवश्यक न हों या सीधे तौर पर मूल रूप से निविदा किए गए कार्य के स्वरुप से जुड़े न हों/या उसके अंतर्गत न हों।

लेखापरीक्षा मे निम्नलिखित प्रकरणों में पाया कि एसपीवी ने नए निविदाएं आमंत्रित किए बिना मौजूदा ठेकेदारों को ₹ 45.76 करोड़ की राशि के अतिरिक्त कार्य प्रदान किए, जो आवश्यक नहीं थे या सीधे तौर पर मूल रूप से निविदा किए गए कार्य के स्वरुप से जुड़े नहीं थे/या उसके अंतर्गत नहीं थे। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

➢ रायपुर शहर में वृक्षारोपण

आरएससीएल ने (4 सितंबर 2019/18 सितंबर 2019/7 सितंबर 2019) उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य मेसर्स जितेंद्र केशरवानी को ₹ 2.36 करोड़ की लागत से और दक्षिणी क्षेत्र में मेसर्स मनोज अग्रवाल को ₹ 1.40 करोड़ की लागत पर सौंपा।

निविदा की शर्तों (सीजीपीडब्ल्यूडी के फॉर्म बी) के अनुसार, उसी अनुबंध के तहत मूल कार्य के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति थी। तदनुसार, आरएससीएल ठेकेदारों को मूल कार्य के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरएससीएल ने उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः ₹ 67.11 लाख, ₹ 71.32 लाख और ₹ 45.05 लाख की राशि के वृक्षारोपण के अतिरिक्त कार्य इन्हीं ठेकेदारों को प्रदान किए, जो निविदा में अनुमत 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक और ₹ 50,000 से भी अधिक थे अतः इन कार्यों के लिए अलग से निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थीं।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि ठेकेदारों द्वारा निविदा में दी गई मात्रा के अनुसार वृक्षारोपण के पश्चात्, अतिरिक्त वृक्षारोपण को मंजूरी दी गई, जो मूल रूप से स्वीकृत अनुमान के अंतर्गत था। प्रतिस्पर्धी बोली में न्यूनतम दर प्राप्त हुई थी और नई निविदाओं में उच्च दर प्राप्त होने की संभावना थी, इसलिए उन्हीं ठेकेदारों को अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा सीजीपीडब्ल्यूडी के फॉर्म बी में जारी की गई थी, जिसके अनुसार उसी अनुबंध के माध्यम से केवल 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य की अनुमति थी। हालाँकि, आरएससीएल ने बिना नई निविदा के उन्हीं ठेकेदारों को निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त कार्य सौंपा, जो उचित नहीं था।

➢ मूल कार्य, "शास्त्री मार्केट का पुनर्विकास" के साथ अतिरिक्त कार्य को सौपना

आरएससीएल ने शास्त्री मार्केट के पुनर्विकास का कार्य मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 8.79 करोड़ की लागत (9 जुलाई 2020) पर सौंपा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरएससीएल ने नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, भाटागांव में ₹ 1.99 करोड़ की लागत से एक वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया। आरएससीएल ने (8 सितंबर 2021) उपरोक्त ठेकेदार को यह कार्य अतिरिक्त कार्य के रूप में सौंपा। चूँकि यह कार्य पूर्णतः नया कार्य था, जो शास्त्री मार्केट के पुनर्विकास के मूल कार्य से संबंधित नही था, और ₹ 50,000 से अधिक लागत का था, इसलिए आरएससीएल को इस कार्य के लिए नई निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने (अप्रैल 2023) कहा कि बस टर्मिनल के स्थानांतरण के कारण, मौजूदा विक्रेताओं को भी स्थानांतरित किया जाना था ताकि विक्रेताओं की आय प्रभावित न हो। पीडब्ल्यूडी फॉर्म ए के अनुसार, मौजूदा ठेकेदार ने उसी उद्धृत दर पर अतिरिक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी सहमति दी। इसलिए, आरएससीएल और जनता के सर्वोत्तम हित में और परियोजना की सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा ठेकेदार को समान प्रकृति का कार्य सौंपने का निर्णय लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कार्य दिए जाने के कारण दोनों कार्यों में विलम्ब हुआ। वेंडिंग जोन का कार्य, जो जनवरी 2022 तक चार माह में पूर्ण होना था, मार्च 2023 में पूर्ण हुआ और शास्त्री मार्केट का कार्य, जो जुलाई 2021 में पूर्ण होना था, मार्च 2023 तक अधूरा रहा।

➢ महाराजबंद तालाब रोड पर स्मार्ट रोड घटक का निर्माण के मूल कार्य के साथ अतिरिक्त कार्य को सौपना

आरएससीएल ने महाराजबंद तालाब रोड पर स्मार्ट रोड घटक के निर्माण का कार्य मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन को ₹ 3.67 करोड़ की लागत से (13 जुलाई 2020) सौंपा।

आरएससीएल ने मूल कार्य के तकनीकी अनुमान को ₹ 3.67 करोड़ से संशोधित कर ₹ 1.85 करोड़ कर दिया और उसी ठेकेदार के माध्यम से ₹ 4.19 करोड़[25] की लागत से रायपुर में रिंग रोड और बी.पी. पुजारी स्कूल तक सड़क से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल तक संपर्क मार्ग का अतिरिक्त कार्य भी करने का निर्णय (अक्टूबर 2021) लिया। ये अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग कार्य थे और तदनुसार, सीजीपीडब्ल्यूडी के प्रपत्र ए के क्लॉज 1 के अनुसार खुली निविदा के माध्यम से किए जाने चाहिए थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि आईएसबीटी के लिए भवन 27 मई 2019 को आरएमसी को सौंप दिया गया था और जल्द ही संचालन प्रारम्भ किया जाना था और चूंकि मौजूदा सड़क भविष्य के यातायात भार को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इस वैकल्पिक सड़क का निर्माण करना आवश्यक था। इस सड़क का निर्माण अगस्त 2020 के महीने में करने की योजना थी, लेकिन कोविड 19 के कारण कई लॉकडाउन के वजह से मजदूर पलायन करते रहे। यह भी कहा गया कि मजदूर केवल उन्हीं ठेकेदारों के पास उपलब्ध थे जिनका काम प्रगति पर था। उपरोक्त सभी व्यावहारिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी फॉर्म ए के नियमों और शर्तों के अनुसार मौजूदा ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य दिया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कार्य पूर्णतः नया था और मूल कार्य से संबंधित नहीं था या निविदाकृत कार्य के स्वरुप में नहीं था, इसलिए कार्य नई निविदा के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए था।

2.5.5 स्मार्ट सिटी कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज के बाजार मूल्य की दर से रॉयल्टी की वसूली न करना

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–71 (ए), जिसे जून 2020 में संशोधित किया गया है, के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से किए गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर राशि ठेकेदारों के देयकों से काटी जानी चाहिए। ठेकेदार, प्रयुक्त

[25] (आईएसबीटी सड़क कार्य– ₹ 2.84 करोड़ + बी. पी. पुजारी स्कूल सड़क कार्य – ₹ 0.34 करोड़ + बीटी सड़क कार्य भाटागांव से आईएसबीटी – ₹ 0.89 करोड़) × (100 + 2.98 प्रतिशत ऊपर) = ₹ 4.19 करोड़

खनिज के वैध ट्रांजिट पास के साथ खनन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करके संबंधित कलेक्टर के माध्यम से आरसीसी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद निर्माण विभाग द्वारा काटी गई राशि वापस की जा सकती है और ठेकेदारों को अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकता है।

आरएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल ने ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्य किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसपीवी ने निविदाओं में उपर्युक्त क्लॉज को सम्मलित नहीं किया और परिणामस्वरूप, एसपीवी ठेकेदारों के देयकों से केवल ₹ 1.25 करोड़ मूल्य की रॉयल्टी काट सके और ठेकेदारों के देयकों से खनिजों का बाजार मूल्य नहीं काट सके। ऐसे प्रकरणों में ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा न करने से रॉयल्टी प्राप्तियों का कम संग्रह हो सकता है।

आरएससीएल के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल 2023) कि आरएससीएल ने लघु खनिज लागत की वसूली और चल रहे कार्यों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को पत्र जारी किया था। एनआरएएनएससीसीएल के संबंध में, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार, भविष्य के बिलिंग में उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा।

2.5.6 अन्य विभागों को निधियों का हस्तांतरण

एमओएचएंडयूए, भारत सरकार ने निविदाएं जारी करने और कार्यान्वयन पर्यवेक्षण में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से 14 जनवरी 2019 को परामर्श संख्या 15 जारी की, जिससे परियोजनाओं का तेज और सतत् कार्यान्वयन संभव हो सके। इस परामर्श में शहर के संबंधित लाइन विभागों/सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है, जिनके पास सुदृढ़ तकनीकी विशेषज्ञता और क्रियान्वयन क्षमताएँ हैं, जिनका उपयोग स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकता है। यह एसपीवी, सरकारी लाइन विभाग/एजेंसी और संभावित बोलीदाता के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। परामर्श में अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे प्रावधान हेतु निम्नलिखित शर्तें प्रदान की गई हैं।

(i) परियोजना की पहचान एसपीवी और सरकारी लाइन विभाग/एजेंसी की संयुक्त बैठक के माध्यम से एससीपी/मिशन दिशानिर्देश/परिपत्र/ओएम/एसपीवी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई परियोजना के अनुसार की जा सकती है।

(ii) एसपीवी की तकनीकी स्वीकृति के बाद, सरकारी लाइन विभाग/एजेंसी परियोजना की निविदा प्रक्रिया प्रबंधन और पर्यवेक्षण का कार्यभार संभाल सकती है। ठेकेदार को कार्यादेश देने और यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसके लिए एसपीवी की स्वीकृति आवश्यक है।

(iii) एसपीवी के अनुमोदन से एक त्रिपक्षीय समझौते का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए निविदा दस्तावेज का हिस्सा होना चाहिए।

(iv) एसपीवी से सरकारी विभाग/एजेंसी को धनराशि का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। निविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माइलस्टोन के पूर्ण होने पर एसपीवी द्वारा ठेकेदार को सीधे भुगतान किया जाना चाहिए।

आरएससीएल ने इस व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से क्रमशः दो परियोजनाएं अर्थात बिन्नी बाई सोनकर स्कूल का

पुनर्विकास (₹ 5.50 करोड़) और एबीडी की प्रमुख सड़कों के पास ट्रांसफार्मर की बाड़ लगाना (₹ 0.75 करोड़) क्रियान्वित कीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) इनमें से किसी भी परियोजना की पहचान सरकारी लाइन विभाग/एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक के माध्यम से नहीं की गई थी।

(ii) संबंधित विभाग/कम्पनी द्वारा इन कार्यों को प्रदान करते समय आरएससीएल की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

(iii) आरएससीएल, लाइन विभाग/कम्पनी और ठेकेदार के बीच कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं किया गया था।

(iv) आरएससीएल ने नवंबर 2019 में बाड़ लगाने के काम के लिए सीएसपीडीसीएल को ₹ 0.75 करोड़ और जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के दौरान स्कूल के काम के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 3.95 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी।

इस प्रकार, परामर्शी 15 के तहत एमओएचएण्डयूए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया।

2.6 निगरानी

यह कंडिका राज्य में एससीएम के कार्यान्वयन की निगरानी के बारे में चर्चा करता है।

2.6.1 राज्य स्तरीय निगरानी

एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एक राज्य मिशन निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामित होगा और सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। राज्य मिशन निदेशक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा।

राज्य सरकार ने एससीएम के कार्यान्वयन के लिए राज्य शहरी एवं विकास एजेंसी, छत्तीसगढ़ शासन (एसयूडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मिशन निदेशक नियुक्त किया है। हालाँकि, राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में मिशन निदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया।

इसके अतिरित, स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को मिशन कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएलएचपीएससी) का गठन करना था। एसएलएचपीएससी की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट शहरों के विकास से संबंधित विचारों के आदान–प्रदान के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना था।

छत्तीसगढ़ शासन ने (जुलाई 2015) एसएलएचपीएससी का गठन किया, जिसने 14 दिसंबर 2015 को आयोजित दूसरी बैठक में रायपुर और बिलासपुर शहर के एससीपी को और 23 मार्च 2017 को आयोजित पाँचवीं बैठक में नवा रायपुर स्मार्ट सिटी के एससीपी को मंजूरी दी। मार्च 2017 के बाद, एसएलएचपीएससी की कोई बैठक नहीं हुई।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एससीएम के अंतर्गत चयन हेतु चुनौती में भागीदारी हेतु एससीपी को अनुमोदित करने के अतिरित, एसएलएचपीएससी ने राज्य में तीनों एसपीवी में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा या समीक्षा नहीं की। साथ ही, एसएलएचपीएससी ने न तो एसपीवी को कोई मार्गदर्शन प्रदान किया और न ही एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार एसपीवी/यूएलबी को मिशन के संबंध में कोई विचार साझा किए।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ में एससीएम के लिए किसी तृतीय–पक्षीय समीक्षा और निगरानी एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई और परिणामस्वरूप, एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एसपीवी के प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों में से एक, अर्थात, ऐसी एजेंसी की रिपोर्टों को अनुमोदित करना और उन पर कार्रवाई करना, एसपीवी द्वारा नहीं किया जा सका और एससीएम की कोई स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी नहीं की जा सकी।

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएलएचपीएससी ने अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा की निगरानी और एससीपी की समीक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया है, जिससे संभावित शहरों को भारत सरकार से अपनी योजनाओं को अनुमोदित कराने में मार्गदर्शन मिला।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलएचपीएससी की भूमिका मिशन को समग्र रूप से संचालित करने के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित करना था। इसलिए, एसएलएचपीएससी की भूमिका केवल शहरों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट शहरों के विकास से संबंधित विचारों के आदान–प्रदान के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना भी था, जैसा कि मिशन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

2.6.2 शहर स्तरीय निगरानी

मिशन दिशानिर्देशों के क्लॉज 13.3 के अनुसार, विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए शहर स्तर पर एक स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) स्थापित किया जाना था और इसके सदस्यों में जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर, एसपीवी के सीईओ, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ आदि शामिल होने थे। इसके अतिरिक्त, एमओएचएण्डयूए, भारत सरकार ने (सितंबर 2018) मंच की बैठकें नियमित रूप से, कम से कम महीने में एक बार आयोजित करने का निर्देश दिया।

एसपीवी ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एक एससीएएफ का गठन किया। मार्च 2023 तक आयोजित एससीएएफ की बैठकों की संख्या ***तालिका 2.7*** में उल्लिखित है।

तालिका 2.7: एसपीवी द्वारा आयोजित एससीएएफ की बैठक का विवरण

कम्पनी का नाम	गठन की तिथि	आयोजित बैठकों की संख्या
आरएससीएल	30.08.2017	4 (24.04.2018, 31.08.2020, 05.10.2020, 25.01.2023)
बीएससीएल	19.03.2020	1 (23.09.2021)
एनआरएएनएससीसीएल	02.01.2020	3 (16.03.2020, 3.10.2020 और 3.03.2023)

(स्रोतः एसपीवी के रिकॉर्ड से संकलित आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि किसी भी एसपीवी में एससीएएफ की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं, जैसा कि एमओएचएंडयूए, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था, और परिणामस्वरूप, विभिन्न हितधारकों जैसे जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, नागरिकों आदि के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि राज्य भर में हो रहे विभिन्न चुनावों, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में अधिकारियों के व्यस्त होने, कोविड–19 के कारण बीच–बीच में लॉकडाउन आदि के कारण आरएससीएल में एससीएएफ की बैठकें नहीं बुलाई जा सकीं। बिलासपुर के सम्बन्ध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2023) कि एससीएएफ के प्रतिभागियों के सुझावों को ध्यान में रखने के बाद कार्य सौंपे गए थे। एनआरएएनएससीसीएल के सम्बन्ध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अप्रैल 2024) कि आज की तारीख तक, तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, एससीपी के दायरे में

बदलाव एससीएएफ के सदस्यों को सूचित किया गया था, जिस पर एससीएएफ के सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल का गठन सितंबर 2016 में हुआ था और तब से, एससीएएफ की केवल चार बैठकें हुई हैं, पहली अप्रैल 2018 में हुई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कोविड–19 महामारी और उच्च न्यायालय की कार्यवाही (जो दिसंबर 2020 में शुरू हुई) के कारण उत्पन्न व्यवधानों से पहले केवल एक बैठक हुई थी। इसके अतिरिक्त, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल के सम्बन्ध में, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उत्तर में मिशन के दिशानिर्देशों/सलाहों में निर्धारित से कम एससीएएफ की बैठकें आयोजित करने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया।

2.6.3 लेंखों को अंतिम रूप न देना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) सहपठित धारा 129 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर, अर्थात् सितंबर के अंत तक, अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है।

आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल का गठन 16 सितंबर 2016, 19 सितंबर 2016 और 16 अक्टूबर 2017 को हुआ था और उन्होंने क्रमशः 2019–20, 2020–21 और 2021–22 तक के खातों को अंतिम रूप दिया। इस प्रकार, उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, आरएससीएल, बीएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल के लेंखों में क्रमशः तीन वर्ष, दो वर्ष और एक वर्ष का बकाया था (31 मार्च 2023)। लेंखों को तैयार न करना न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि प्रबंधन और हितधारकों द्वारा एसपीवी के प्रदर्शन, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह का आकलन करने के लिए जानकारी का अभाव भी पैदा करता है।

2.7 निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी मिशन को एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य चयनित शहरों में नागरिकों को गारिमामय जीवन स्तर उपलब्ध कराना था। यह कार्य 'स्मार्ट समाधान' प्रदान करके और चयनित क्षेत्रों, अर्थात् एबीडी क्षेत्र में मुख्य अवसंरचना का निर्माण करके किया जाना था, ताकि विकास के ऐसे अनुकरणीय मॉडल तैयार किए जा सकें जिनका अनुसरण अन्य शहर और उसी शहर के अन्य क्षेत्र कर सकें।

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किये गये है, जैसे स्मार्ट सड़कों का निर्माण, ओवरहेड बिजली के केवलो को भूमिगत केबलों में परिवर्तित करना, स्मार्ट लाइब्रेरी आदि और सार्वजनिक स्थानों में सुधार/सुरक्षा के मुद्दों के समाधान हेतु एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना सम्मलित है। तीनों शहरों में आईसीसीसी के संचालन से बेहतर निगरानी, कुशल यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण आदि सुनिश्चित हुए। इसके अतिरिक्त, शहरों में सार्वजनिक स्थानों में दृश्यमान सुधार के लिए उद्यानों के पुनर्विकास, वृक्षारोपण और तालाबों, पोखरों, नदी तटों के सौंदर्यीकरण की कई परियोजनाएँ भी प्रारम्भ की गईं।

हालांकि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास आदि जैसी विभिन्न आवश्यक और मुख्य अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं या तो निष्पादन के लिए नहीं ली गईं या विलम्ब से ली गईं और इसलिए जून 2024 तक पूर्ण नहीं हो सकीं। इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाएं जो पूर्ण हुईं, वे विभिन्न कारणों जैसे खराब संचालन और

रखरखाव और ठेकेदारों द्वारा काम का आंशिक/दोषपूर्ण निष्पादन आदि की वजह से नागरिकों को स्मार्ट सुविधाएं प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाईं।

अभिसरण के तहत प्रारंभ में प्रस्तावित कुछ परियोजनाओं को निष्पादन के लिए नहीं लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभिसरण के लाभों की प्राप्ति सीमित हो गई। पीपीपी के लिए निजी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया। एसपीवी अर्थात् आरएससीएल और एनआरएएनएससीसीएल के लिए समर्पित और पर्याप्त राजस्व धारा के लिए नीति के अभाव में, उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

अंततः, एससीएम के शुभारंभ और शहरों के चयन के बाद, आवंटित कार्यों में से 38 प्रतिशत 31 मार्च 2023 तक पूर्ण नहीं हुए, जो राज्य में मिशन के कार्यान्वयन की धीमी गति को दर्शाता है।

2.8 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार निम्नलिखित सुनिश्चित कर सकती है:

1. *सभी एसपीवी में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति तथा* **प्रभावी परियोजना निष्पादन** *एवं अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानवशक्ति की उपलब्धता;*
2. *स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अभिसरण और पीपीपी मोड के माध्यम से संसाधनों का जुटाव;*
3. *मानक निविदा मानदंडों और अनुबंध प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करके एसपीवी में अनुबंध प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना;*
4. *निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन हेतु निश्चित समय–सीमा का निर्धारण और उनका पालन तथा निर्मित परिसंपत्तियों की दीर्घायु, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु उचित मरम्मत और रखरखाव;*
5. *भविष्य में एसपीवी की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व धारा स्थापित करने हेतु नीति विकसित और कार्यान्वित करना ।*

अध्याय III

अध्याय III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.1 ऑटो स्विप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की अपरिहार्य हानि

छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का गठन (मार्च 2018) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के रूप में किया गया। कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) के अंतर्गत ग्रामीण आवास निर्माण हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर वित्तीय व्यवस्थाएँ करना है।

कम्पनी ने, शासन की ओर से, कैनरा बैंक से ₹ 1,000 करोड़ का ऋण (सितम्बर 2018) प्राप्त किया। अनुपूरक समझौते (अक्टूबर 2018) की क्लॉज 4 (ख) के अनुसार, "कम्पनी को यह सुनिश्चित करना था कि पुनर्भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.)/ ग्रामीण विकास खातों में राशि उपलब्ध रहे, जिस पर बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार रहेगा"। तदनुसार, कम्पनी ने अपने कैनरा बैंक खाते को सामान्य ग्रहणाधिकार (अक्टूबर 2018) के रूप में रखा तथा अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान ₹ 55 करोड़ इस खाते में जमा किये। कैनरा बैंक अपने ग्राहकों को ऑटो–स्विप सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा, बैंक खाते में न्यूनतम शेष (₹ 10 लाख की सीमा) से अधिक की राशि को स्वतः सावधि जमा (एफ. डी.) में परिवर्तित कर देती है, जिस पर सावधि जमा के लिए प्रचलित दर से ब्याज प्राप्त होता है।

लेखा परीक्षण में (नवम्बर 2022) यह पाया गया कि कम्पनी ने ऑटो–स्विप सुविधा का लाभ न लेकर और इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि ऑटो स्वीप सुविधा में सामान्य बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर मिलती है ₹ 55.00 करोड़ की राशि कैनरा बैंक में ग्रहणाधिकार हेतु सामान्य बचत खाते में जमा कर दी। यदि कम्पनी ने उक्त ग्रहणाधिकार खाते हेतु ऑटो–स्विप सुविधा अपनायी होती तो 2018 से 2023 की अवधि के दौरान प्रचलित 3.25 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज अर्जित कर सकती थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की हानि हुई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट–10*** में दर्शाया गया है।

कम्पनी ने टिप्पणी को स्वीकार (अगस्त 2023) करते हुए अपने बचत बैंक खाते में ऑटो–स्विप सुविधा (जुलाई 2023) से लाभ उठाना प्रारंभ किया।

लेखा परीक्षा ने कम्पनी द्वारा कंडिका के बाद की गई सुधारात्मक कार्यवाही स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

यह आपत्ति शासन को (अगस्त 2024) टिप्पणियों हेतु प्रेषित किया गया था, किन्तु उत्तर (अगस्त 2025) प्राप्त नहीं हुआ।

रायपुर
दिनांक : 30 अक्टूबर 2025

(मो. फैजान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 10 नवम्बर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भित पैराग्राफ 1.1 में)

छत्तीसगढ़ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्रं. सं.	सरकारी कंपनियाँ
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीव्हीएनएल)
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल)
3	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल)
4	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड (सीकेडीआरएल)
5	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड (सीकेएनआरआरएल)
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)
7	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल)
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल)
9	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)
10	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआरआईडीसीएल)
11	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल)
12	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (एनआरएएनएससीसीएल)
13	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)
14	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी)
15	केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल)
16	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)
17	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल)
18	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल)
19	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (यूसीआरव्हीयूएल)
20	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)
21	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी)
22	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल)
23	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन)
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)
25	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआरएचसीएल)
26	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)
27	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)
28	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

परिशिष्ट 2

(संदर्भित पैराग्राफ 1.6 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 की स्थिति में विलंब थे को दर्शाने वाला विवरण

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए लेखें	विलंब लेखें की संख्या
अ. सरकारी कंपनियाँ			
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	2021–22	1
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2021–22	1
3	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2021–22	1
4	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018–19	4
5	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021–22	1
6	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020–21	2
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2021–22	1
8	केरवा कोल लिमिटेड	2021–22	1
9	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2021–22	1
10	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2019–20	3
11	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2018–19	4
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2020–21	2
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2021–22	1
14	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021–22	1
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	2021–22	1
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	2021–22	1
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	2021–22	1
18	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	3
19	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020–21	2
20	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	2021–22	1
21	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नही हुए (2017–18 से विलंब)	6
22	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2021–22	1
23	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	3
24	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	3
अ. सरकारी कंपनियाँ योग			**46**
ब. सांविधिक निगम			
1	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2021–22	1
ब. सांविधिक निगम योग			**1**
कुल योग (अ+ब)			**47**

परिशिष्ट 3

(संदर्भित पैराग्राफ 1.8.3 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के धनात्मक आरओसीई को दर्शाने वाला विवरण

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम
ऊर्जा कंपनियाँ	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
गैर–ऊर्जा कंपनियाँ	
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
7	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
8	केरवा कोल लिमिटेड

परिशिष्ट 4

(संदर्भित पैराग्राफ 1.9.1 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें टिप्पणियाँ जारी की गई

क्रं. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	जारी की गई टिप्पणियों की अवधि
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2021–22
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2021–22
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2021–22
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019–20
5	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020–21
6	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021–22
7	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2021–22
8	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2021–22
9	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2021–22
10	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021–22
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	2021–22
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2019–20
13	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2020–21
14	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2021–22
15	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड	2021–22
16	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017–18

परिशिष्ट 5

(संदर्भित पैराग्राफ 1.9.2 में)

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रूप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
1	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	1. मूल्यह्रास और परिशोधन में, नवा रायपुर अटल नगर में स्थित कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए मूल्यह्रास की राशि ₹ 62.60 लाख शामिल नहीं है। कम्पनी ने 14 दिसंबर 2020 से नए कार्यालय भवन में काम करना शुरू कर दिया; हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.60 लाख से मूल्यह्रास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.44 करोड से पीपीई को कम और अन्य चालू परिसंपत्तियों (अन्य अग्रिमों के तहत) को अधिक बताया गया। 2. अन्य व्यय में, अरिडोंगरी खदानों में 1000 केवीए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना (₹ 49.60 लाख) और अरिडोंगरी खदानों में नए सेवा कनेक्शन (₹ 19.20 लाख) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को किया गया भुगतान ₹ 68.79 लाख शामिल नहीं है। इसके बजाय इस राशि को वर्ष 2021–22 के खातों में अग्रिम (अन्य चालू संपत्ति) के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू संपत्तियों के साथ–साथ लाभ को अधिक बताया गया और व्यय को ₹ 68.79 लाख से कम दिखाया गया।
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में, वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के मूल्यह्रास की राशि ₹ 1.48 करोड़ शामिल नहीं है। यह भवन 11 अप्रैल 2018 को कम्पनी को सौंप दिया गया था। हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ से मूल्यह्रास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को अग्रिम) को अधिक बताया गया।
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव, सुरक्षा सेवाओं, वार्षिक रखरखाव सेवाओं आदि के लिए ₹ 0.59 करोड़ शामिल नहीं हैं और वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित विभिन्न पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित चालान/बिलों के लिए ₹ 35.40 करोड़ का वित्तीय विवरण में का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹ 35.99 करोड़ की सीमा तक और पूंजीगत चालू कार्यों को ₹ 35.40 करोड़ की सीमा तक कम करके दिखाया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप व्यय को भी ₹ 0.59 करोड़ की सीमा तक कम करके बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य व्यय में, ₹ 1,179.88 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कम्पनी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क बिल के लिए मांग की थी। कम्पनी ने उपरोक्त समझौते की भुगतान शर्तों का उल्लंघन किया और जल के बिल का भुगतान नहीं किया, बल्कि इसे अपने लेखों की पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया। चूंकि डब्ल्यूआरडी ने कम्पनी के साथ निष्पादित समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क का लगातार बिल और दावा किया था, इसके लिए एक उपयुक्त प्रावधान

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
		किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय के साथ–साथ चालू देनदारी को ₹ 1,179.88 करोड़ से कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
1	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, खनिज विकास निधि से ऋण की पहली किस्त की राशि ₹ 8.86 करोड़, जो कि 2020–21 के ऋण के विरूद्ध ब्याज का भुगतान न करने के कारण दंडात्मक ब्याज ₹ 62 लाख के साथ, वर्ष 2021–22 के दौरान देय थी, शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों में ₹ 8.86 करोड़ और साथ ही अन्य व्यय में ₹ 62 लाख से कम दिखाया है एवं उधार को ₹ 8.86 करोड़ और लाभ को ₹ 62 लाख से अधिक बताया गया है।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, वित्तीय वर्ष 2021–22 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के कार्य के लिए ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹ 118.00 लाख का व्यय शामिल नहीं है और बिल उसी वर्ष प्राप्त हुआ था लेकिन उसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों (इसकी सहायक कंपनियों से प्राप्य) को ₹ 118.00 लाख तक कम बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020–21)	डीएमई (उपकरण खरीद) के ब्याज में, 10.00 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट जो मेसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड को सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए केडिट पत्र के रूप में प्रस्तुत (4 फरवरी 2019 और 16 जून 2020) किया गया था, पर अर्जित ब्याज के ₹ 39.71 लाख शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक देनदारियों (सरकार से फंड) के साथ–साथ अन्य चालू परिसंपत्तियों (एफडी पर अर्जित ब्याज) को ₹ 39.71 लाख से कम बताया गया है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020–21)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (भवन) में वर्ष 2020–21 के दौरान रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर स्थित चार औषधि गोदामों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना पर हुए ₹ 3.50 करोड़ के व्यय शामिल हैं, जिन्हें भवन के बजाय विद्युत स्थापना एवं उपकरण शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण, मूल्य ह्रास को कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹ 15.12 लाख तक बढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, भवन को अधिक दर्शाया गया है और विद्युत स्थापना एवं उपकरण को ₹ 3.50 करोड़ तक कम बताया गया है।
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंडियन बैंक (₹ 400.00 करोड़) और केनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से लिए गए ऋण के लिए दी गई गारंटी पर 0.5 प्रतिशत की दर से देय गारंटी शुल्क के ₹ 10.75 करोड़ शामिल नहीं है। मार्च 2022 तक, कम्पनी ने न तो गारंटी शुल्क का भुगतान किया है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹ 10.75 करोड़ कम और रिजर्व और अधिशेष को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र (15 मार्च 2021) के अनुसार, कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण एवं विकास पर हुए व्यय के ₹ 3.00 करोड़, जिन्हें ₹ 5.00 करोड़ के अग्रिम से समायोजित नहीं किया गया था, पूंजीगत चालू कार्य में शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों (नोटः 5 पूंजीगत अग्रिमों के अंतर्गत) को ₹ 3.00 करोड़ से अधिक बताया गया है और उसी सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को कम बताया गया है।

परिशिष्ट –6

(संदर्भित कंडिका 2.2.2)

2016–17 से 2022–23 के दौरान तीन एसपीवी की संस्वीकृत एवं वर्तमान कार्मिक संख्या

विवरण	संस्वीकृत संख्या	वर्तमान कार्मिक संख्या							वर्षों के दौरान रिक्तियां
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	
आरएससीएल									
प्रशासनिक	13	उपलब्ध नहीं है	9	6	8	9	9	9	31 प्रतिशत से 54 प्रतिशत
तकनीकी	4		8	6	11	11	18	11	––
वित्त	3		2	2	2	2	2	1	33 प्रतिशत से 67 प्रतिशत
बीएससीएल									
प्रशासनिक	13	2	3	4	4	4	3	5	62 प्रतिशत से 85 प्रतिशत
तकनीकी	4	3	5	5	10	11	11	5	2016–17 के दौरान 25 प्रतिशत
वित्त	3	0	0	0	1	1	1	1	67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
एनआरएएनएससीसीएल									
प्रशासनिक	13	लागू नहीं	1	3	4	6	4	7	46 प्रतिशत से 92 प्रतिशत
तकनीकी	4		0	2	2	2	2	13	50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
वित्त	3		0	1	1	1	1	1	67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत

परिशिष्ट–7

(संदर्भित कंडिका 2.4.2.4)

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

एबीडी क्षेत्र में एसपीवी द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	कारी तालाब पुनर्विकास	15.04.2018	6.58	मेसर्स आकृति कंस्ट्रक्शन	14–04–2019	14.07.2021	822
2	हेरिटेज वॉक के निर्माण के साथ हेरिटेज सांस्कृतिक क्षेत्र का नेटवर्क	08.03.2019	1.57	मेसर्स रेखचंद अग्रवाल	08–09–2019	11.01.2023	1221
3	6 स्थानों पर स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय तथा 7 स्थानों पर बस शेल्टर, विज्ञापन अधिकार सहित, ए–11	06.06.2018	2.60	मेसर्स एराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड	28–02–2019	11.12.2019	286
4	आनंद समाज लाइब्रेरी का नवीकरण, हेरिटेज बिल्डिंग, ए– 53	28.02.2017	1.70	मेसर्स चुन्नी सिंह ठाकुर	28–05–2017	25.01.2018	242
5	मोती बाग का पुनर्विकास फेज–1, ए–36	28.02.2017	0.39	मेसर्स फ्यूचर कंस्ट्रक्शन	28–05–2017	04.10.2018	494
6	बुढ़ा तालाब फुटपाथ के नाले को ढकने का कार्य एवं कार पार्क विकास कार्य, ए, सी	05.07.2017	0.46	मेसर्स कोणार्क एजेंसी	10–10–2017	30.04.2018	202
7	इंडोर स्टेडियम में हेल्दी हार्ट ट्रैक, ए, सी	28.02.2017	1.16	मेसर्स पीआईसी कंस्ट्रक्शन	28–05–2017	04.10.2018	494
8	कला रंगाई और दीवार पेंटिंग का कार्य, ए–59	31.03.2017	0.17	मेसर्स मास्क ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स	30–06–2017	12.11.2017	135
9	एबीडी क्षेत्र में कला रंगाई और दीवार पेंटिंग का कार्य	08.12.2017	0.13	मेसर्स मितेश जैन	09–12–2017	20.04.2018	132
10	रायपुर नगर निगम के अंतर्गत कला, सौंदर्यीकरण एवं भित्ति चित्र कार्य, फेस–2, ए–59	17.11.2017	0.05	द आर्ट फैक्ट्री	02–12–2017	01.06.2018	181
11	एबीडी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के अंतर्गत दीवार पर रंगाई एवं पेंटिंग का कार्य, ए–59	09–11–2017	0.18	मेसर्स मास्क ए ग्रुप आर्टिस्ट	09–12–2017	20–04–2018	132

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
12	''स्मार्ट सिटी मिशन'' के अंतर्गत संकल्पना कला और डिजाइन कार्य, ए–59	23–04–2018	1.61	द आर्ट फैक्ट्री	08–06–2018	15–07–2019	402
13	मोती बाग का पुनर्विकास फेज–2 ए–36	28–02–2019	3.08	मेसर्स एलआर ब्रदर्स	28–08–2019	02–02–2021	524
14	कंकाली अस्पताल का पुनर्विकास, ए–42	09–10–2018	0.49	मेसर्स एएसए इंजीनियरिंग	10–12–2018	13–03–2019	93
15	मंगलम भवन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नवीनीकरण, ए, एस	26–09–2018	0.93	मेसर्स एस एस इंफ्रास्ट्रक्चर	26–01–2019	30–05–2019	124
16	कांजी हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नवीनीकरण, ए एस	26–09–2018	0.96	मेसर्स शारदा अग्रवाल	25–01–2019	30–05–2019	125
17	चिन्हित सार्वजनिक स्थानों के पास शौचालय, पेवर और सीसी कार्य जैसे निर्माण कार्य, ए–11	14–05–2018	0.17	मेसर्स सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी	14–06–2018	25–01–2019	225
18	नरैया तालाब का पुनर्विकास, ए–31	21–02–2019	1.36	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर	21–06–2019	25–11–2019	157
19	एबीडी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थल निर्माण ए, 72	08–03–2019	1.67	मेसर्स सुधीर कुमार गुप्ता	08–09–2019	27–08–2020	354
20	ईएसी कॉलोनी में मल्टी लेवल पार्किंग का विकास	21–02–2019	28.00	मेसर्स विनोद कुमार पांडे	31–07–2020	31–08–2021	396
21	आरएससीएल के लिए रायपुर शहर में सिटी साइनेज की स्थापना हेतु एजेंसी का चयन	14–07–2020	0.83	मेसर्स आरएच एजेंसी	14–07–2021	03–10–2022	446
22	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत शास्त्री मार्केट का पुनर्विकास फेज–1	07–09–2020	19.67	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	09–07–2021	कार्य प्रगति पर है	630
23	शहीद स्मारक स्कूल का पुनर्विकास	14–07–2020	4.11	मेसर्स सोमानी एसोसिएट्स	14–03–2021	13–07–2021	121
24	नगर निगम मैदान का पुनर्विकास	19–10–2020	2.60	मेसर्स गौरव वासुदेवा	14–08–2022	कार्य प्रगति पर है	229
25	प्रवेश प्लाजा ऑक्सी जोन रायपुर का योजना, डिजाइन, निर्माण, सौंदर्यीकरण के लिए डेवलपर का चयन	19–09–2020	0.80	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	30–09–2022	04–01–2023	96
26	विद्या सोसाइटी गार्डन शैलेन्द्र नगर, रायपुर का भूदृश्य सौंदर्यीकरण	11–11–2020	0.32	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	10–02–2021	11–07–2021	151

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
27	एसबीआई गार्डन शैलेन्द्र नगर, रायपुर का भू–दृश्य सौंदर्यीकरण	11–11–2020	0.19	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	10–02–2021	11–07–2021	151
28	बोट सीपीवीसी फ्लोट स्टाइल हाई जेनेवा जेट फव्वारा की आपूर्ति स्थापना	19–09–2020	1.00	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	19–01–2021	31–12–2022	711
29	जोरा तालाब का पुनर्विकास सौंदर्यीकरण	13–11–2020	1.22	मेसर्स शारदा अग्रवाल	13–07–2021	कार्य प्रगति पर है	626
30	रोहनीपुरम तालाब का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण	13–11–2020	1.60	मेसर्स शारदा अग्रवाल	13–07–2021	कार्य प्रगति पर है	626
31	महाराज बंद तालाब के पास स्मार्ट रोड	13–07–2020	3.67	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन	13–01–2021	कार्य प्रगति पर है	807
32	शताब्दी नगर उद्यान, जोन 10 में विद्युतीकरण एवं स्वच्छता कार्य	11–04–2020	0.22	मेसर्स एसपी एंटरप्राइजेज	04–02–2021	04–06–2021	120
33	आउटडोर स्टेडियम में प्रकाश व्यवस्था	09–12–2020	0.14	मेसर्स टीएस लाइट डेकोरेशन एंड इलेक्ट्रिकल	09–01–2021	31–08–2021	234
34	बूढ़ा तालाब में 2 डी पेंटिंग का कार्य	09–12–2020	0.15	मेसर्स मिथ	09–03–2021	04.10.2021	209
35	बूढ़ा तालाब का पुनर्विकास फेज– 2	26–02–2021	19.00	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन–गणपति	26–08–2021	कार्य प्रगति पर है	582
36	शहीद स्मारक का नवीनीकरण (फेज– 2)	08–03–2019	2.40	मेसर्स एलआर ब्रदर्स, रायपुर	08–09–2019	31–03–2023	1300
37	बूढ़ा तालाब के पास इंटरलॉकिंग पेवर कार्य	10–09–2019	0.18	आरएमसी जोन4	09–12–2019	16–03–2020	98
38	स्वामी विवेकानन्द सदर बाजार वार्ड में कोलतार का कार्य	30–12–2020	0.20	आरएमसी जोन4	30–01–2021	01–10–2021	244
39	स्वामी विवेकानन्द सदर बाजार वार्ड क्रमांक 45 में बीटी और रोड मार्किंग कार्य	30–12–2020	0.18	आरएमसी जोन4	30–01–2021	02–10–2021	245
40	मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड (46) छोटापारा में डब्लुएमएम कार्य	12–11–2020	0.18	आरएमसी जोन4	30–12–2020	01–08–2021	214
41	स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 45 में मंदिर के पास फव्वारा कार्य	02.02.2021	0.06	आरएमसी जोन4	02–03–2021	13–01–2022	317
42	आरडी तिवारी स्कूल में 2डी और 3डी पेंटिंग का	12–07–2020	0.19	आरएमसी जोन4	07–06–2021	23–12–2021	199

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	काम						
43	बूढ़ातालाब गार्डन में पेवर और अन्य सिविल कार्य	10–09–2019	0.12	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन	09–12–2019	16–03–2020	98
44	विभिन्न स्थानों पर आई –बीकन डिवाइस की स्थापना	16–03–2020	0.01	मेसर्स ईजेड रूट सर्विसेज लिमिटेड	31–03–2020	18–08–2020	140
45	बुधेश्वर चौक से चांदनी चौक तक एचटी और एलटी लाइन के लिए भूमिगत बाह्य विद्युतीकरण कार्य	31–03–2022	7.07	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30–10–2022	कार्य प्रगति पर है	152
46	बूढ़ापारा चौक से बुद्धेश्वर मंदिर चौक तक एचटी और एलटी लाइन के लिए भूमिगत बाह्य विद्युतीकरण कार्य	31–03–2022	4.04	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30–10–2022	20–03–2023	141
47	बूढ़ातालाब में पीए सह संगीत प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना	21–10–2021	0.16	मेसर्स सिक्योरिटी जंक्शन, रायपुर	21–04–2022	04–11–2022	197
48	महाराजबंध तालाब के पास स्मार्ट रोड विकास कार्य फेज– 2	21–10–2021	1.31	मेसर्स शरद शुक्ला रायपुर	30–11–2022	कार्य प्रगति पर है	121
49	मालवीय रोड लाइटनिंग	31–03–2022	0.79	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30–10–2022	कार्य प्रगति पर है	152
50	दानी गर्ल्स स्कूल में शौचालय का निर्माण	09–10–2020	0.57	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	10–06–2021	31–03–2023	659
51	सप्रे परिसर में जिम हॉल का नवीनीकरण	31–03–2022	0.21	मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन	30.10.2022	28–02–2023	121
52	रायपुर में विभिन्न स्थानों पर पाइप जैकिंग का कार्य	21–10–2021	0.78	मेसर्स हिंदुस्तान इंफ्रा सॉल्यूशंस	30–11–2022	कार्य प्रगति पर है	121
53	जवाहर बाजार वाणिज्यिक परिसर में अग्निषमन का कार्य	25–08–2021	0.41	मेसर्स राजीव पांडे	25–11–2021	31–10–2022	340
54	शताब्दी नगर, जोन– 10 में उद्यान एवं चारदीवारी का विकास	11–04–2020	0.19	मेसर्स एसएसपी एंटरप्राइजेज	04–02–2021	02–10–2022	605
55	सर्वोदय नगर, पचपेड़ी नाका सरोवर से जलकुंभी की सफाई से संबंधित विभिन्न कार्य	30–06–2020	0.60	मेसर्स आई ऑटो एंड रिपेयरिंग एंड एपेक्स	30–07–2020	28–12–2020	151
56	जोन 05 में विभिन्न चौराहों और नुक्कड़ का सौंदर्यीकरण	27–01–2020	0.15	मेसर्स शिवजी एंड कंपनी	27–04–2020	31–12–2020	248

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
57	ई–कियोस्क के साथ एकीकरण सहित मौजूदा पुस्तकों का डिजिटलीकरण	01–03–2018	0.05	मेसर्स एंटिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	08–03–2018	03–08–2018	148
58	आरएमसी में कैंटीन निर्माण (सिविल कार्य)	08–11–2017	0.14	मेसर्स संजीव एंटरप्राइजेज, रायपुर	23–12–2017	20–09–2018	271
59	आरएमसी में कैंटीन निर्माण (पूर्व–निर्मित)	08–11–2017	0.46	मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स	23–12–2017	18–09–2018	269

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	महाराणा प्रताप चौक से तारबहार नाका एफसीआई चौक तक व्यापार विहार रोड पर स्मार्ट सड़क का निर्माण	27–09–2018	22.30	मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	03–10–2020	4.06	30–09–2022	727
2	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए जवाली नाला पर जवाली पूल से पचरी घाट रोड बिलासपुर तक स्लैब कवरिंग के लिए एजेंसी/ठेकेदार का चयन	18–02–2021	2.50	मेसर्स वीएम कंस्ट्रक्शन	28–08–2021	0.00	30–06–2022	306
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जतिया तालाब पुनर्विकास के लिए एजेंसी का चयन	08–09–2021	6.01	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	17–12–2022	0.00	30–06–2023	195
4	मिट्टीतेल गली में स्मार्ट सड़क का निर्माण	24–03–2018	5.99	मेसर्स बेलिफ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	11–02–2019	0.00	17–10–2022	1344
5	व्यापार विहार में तारामंडल का निर्माण	26–09–2018	5.44	मेसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन	28–08–2019	1.45	31–08–2021	734
6	प्रस्तावित इनक्यूबेशन सेंटर भवन के नवीनीकरण कार्य हेतु एजेंसी का चयन	28–02–2020	0.83	मेसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन	03–10–2020	0	02–01–2022	456

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए सिविल वर्क, रोड जंक्शन और मीडियन डेवलपमेंट के विविध कार्यों के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों का चयन	21–05–2020	2.31	मेसर्स सुशांत रॉय	15–06–2021	0	10–01–2022	209
8	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए प्लेनेटोरियम भवन तक स्मार्ट एप्रोच रोड के लिए एजेंसी का चयन	11–11–2020	2.52	मेसर्स अभिषेक सिंह ठाकुर	04–06–2021	0.62	05–11–2021	154
9	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए बिलासपुर शहर में जंक्शन सुधार हेतु एजेंसी/ठेकेदार का चयन	17–02–2021	0.57	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	25–08–2021	0.07	30–03–2022	217
10	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत शहर में कोतवाली चौक से अरपा नदी तक दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ के साथ–साथ वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण	11–03–2022	0.80	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	31–01–2023	0	15–06–2023	135
11	स्मार्ट बिलासपुर – एफ के लिए पांच साल की ऑनसाइट वारंटी के साथ सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांटों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	24–02–2020	0.35	मेसर्स पर्ल इंडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	16–06–2020	0	11–02–2021	240
12	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत भारतीय नगर चौक से तैयबा चौक तक दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ के साथ–साथ वर्षा जल निकासी नाले का निर्माण	11–03–2022	1.40	मेसर्स राजकुमार तिवारी	31–01–2023	0.33	30–05–2023	119
13	सड़क मध्य विकास कार्य के लिए एजेंसी का चयन	25–11–2019	1.34	मेसर्स गजराज इंजीनियरिंग	10–06–2020	13.67	30–06–2023	1115
14	शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक शौचालय परिसरों का निर्माण तथा 5	25–03–2022	0.76	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	30–09–2022	0.00	30–04–2023	182

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	वर्ष का पूर्ण संचालन एवं रखरखाव।							
15	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए तैयबा चौक में सर्वधर्म समभाव द्वार के निर्माण कार्य हेतु एजेंसी का चयन	01–09–2021	0.38	मेसर्स सुशांत रॉय	01–12–2021	0	15–06–2023	561
16	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कैरिजवे का जीर्णोद्धार	16–11–2021	1.94	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	24–03–2022	0.46	15–06–2023	448
17	दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ का निर्माण, वर्षा जल निकासी नाला, साईं मंदिर से अमेरी रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क चौड़ीकरण	26–03–2022	3.05	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	30–01–2023	0	30–06–2023	151
18	बिलासपुर शहर में ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल उत्थान और संशोधन (ग्रुप–V)	30–03–2022	4.22	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	30–06–2022	0	30–06–2023	365
19	बिलासपुर शहर में ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल उत्थान और संशोधन (ग्रुप–VI)	30–03–2022	4.68	मेसर्स नवाज अहमद	28–02–2022	0	30–06–2023	487
20	स्मार्ट बिलासपुर के लिए वेंडिंग जोन बनाने हेतु मॉड्यूलर कियोस्क उपलब्ध कराने एवं स्थापित करने हेतु एजेंसी का चयन	13–02–2020	1.92	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज	15–09–2020	0	30–08–2023	1079
21	स्मार्ट बिलासपुर के लिए राज्य और स्थानीय कला, संस्कृति और नायकों के साथ दीवार/स्ट्रीट आर्ट के अलंकरण के कार्यान्वयन और संचालन के लिए एजेंसी का चयन	07–03–2020	3.12	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	12–03–2021	1.96	30–11–2023	993
22	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए लैंडस्केपिंग, बच्चों के खेलने के स्थान और ओपन जिम उपकरण और वाटर फाउंटेन के विविध कार्य के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों का चयन	21–05–2020	0.60	मेसर्स शिवा एंटरप्राइजेज	02–07–2021	0	30–05–2023	697

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
23	पी 2 व्यापार विहार में स्मार्ट रोड का निर्माण	27–09–2018	22.30	मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	03–10–2020	..	25–02–2022	510
24	दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ, जल निकासी के लिए नाले का निर्माण, नेहरू चौक से देवकीनंदन चौक तक सड़क चौड़ीकरण	26–03–2022	1.62	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	31–01–2023	0.29	31–08–2023	212
25	स्मार्ट बिलासपुर के लिए स्थान निर्माण के लिए सिटी साइनेज हेतु एजेंसी का चयन	16–03–2022	2.16	मेसर्स अमर एंटरप्राइजेज	30–03–2023	0	11–09–2023	165
26	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए किराए पर साइकिल योजना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए एजेंसी का चयन	31–01–2022	0.68	मेसर्स शिव शक्ति ड्रीम्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड	25–09–2022	0	30–05–2023	247
27	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत टाउन हॉल भवन का जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार	11–03–2022	1.69	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	20–03–2023	0	28–10–2023	222
28	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत मगरपारा चौक से भारत चौक तक में सड़क चौड़ीकरण के साथ–साथ दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ से जुड़े वर्षा जल निकासी नाले का निर्माण	12–03–2022	1.76	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	31–01–2023	0	28–10–2023	270
29	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए व्यापार विहार स्मार्ट रोड, बिलासपुर में आरसीसी डक्ट में केबल बिछाने के साथ बाह्य विद्युतीकरण (चौथी कॉल)	23–01–2023	14.62	मेसर्स फ्यूचर इंजीनियरिंग	02–05–2023	3.59	23–09–2023	144

नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यादेश जारी तिथि	कार्यादेश के अनुसार लागत	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	सेक्टर 15 में स्मार्ट सिटी पहचान भूनिर्माण और बागवानी कार्य	06–06–2021	4.64	14–12–2021	18–11–2022	339
2	नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 में फायर हाइड्रेंट सिस्टम	06–03–2021	5.17	14–01–2022	––	441
3	वीडीपी कोटराभाटा	08–03–2021	11.61	14–06–2022	––	290
4	मंत्रालय में पार्क	11–06–2020	4.30	11–12–2020	31–10–2021	324
5	मौजूदा इमारतों के लिए वर्षा जल संचयन	07–12–2020	1.03	14–04–2021	28–02–2022	320
6	अटल नगर में विभिन्न सड़कों पर एलईडी लाइट फिटिंग के साथ मौजूदा एचपीएसवी लैंप फिटिंग का डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना/प्रतिस्थापन	10–01–2020	5.91	09–04–2020	06–09–2020	150
7	सेक्टर–11 सेक्टर–12 और सेक्टर–13 में बायोस्वेल	05–04–2021	7.60	09–11–2021	––	507
8	झील–ii और आसपास के क्षेत्र में भू– दृश्यांकन और बागवानी कार्य का विकास	03–11–2020	5.43	02–05–2021	16–11–2021	198

परिशिष्ट 8

(संदर्भित कंडिका 2.4.3.1)

पैन सिटी में एसपीवी द्वारा कार्यों के कियान्वयन में विलम्ब

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	36 छत्तीसगढ़ी	05–09–2017	0.50	मेसर्स ए एंड एम कम्युनिकेशंस	05–03–2018	01–12–2018	271
2	रायपुर शहर में एलईडी ग्लो साइन बोर्ड की स्थापना, ए–59	31–03–2017	0.19	मेसर्स माँ गायत्री डिजिटल	30–06–2017	09–12–2019	892
3	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आईटीएमएस और इंटीग्रेटिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, आईसीसीसी	21–12–2017	210.38	मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड	02–08–2020	31–10–2021	455
4	स्मार्ट पार्किंग के विभिन्न स्थानों पर पेवर, बाउंड्री वॉल, गेट, पेंटिंग आदि जैसे सिविल कार्य, ए–62	19–12–2018	0.50	मेसर्स अजय ट्रेडर्स	19–03–2019	02–09–2020	533
5	मैदान में सिविल कार्य जैसे स्मार्ट पार्किंग के विभिन्न स्थानों पर पेवर, बाउंड्री वॉल, गेट, पेंटिंग आदि ए–62	07–06–2018	0.07	मेसर्स विराज बिल्डकॉन	07–07–2018	21–02–2019	229
6	रायपुर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए फर्नीचर	23–10–2020	2.72	मेसर्स जय अम्बे फर्नीचर/ओम फर्नीचर्स/भाटिया इंजीनियरिंग वर्क्स	01–11–2020	08–06–2021	219
7	मोहल्ला क्लिनिक का विकास (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	23–10–2020	0.45	मेसर्स चुन्नी सिंह ठाकुर	01–11–2020	08–10–2021	341
8	त्रिलोकी माता मंदिर में उद्यान सौंदर्यीकरण	06–11–2020	0.06	मेसर्स पब्लिक सर्विसेज	06–03–2021	15–09–2021	193
9	गौरव पथ पर ड्रिप सिंचाई	22–02–2020	0.58	मेसर्स आकृति कंस्ट्रक्शन्स	22–08–2020	30–11–2021	465
10	आनंद समाज पुस्तकालय में सीसीटीवी कैमरा, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और वाटर कूलर की स्थापना	08–01–2018	0.06	मेसर्स तिवारी एंटरप्राइजेज	08–02–2018	02–06–2018	114
11	छतवा तालाब का सौंदर्यीकरण और	24–03–2022	0.46	मेसर्स जेबी कंस्ट्रक्शन	24–12–2022	कार्य प्रगति पर है	97

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	पुनर्विकास						
12	अवन्ति विहार जल टंकी के पास उद्यान विकास	11–11–2019	0.10	मेसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन	11–03–2020	26–08–2020	168
13	डब्ल्यूएसएस में जल लेखा परीक्षा और एनआरडब्ल्यू का आकलन	15–11–2019	0.55	मेसर्स यूआरएस वेरिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	15–03–2020	19–08–2020	157
14	फायर ब्रिगेड चौक पर सौंदर्यीकरण कार्य	08–03–2019	0.25	मेसर्स सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी	08–05–2019	11–07–2020	430
15	अमलीडीह तालाब का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	29–03–2022	0.45	मेसर्स अनिल कुमार साहू रायपुर	29–12–2022	कार्य प्रगति पर है	92
16	शिवनगर पैठू तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	31–03–2022	0.29	मेसर्स अनिल कुमार साहू	30–09–2022	कार्य प्रगति पर है	182
17	राजा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	29–03–2022	0.40	मेसर्स दुबे ड्रिलर्स, रायपुर	29–12–2022	कार्य प्रगति पर है	92
18	गुरुद्वारा टाटीबंध के पास उद्यान पुनर्विकास	25–11–2019	0.13	मेसर्स– चुन्नी सिंह ठाकुर, राई	25–01–2020	30–07–2020	187
19	गीतांजलि नगर में उद्यान का सौंदर्यीकरण	11–11–2019	0.10	मेसर्स शिवजी एंड कंपनी	11–01–2020	03–11–2020	297
20	सप्रे बैडमिंटन हॉल में शेड निर्माण एवं पेवर कार्य	04–11–2019	0.07	मेसर्स– चुन्नी सिंह ठाकुर, रायपुर	04–01–2020	03–12–2021	699
21	सूचीबद्ध ठेकेदार के तहत सड़क चिह्नांकन	13–11–2019	0.12	मेसर्स आरएच एजेंसी	13–02–2020	कार्य प्रगति पर है	1142
22	सिद्धिविनायक गार्डन, देवेन्द्र नगर का पुनर्विकास	25–03–2022	0.12	मेसर्स मनीष कुमार तिवारी, गरियाबंद	25–09–2022	10–01–2023	107
23	सर्वानंद उद्यान, देवेन्द्र नगर का विकास	24–03–2022	0.11	मेसर्स जीएम कंस्ट्रक्शन, रायपुर	24–09–2022	10–01–2023	108
24	चैतन्य गार्डन, देवेन्द्र नगर का विकास	29–03–2022	0.13	मेसर्स– एएस इंफ्रा	29–09–2022	10–01–2023	103
25	मोवा तालाब का सौंदर्यीकरण	29–03–2022	0.41	मेसर्स एएस इंफ्रा रायपुर	20–09–2022	कार्य प्रगति पर है	192
26	महादेव तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	14–03–2022	0.46	मेसर्स– धनराज बिल्डकॉन , रायपुर	14–09–2022	10–01–2023	118
27	साहूपाड़ा तालाब फाफाडीह का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	24–03–2022	0.34	मेसर्स केएस कंस्ट्रक्शन, रायपुर	24–09–2022	11–01–2023	109

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
28	पहाड़ी तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	24–03–2022	0.49	मेसर्स– डेल्टा कंस्ट्रक्शन	24–12–2022	31–03–2023	97
29	डगनिया तालाब का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण	30–03–2022	0.64	मेसर्स चुन्नी सिंह ठाकुर, रायपुर	30–11–2022	कार्य प्रगति पर है	121
30	टैगोर नगर, एलटी अरविंद दीक्षित वार्ड में ऋद्धि सिद्धि गार्डन का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण	02–08–2021	0.15	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	02–02–2022	04–05–2022	91
31	शंकर नगर उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास, जोन–3	31–03–2022	0.19	मेसर्स नैथानी इन्फ्रास्ट्रक्चर	30–11–2022	20–03–2023	110
32	देवेन्द्र नगर स्थित गुरु घासीदास उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	31–03–2022	0.48	मेसर्स डेल्टा कंस्ट्रक्शन	30–11–2022	31–03–2023	121
33	महाराणा प्रताप गार्डन का सौन्दर्यीकरण एवं पुनर्विकास	25–03–2022	0.37	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	30–10–2022	31–01–2023	93
34	रायपुर के विभिन्न स्कूलों के लिए चुंबकीय ग्रीन बोर्ड	11–04–2020	1.66	शिक्षा विभाग	28–12–2021	23–03–2023	450
35	बिनी बाई सोनकर विद्यालय का पुनर्विकास		5.56	पीडब्ल्यूडी छत्तीसगढ़	30–10–2022	कार्य प्रगति पर है	152
36	आरएससीएल के लिए मोर रायपुर लोगो की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और प्रवर्तन	31–03–2022	0.60	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30–09–2022	30–03–2023	181
37	यातायात प्रकाश प्रणाली	22–09–2021	1.52	मेसर्स पॉवरटेक इंडिया	22–07–2022	12–01–2023	174
38	एमएलपी ईएसी कॉलोनी और अन्य स्थानों पर मोर रायपुर लोगो की स्थापना	14–03–2022	0.12	मेसर्स गायत्री डिजिटल, रायपुर	30–09–2022	31.12.2022	92
39	महाराजबंध तालाब और सड़क विद्युतीकरण	03–09–2021	0.69	मेसर्स सुपरटेक सॉल्यूशंस	30–10–2022	कार्य प्रगति पर है	152
40	जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति और स्थापना तथा अन्य कार्य	09–10–2020	2.00	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	10–06–2021	28–02–2023	628
41	उत्कल नगर बस्ती में शौचालय का निर्माण	06–01–2021	0.06	मेसर्स राठौर कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी	01–09–2021	02–12–2021	92
42	तेलीबांधा पुलिस थाने का विकास	21–07–2020	0.25	मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर	15–06–2021	कार्य निरस्त	654
43	कोविड–19 उपाय	15–04–2020	12.50	मैसर्स व्यापक इंटरप्राइजेज, शुभम्	09–12–2021	08–02–2023	426

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
				किराया भंडार , आदर्श किराया भंडार आदि।			

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	बिलासपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना और प्रबंधन हेतु एजेंसी	20–05–2020	1.00	मेसर्स अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान	09–12–2020	0	04–04–2022	481
2	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (कोन्हेर गार्डन) के लिए ट्रैफिक स्टेशन के पास खाली जमीन के सौंदर्यीकरण हेतु एजेंसी का चयन	15–06–2021	0.74	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	28–12–2021	0	31–12–2022	368
3	बिलासपुर में एलईडी स्ट्रिप लाइट और ड्राइवर लाइटिंग	06–10–2020	0.10	मेसर्स नरेन्द्र चित्रकार	21–10–2021	0	28–02–2023	495
4	बिलासपुर में हाई मास्ट लाइट शिफ्टिंग का कार्य	06–10–2020	0.06	मेसर्स नरेन्द्र चित्रकार	21–10–2021	0	25–01–2022	96
5	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत (गणेश चौक से जरहाभाटा चौक तक) देवकीनंदन चौक से दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ के साथ संयोजित वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण, विवेकानंद गार्डन, प्रताप टॉकीज, डॉक्टर्स कॉलोनी और सीआईएमएस चौक से अरपा नदी तक निर्माण	11–03–2022	1.72	मेसर्स अभिषेक सिंह ठाकुर	31–01–2023	0.41	30–05–2023	119
6	बिलासपुर स्मार्टसिटी–फेज–2 के लिए केंद्रीय पुस्तकालय में डिजिटल	13.01.22	2.17	मेसर्स ओस्टिलियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	15–07–2022	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत	259

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	लाइब्रेरी के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन							
7	बीएससीएल में 2 स्कूलों के लिए ई-पाठशाला (स्मार्ट क्लासरूम) परियोजना	10–09–2020	5.09	मेसर्स आईबेरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14–04–2021	0.01	30–09–2022	534
8	A55 साइनेज, वॉल स्ट्रीट आर्ट और सिटी लोगो ब्रांड	–––	0.02	मेसर्स अभय पब्लिसिटी रायपुर	10–02–2020	---	15–08–2023	1282
9	कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), शहर निगरानी प्रणाली और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के कार्यान्वयन के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर ए) ए57 मल्टी मॉडल ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (एमएमटीएमएस) बी) ए59 बिलासपुर स्मार्ट कार्ड पब्लिक ट्रांजिट, पार्किंग, अन्य वीएएस और म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए सिंगल कार्ड डिजिटल वॉलेट के साथ एकीकृत । सी) ए61 सिटी ओएस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना ।	30–03–2022	194.05	मेसर्स टीएएसएल	31–03–2023	0	30–09–2023	183
10	बिलासपुर में ग्रिड सौर से जुड़े रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट और चिन्हित भवनों/स्थानों की स्थापना और डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव हेतु एजेंसी का चयन	06.07.2022	5.85	मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर	20–01–2023	0	30–09–2023	253
11	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के	12–03–2022	3.20	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	31–01–2023	0	30–09–2023	242

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	तहत राजीव गॉधी चौक से मध्यनगरी चौक तक, तैय्यबा चौक से होकर, दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ के साथ–साथ वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण							
12	बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन/सूचना होर्डिंग्स लगाने के लिए एजेंसी का चयन	30–03–2022	3.42	मेसर्स अनिरुद्ध कुमार यदु	30–11–2022	0	31–07–2023	243
13	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जटिया झील परिसर में ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम की स्थापना के लिए एजेंसी का चयन	26–03–2022	2.72	मैसर्स लूक्रेटिव्स सोलर सॉल्यूशंस	30–09–2022	0	30–06–2023	273

नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यादेश निर्गत	कार्यादेश के अनुसार लागत	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब
1	बायोस्वेल सेक्टर 15 और 16	04–04–2021	13.44	09–11–2021	––	507
2	परिवर्तनीय संदेश साइनेज प्रणाली	20–09–2021	2.67	19–01–2022	06–09–2022	230

परिशिष्ट–9

(संदर्भित कंडिका 2.5.2)

आरएससीएल द्वारा कम शास्ति वसूले जाने का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश मूल्य/ दिनांक/ ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	अधिरोपित शास्ति	अधिरोपित किये जाने योग्य शास्ति	शास्ति की कम वसूली
1.	जवाहर बाजार पार्किंग सह वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	₹ 15.39 करोड़/ 28 अप्रैल 2017/ मेसर्स एवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	28 नवंबर 2018 (बाद में 28 नवंबर 2019 तक बढ़ाया गया)	19 जनवरी 2021	₹ 0.02 करोड़	₹ 1.17 करोड़[1]	₹ 1.15 करोड़
इसके अतिरिक्त, सीजीपीडब्ल्यूडी के फार्म ए के क्लॉज 11 के अनुसार, सामग्री/पीओएल और श्रमिक मजदूरी की कीमतों में बदलाव पर प्रतिपूर्ति/वापसी केवल कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के लिए दी जाएगी। कम्पनी ने ठेकेदार को बिना शास्ति लगाये 28 नवंबर 2019 तक समय वृद्धि दिया और उसके बाद, शास्ति के साथ वृद्धि दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि कार्य पूर्ण होने की बढी हुई तिथि से लगभग 13 माह का विलम्ब से पूर्ण हुआ। इसलिए, 28 नवंबर 2019 के बाद निष्पादित कार्य क्लॉज 2 के अंतर्गत आते थे और इस अवधि के बाद के कार्य के लिए मूल्य समायोजन की अनुमति नहीं थी। इस प्रावधान के विपरीत, आरएससीएल ने इस अवधि के बाद और जनवरी 2020 तक ₹ 3.76 लाख की मूल्य वृद्धि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ। सरकार ने कहा (अप्रैल 2023) कि आरएससीएल ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्यस्थल तक पहुंच प्रदान नहीं कर सकता था और दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर सितंबर 2020 में सम्पूर्ण कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया था। इसलिए, बिना किसी शास्ति के 30 सितंबर 2020 तक का समय वृद्धि दिया गया। सरकार ने आगे कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद, ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ कर दिया, लेकिन महामारी के कारण कार्य की प्रगति काफी धीमी थी और इसके आधार पर, ठेकेदार पर कम शास्ति लगाया गया और जनवरी 2020 तक की वृद्धि प्रदान की गई। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है। आरएससीएल ने बिना किसी शास्ति के केवल 28 नवंबर 2019 तक समय वृद्धि प्रदान की थी और उसके बाद शास्ति के साथ विस्तार दिया गया। यह कार्य 19 जनवरी 2021 को पूर्ण हुआ। इसलिए, फॉर्म ए के अनुसार, आरएससीएल को 28 नवंबर 2019 के बाद कार्य समाप्त होने की वास्तविक अवधि तक के लिए केवल ₹ 1.55 लाख के बजाय छह प्रतिशत की दर से ₹ 1.17 करोड़ का शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक था तथा वृद्धि का भुगतान भी उचित नहीं है।							
2.	कांजी हाउस का नवीनीकरण	₹ 96.42 लाख/ 26 सितंबर 2018/ मेसर्स शारदा अग्रवाल	10 फरवरी 2019 (बाद में बढ़ाकर 10 अप्रैल 2019 कर दिया गया)	15 जुलाई 2019	₹ 0.12 लाख	₹ 5.79 लाख[2]	₹ 5.67 लाख
सरकार ने बताया (अप्रैल 2023) कि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र 15 जुलाई 2019 को निर्गत किया गया जबकि अधिकांश कार्य 27 जून 2019 तक पूर्ण हो गया था, इसलिए शास्ति 4.5 प्रतिशत अर्थात् ₹ 4.23 लाख बनता है। अधिरोपित कुल शास्ति में से केवल ₹ 12,072 की कटौती की गई और ठेकेदार को शेष शास्ति की वसूली के लिए पत्र निर्गत किया गया है। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि को पूर्ण माना जाता है और आरएससीएल द्वारा निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार, पूर्ण कार्य 15 जुलाई 2019 को पूर्ण हो गया था। इसलिए, छह प्रतिशत की दर से अधिकतम शास्ति अर्थात् ₹ 5.79 लाख (₹ 96.42 लाख का छह प्रतिशत) अधिरोपित की जानी थी।							
3.	मोतीबाग गार्डन का पुनर्विकास	₹ 3.08 करोड़/ 28	15 सितंबर 2019	2 फरवरी 2021	₹ 9.84 लाख	₹ 30.80 लाख[3]	₹ 20.96 लाख

[1] ₹ 19.55 करोड़ (अतिरिक्त कार्य शामिल) × 6 प्रतिशत (28 नवंबर 2019 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद 13 माह विलम्ब था)

[2] ₹ 0.96 करोड़ × 6 प्रतिशत (10 अप्रैल 2019 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश मूल्य/ दिनांक/ ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	अधिरोपित शास्ति	अधिरोपित किये जाने योग्य शास्ति	शास्ति की कम वसूली
	(चरण–2)	फरवरी 2019/ मेसर्स एलआर ब्रदर्स					
सरकार ने जवाब मे बताया कि (अप्रैल 2023) ठेकेदार की त्रुटि के लिए चार प्रतिशत की दर से ₹ 9.84 लाख का शास्ति की कटौती की गई है। यह शास्ति सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की गई गयी थी जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली गई थी। सरकार ने आगे बताया कि 15 दिसंबर 2020 तक समय विस्तार दिया गया था और 2 फरवरी 2021 को कार्य पूर्ण हो गया था। इसलिए, सात सप्ताह का विलम्ब हुआ जिसके लिए देय शास्ति राशि ₹ 7 लाख के विरुद्ध ₹ 9.84 लाख का शास्ति वसूली गई। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल ने शास्ति के साथ 15 दिसंबर 2020 तक का समयावृद्धि दिया था और चूंकि कार्य पूर्ण होने में 16 सप्ताह का विलम्ब हुआ था, इसलिए अधिकतम ₹ 30.80 लाख का शास्ति अधिरोपित किया जाना चाहिए था।							
4.	घडी चौक और आजाद चौक का भू–दृश्यांकन एवं सौंदर्यीकरण	₹ 1.96 करोड़/ 12 अक्टूबर 2017/ मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	12 जनवरी 2018 (बाद में 15 मई 2018 तक बढ़ाया गया)	7 सितंबर 2018	0.00	₹ 15.00 लाख[4]	₹ 15.00 लाख
सरकार ने जवाब में बताया (अप्रैल 2023) कि बिना किसी शास्ति के 15 मई 2018 तक का समय विस्तार दिया गया था। कार्य वास्तव में जून 2018 में पूर्ण हो गया था, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र 7 सितंबर 2018 को निर्गत किया गया, अर्थात् परियोजना के उद्घाटन के बाद। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य 7 सितंबर 2018 को पूर्ण हो गया था और ओ एंड एम 8 सितंबर 2018 से प्रारम्भ हुआ था। इसलिए, शास्ति 6 सितंबर 2018 तक अधिरोपित की जानी थी।							

[3] ₹ 3.08 करोड़ × 10 प्रतिशत = ₹ 0.31 करोड़ (आरएफपी के क्लॉज के अनुसार, लक्ष्य प्राप्ति न होने पर ठेकेदार पर प्रति सप्ताह) ₹ 1,00,000 की दर से परिनिर्धारित क्षति (एलडी) लगाई जानी चाहिए, जो कुल अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी)

[4] ₹ 1,00,000 × 15 सप्ताह (15 मई 2018 से 6 सितंबर 2018 तक, 15 मई 2018 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद)

परिशिष्ट 10

(कंडिका 3.1 में संदर्भित)

जमाराशियों पर ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण शुद्ध ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण

ऑटो स्वीप ट्रांसफर के लिए मान्य तिथि	परिपक्वता तिथि (181 दिन)	परिपक्वता दिवस	ग्रहणाधिकार खाते में जमा राशि (₹)	ऑटो स्वीप में स्थानांतरण के बाद उपलब्ध राशि (अर्थात् सीमा ₹ 1000000 (₹)	प्रचलित ब्याज दर (एफडी)	ब्याज हानि (₹)
जमा की गई पहली किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
10–10–2018	09–04–2019	181	83066377	82066377	6.75	2746975
09–04–2019	07–10–2019	181	85813352	84813352	6	2523488
07–10–2019	05–04–2020	181	88336840	87336840	6	2598570
05–04–2020	03–10–2020	181	90935410	89935410	5	2229905
03–10–2020	02–04–2021	181	93165315	92165315	3.3	1508229
02–04–2021	30–09–2021	181	94673544	93673544	3.3	1532910
30–09–2021	30–03–2022	181	96206454	95206454	3.25	1534389
30–03–2022	27–09–2022	181	97740843	96740843	3.25	1559118
27–09–2022	27–03–2023	181	99299961	98299961	3.25	1584245
27–03–2023	31–03–2023	4	100884206	99884206	3.25	73887
						17891716
जमा की गई दुसरी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
10–10–2018	09–04–2019	181	259423018	259423018	6.75	8683564
09–04–2019	07–10–2019	181	268106582	268106582	6	7977089
07–10–2019	05–04–2020	181	276083671	276083671	6	8214435
05–04–2020	03–10–2020	181	284298105	284298105	5	7049035
03–10–2020	02–04–2021	181	291347141	291347141	3.3	4767716
02–04–2021	30–09–2021	181	296114857	296114857	3.3	4845737
30–09–2021	30–03–2022	181	300960594	300960594	3.25	4850413
30–03–2022	27–09–2022	181	305811007	305811007	3.25	4928584
27–09–2022	27–03–2023	181	310739591	310739591	3.25	5008015
27–03–2023	31–03–2023	4	315747607	315747607	3.25	112458
						56437047
जमा की गई तीसरी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
01–11–2018	01–05–2019	181	40000000	40000000	6.75	1338904
01–05–2019	29–10–2019	181	41338904	41338904	6	1229974
29–10–2019	27–04–2020	181	42568878	42568878	6	1266570
27–04–2020	25–10–2020	181	43835448	43835448	4.75	1032535
25–10–2020	24–04–2021	181	44867983	44867983	3.3	734237

ऑटो स्वीप ट्रांसफर के लिए मान्य तिथि	परिपक्वता तिथि (181 दिन)	परिपक्वता दिवस	ग्रहणाधिकार खाते में जमा राशि (₹)	ऑटो स्वीप में स्थानांतरण के बाद उपलब्ध राशि (अर्थात् सीमा ₹ 1000000 (₹)	प्रचलित ब्याज दर (एफडी)	ब्याज हानि (₹)
24–04–2021	22–10–2021	181	45602220	45602220	3.3	746252
22–10–2021	21–04–2022	181	46348472	46348472	3.25	746972
21–04–2022	19–10–2022	181	47095444	47095444	3.25	759011
19–10–2022	31–03–2023	163	47854455	47854455	3.25	694545
						8549000
जमा की गई चौथी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
16–11–2018	16–05–2019	181	70000000	70000000	6.75	2343082
16–05–2019	13–11–2019	181	72343082	72343082	6	2152454
13–11–2019	12–05–2020	181	74495537	74495537	6	2216497
12–05–2020	09–11–2020	181	76712034	76712034	4.5	1711834
09–11–2020	09–05–2021	181	78423868	78423868	3.3	1283358
09–05–2021	06–11–2021	181	79707227	79707227	3.3	1304360
06–11–2021	06–05–2022	181	81011586	81011586	3.25	1305618
06–05–2022	03–11–2022	181	82317204	82317204	3.25	1326660
03–11–2022	31–03–2023	148	83643865	83643865	3.25	1102266
						14746130
जमा की गई पांचवी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
12–02–2019	12–08–2019	181	97500000	97500000	6.75	3263579
12–08–2019	09–02–2020	181	100763579	100763579	6	2998062
09–02–2020	08–08–2020	181	103761640	103761640	5	2572720
08–08–2020	05–02–2021	181	106334360	106334360	3.3	1740096
05–02–2021	05–08–2021	181	108074457	108074457	3.3	1768572
05–08–2021	02–02–2022	181	109843029	109843029	3.3	1797513
02–02–2022	02–08–2022	181	111640542	111640542	3.25	1799248
02–08–2022	30–01–2023	181	113439790	113439790	3.25	1828245
30–01–2023	31–03–2023	60	115268035	115268035	3.25	615816
						18383851
कुल ब्याज						**116007744**
(–) प्राप्त ब्याज						62845105
जमा पर ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न लेने के कारण शुद्ध ब्याज हानि						**53162639**

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en